144

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खण्ड 5

अंक ५१ – 51

८ से २२ जून

1962

पी एल

Friday, 08 June, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७७ से २८६० और २८६२ से २८६६ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्तव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७६

अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७

अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५, १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२६ . . . . . ४७२८—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३ . . . . ४७३२—८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . ४७८०—८४

(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता . . . . .

(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा . . . .

(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७८४

सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . . ४७८४—८५

ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य ४७८४—८६

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन . . . . . . ४७८६—४८०९

अनुदानों की मांगें ४७८६

वित्त मंत्रालय . . . . . . ४७८६—४८०९

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित . . ४८१०—११

वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४८११—१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४८१६—२२

अंक ४४—गुरुवार, १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९ . . . ४८२३—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४ . . . . . ४८४५—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४ . . . . . ४८५३—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . ४८९९

स्थगन प्रस्ताव ४९००

रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर . . ४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १६६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१६
१. सीमा शल्क विधेयक	५०१६
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	५०१६—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१६—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५६—६४

विषय	पृष्ठ
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ,	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

1286 (Ai) LSD—9.

विषय	पृष्ठ
प्रोफ़ैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६०	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६०	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा	५३००–.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना	५३७८–७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ

खंड २ और १ . . . ५३८८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५३८८

श्री विभूधेन्द्र मिश्र ५३८८

निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . . ५३८८—५४०३

सीमा शुल्क विधेयक . . . . . ५४०३—१०

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ५४०३—१०

रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . ५४१०—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५४१५—२३

अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . . . ५४२३—४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . . . ५४४५—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० . . ५४४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ . ५४५४—५५१८

दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर में शुद्धि

स्थगन प्रस्ताव ५५१८

भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार . ५५१८—१९

सभा पटल पर रखे गए पत्र . . . . . ५५१९—२०

राज्य सभा से सन्देश ५५२०

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ५५२०

तीसरा प्रतिवेदन ५५२०

हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५२१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . . ५५२१

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . . ५५२२

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ५५२२—४७

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा ५५४७—५४

दैनिक संक्षपिका . . . . ५५५५—६३

अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५ ५५६५—८८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२-ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . .	५५८८-९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६६० ३६६२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ग .	५५९४-५६५२
दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि	५६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५६५२-५४
(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . .	५६५२-५३
(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ .	५६५३-५४
जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न	५६५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६५४-५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . .	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . .	५६५७
सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . .	५६५७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . .	५६५८-६४
भेषज (संशोधन) विधेयक	५६६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	५६६५-७३
खण्ड २ से २२ तथा १	५६६४-७७
पारित करने का प्रस्ताव	५६६४-७७
राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५६७८-८०
दैनिक संक्षेपिका	५६८१-९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३	५६९३-५७२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . .	५७२०-२३

विषय	पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५ . ५७२३–५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ५७५८–६५

(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा ५७५८–६०

(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु ५७६०–६२

(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . . ५७६२–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५७६५–६७

राज्य सभा से सन्देश ५७६७

निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . . ५७६७

विधेयक पुरःस्थापित ५७६७–६८

(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . . ५७६७

(२) महाप्रशासक विधेयक ५७६८

(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . . ५७६८

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . . ५७६९–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ५७७८

तीसरा प्रतिवेदन ५७७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ५७७९–८४

(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [श्री अ० त्रि० शर्मा का] ५७७९

(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का] . . . ५७७९

(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [श्री अ० क० गोपालन का] ५७७९–८०

(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का] ५७८०

(५) परिवहन समन्वय विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का] ५७८०

(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयाँ लगाना) विधेयक [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का] ५७८०–८१

(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [श्री हेम राज का] . . . ५७८१

(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . ५७८१

(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [श्री हेम राज का] ५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का]	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्दय्या का]	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव	५७९४–९६
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९६–५८०२
विदाई भाषण	५८०२
दैनिक संक्षेपिका	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, ८ जून, १९६२

१८ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था मैसूर

+

†*१३५३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने प्रोटीन की बहुतायत वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने की परियोजना के लिये केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था, मैसूर को ३८ लाख रुपये की सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ग) क्या बच्चों पर पौष्टिक आहार के प्रभाव के प्रयोग भी किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां । पी० एल० ४८० निधि में से ३७.२० लाख रुपये का अनुदान चार साल की अवधि के लिए दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था ने, जिस ने इस प्रकार की सहायता आकृष्ट की है, कौन कौन सी परियोजनायें चलायी हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह मुख्यत: वनस्पति उद्भव के प्रोटीन युक्त खाद्यों के विकास का काम था और इस ने सारे संसार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

†मूल अंग्रेजी में

1217 (Ai) LSD—1.

†श्री स० चं० सामन्त : अमरीका की ओर से करार पर हस्ताक्षर किसने किये थे?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं वह नहीं बता सकूंगा। अमरीका की ओर से किसी ने किया है।

†श्री स० चं० सामन्त : मेरा मतलब संस्था से है।

†श्री हुमायून् कबिर : वह अमरीका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था (नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ हेल्थ है)।

†श्री सुबोध हसदा : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोटीन की बहुतायात वाले खाद्य पदार्थों के प्रभाव के प्रयोग के लिए बच्चों के कौन कौन से समुदाय लिये जायेंगे ?

†श्री हुमायून् कबिर : वह दो स्तरों पर होगा, पहले तो अपरिपक्व बालकों अर्थात् १ से ५ वर्ष की आयु के बच्चों पर परीक्षण किया जायगा और दूसरे, ६ से १५ वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों पर।

†श्री बासप्पा : क्या प्रोटीन की बहुतायत वाले खाद्य पदार्थों का उपादन अभी प्रयोग की दशा में ही है या वह वाणिज्यिक स्तर पर हो रहा है और उनका उपयोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा ?

†श्री हुमायून् कबिर : वास्तव में यह प्रश्न दो प्रश्नों में विभाजित किया जा सकता है। जहां तक इस विशिष्टि मद का संबंध है, वह स्पष्ट ही प्रयोगात्मक दशा में ही है। लेकिन प्रोटीन की बहुतायत वाले खाद्य पदार्थ हरी वे हरी सब्जियों से तैयार किये गये हैं और उन में से कुछ अग्रिम क्रम पर हैं। एक विशिष्टि प्रक्रिया वाणिज्यिक स्तर पर भी तैयार की जा रही है।

†श्री ब० कु० दास : क्या वह प्रयोग सफल हुआ है और क्या वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कोई अग्रिम परियोजना चालू की गयी है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं ने अभी ही उस प्रश्न का उत्तर दिया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : संश्लिष्ट चावल के उत्पादन के संबंध में किये गये अनुसंधान या प्रयोग का अंतिम परिणाम क्या निकला ? क्या उसे खाने योग्य पाया गया या वह निरर्थक सिद्ध हुआ है ?

†श्री हुमायून् कबिर : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था के सैकड़ों कार्यक्रम हैं। जहां तक संश्लिष्ट चावल का संबंध है, उसे टैपिओका-मैकारोनी कहा जाता है और वह काफी सफल सिद्ध हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में।

इस्पात कारखानों के उपोत्पाद

†*१३५४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में कोई उपोत्पाद व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं जिनका उपयोग अन्यथा वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं ।

विवरण

ऐसे सभी उपोत्पाद जिनका औद्योगिक प्रयोजनों के लिये वाणिज्यिक तौर पर उपयोग किया जा सकता हैं और जिनकी मांग काफी है, इस्तेमाल किये जा रहे हैं । यदि किसी उपोत्पाद की देश में मांग न हो तो उसका निर्यात करने का प्रयत्न किया जाता हैं । फिर भी इस्पात कारखानों से निकलने वाले कुछ उपोत्पाद ऐसे हैं जिनकी बाजारों में मांग अधिक नहीं हैं । लेकिन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड निम्नलिखित प्रकार से स्थिति का सामना करने के प्रयत्न कर रहा हैं :—

मोटर बेन्जोल : सामान्यतया इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में पेट्रोलियम के सहायक पदार्थ के तौर पर किया जाता है । इस उपोत्पाद के लिये तेल कम्पनियों की मांग फिलहाल दूसरी इस्पात कम्पनियां पूरी करती है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस बात पर विचार कर रहा है कि इसके अन्य सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसे किये जा सकते है ।

बेन्जीन और नूलोन : इन रसायनिक पदार्थों के निबटारे में अभी कठिनाई यह हैं कि कच्चे माल के तौर पर इनका उपयोग करने वाले बड़े कार्बनिक उद्योग अभी चालू नहीं हुये है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का अनुमान है कि १९६३–६४ तक यह कठिनाई दूर हो जायगी।

हॉट प्रेस्ड नेफ्थलीन : इस रसायनिक पदार्थ की संपूर्ण मांग अभी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पूरा कर रहा हैं । उसका अनुमान हैं कि शेष उत्पादन के निबटारे की कठिनाई १९६३–६४ तक दूर कर दी जायगी ।

लाइट सॉल्वेंट नेफ्था : यह एक औद्योगिक साल्वेंट हैं जिसके निबटारे में कुछ कठिनाई महसूस हुई हैं।

पिच, क्रोजोट रोडटार : इनके निबटारे के सबंध में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां सामने आयी थीं लेकिन वे अब दूर की जा रही है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : जब से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने कायम हुए हैं तब से मोटर बेंजोल और बेंजीन बरबाद हो रहा हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात कारखाने की आयोजना के साथ साथ उनके उपभोग और उपयोग की योजना क्यों नहीं बनायी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उनका यथाशीघ्र उपयोग करने के लिये हर कोशिश की जा रही है और माननीय सदस्य को मालूम होगा कि कुछ दूसरी इस्पात परियोजनायें है जिनमें यही उपोत्पाद तैयार किये जा रहे हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। इसलिये हम उन मामलों में जहां उनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, उनके लिये निर्यात बाजार ढूंढने को कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : उन उपोत्पादों के उपयोग के लिये आज तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं एक एक मद के बारे में बता सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक लम्बी सूची हैं, उसमें कुछ समय लगेगा।

†**श्री बासप्पा** : जिन उपोत्पादों के लिये इस देश में या बाहर कोई बाजार नहीं हैं उनके लिये क्या कोई उद्योग चालू करने की कोई कोशिश की गयी हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : नये उद्योग शुरू हो रहे है और हम विभिन्न सामग्री की उपलब्धि के बारे में जानकारी दे रहे है। यदि इन उपोत्पादों के उपयोग के लिये कोई आगे आता हैं तो उसे हम सभी मदद देंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस्पात कारखानों से जो स्लैग निकलता हैं उसका क्या होता हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह सीमेंट तैयार करने के काम में लाया जायेगा इस बात की कोशिश की जा रही है कि सीमेंट तैयार करने में उसका इस्तेमाल किया जाय।

†**श्री वाजी** : क्या इनमें से कुछ उपोत्पादों के उपयोग के लिये सरकार भिलाई में अपने कोई सहायक उद्योग चालू कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि स्लैग उपयोग के लिये एक कारखाना कायम किया जा रहा हैं। उसके अलावा और किसी उद्योग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हैं।

टैगोर स्मारक रंगमंच

+

†*१३५५. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रवीन्द्र नाथ टैगोर की स्मृति में कितने राज्यों ने अपने यहां रंगमंच बना लिये है ; और

(ख) क्या ऐसा भी कोई राज्य हैं जहां रंगमंच का निर्माण आरम्भ ही नहीं हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **वासुदेवन नायर** : क्या सभी राज्यों की राजधानियों में ये रंगमंच बनाने के लिये कोई एक सा ढांचा निर्धारित किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह स्पष्ट है कि ये रंगमंच स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होंगे। इसलिये वास्तुकला विषयक ढांचा अलग अलग हो सकता हैं लेकिन अनुमान हैं कि अन्दर स ये रंगमंच सारे देश में एक जैसे होंगे।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि केवल पांच राज्यों ने निर्माण कार्य पूरा किया हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे राज्यों में इनके निर्माण में इतनी देर होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वे निर्माण की विभिन्न दशाओं में हैं और अनुमान है कि प्रायः सभी अगले वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेंगे। चूंकि ये राज्य सरकारों द्वारा बनाये जा रहे हैं इसलिये इस प्रश्न का उत्तर राज्य सरकारों द्वारा ही दिया जा सकेगा।

डा० गोविन्द दास : ये जो नाट्यशालायें बन रही है, क्या ये केवल हर एक राज्य की राजधानी में है या राज्यों के और प्रधान स्थानों में भी है ? केन्द्र की ओर से और राज्यों की ओर से बनाई जा रही इन नाट्य-शालाओं की सब मिलाकर संख्या क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह अगले प्रश्न से उत्पन्न होगा। यह एक विशिष्ट नाट्यशाला के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न हैं।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : देश में जो टैगोर स्मारक नाट्यशालाएं बन रहे है, उन पर केन्द्रीय सरकार कितना खर्च कर रही है और राज्य सरकारें कितना खर्च कर रही हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : सहायता का रूप यह है कि केन्द्रीय सरकार किसी राज्य को पहले २ लाख रुपये का ५० प्रतिशत और उसके बाद २५ प्रतिशत दे रही हैं लेकिन वह सहायता २$^{१}/_{२}$ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : अभी तक कितनी नाट्यशालाएं बनायी जा चुकी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात सुनी नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन नाट्यशालाओं में नाटकों के खेले जाने के संबंध में क्या कोई नियम बनाये गये हैं और क्या वहां केवल टैगोर के नाटक ही खेलें जायेंगे या दूसरे नाटक भी ?

†**श्री हुमायूंन् कबिर** : नाट्यशाला एक नाट्यशाला हैं। उसका उपयोग दूसरे नाटकों, सार्वजनिक सभाओं, सम्मेलनों, संगीत सम्मेलनों तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये किया जाना चाहिये।

नियमों के बारे में प्रश्न के पहले भाग के संबंध में यह निर्धारित करना हमारा काम नहीं हैं कि वहां किस प्रकार के नाटक खेले जायें।

श्री बड़े : क्या यह सच हैं कि टैगोर कामेमोरेशन थियेटर तैयार करने के लिये स्टेट्स का जो क्वोटा आने वाला हैं, उसमें पटेलों के चन्दा लिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायून् कबिर : वह सवाल राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिये।

†श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई हिदायत दी है कि पटेलों से चन्दा लिया जाये ?

†श्री हुमायून् कबिर : इसमें केन्द्रीय सरकार क्यों बीच में पड़े ?

†श्री दशरथ देब : पहले यह निश्चित हुआ था कि अगरतल्ला के मध्य में एक स्थान टैगोर स्मारक नाट्यशाला बनाने के लिये चुना जाये। अब सरकार अगरतल्ला से बहुत दूर किसी और जगह उसे बनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर : नाट्यशाला कहां हो यह तय करना राज्य सरकार या प्रादेशिक अधिकारी का काम हैं। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।

दिल्ली में पटरियों पर रहने वाले लोग

†*१३५७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने लोगों को रहने के लिये मकान न होने के कारण सड़क की पटरियों पर रहना पड़ रहा है ; और

(ख) ऐसे लोगों को आश्रय देने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) २८ फरवरी और ३ मार्च, १९६१ के बीच रात को जनगणना कार्य अधीक्षक ने बेघरबार लोगों की जो गणना की उस से यह दिखाई पड़ा कि उन की संख्या ६,५८६ थी।

(ख) दिल्ली नगर निगम अन्धा मुगल में एक स्थायी रात्रि-निवास (नाइट शेल्टर) चला रहा है। भारत सेवक समाज भी जमना बाजार, काश्मीरी गेट, हार्डिन्ग लाइब्रेरी, दिल्ली गेट, पहाड़गंज, काबली गेट, सब्जी मंडी और बाग दीवार में रात्रि निवास चला रहा है। कुछ और जगहों पर भी रात्रि निवास बनाने के बारे में दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पटरियों पर रहने वाले ये लोग किन किन स्थूल श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार के लोग हैं जो पटरियों पर रहते हैं।

†श्री दातार : भारत सेवक समाज और निगम ने कुछ भेद किया है। भारत सेवक समाज उन्हीं लोगों को रात्रि निवास के लिए भरती करता है जो दिन में कहीं काम करते हों, उन लोगों को नहीं जो कहीं काम ही न करते हों। निगम को भिखारियों और दूसरे लोगों के बीच भेदभाव करना कठिन होता है। और इसलिये वह प्रत्येक रात के लिये १२ नये पैसे फीस लेता है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बम्बई में की गई छानबीन के अनुसार, पटरियों पर रहने वालों की संख्या लगभग तीन लाख थी और दूसरी योजना की अवधि में वह तीन लाख से बढ़ कर तीसरी योजना की अवधि में ६ लाख हो गई है। क्या मैं यह समझूं कि यहां जो ६००० की संख्या बताई गई है उस का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : ये आंकड़े जनगणना अधिकारियों ने दिये हैं । और वह संख्या उन लोगों की है जिन्हों ने यह बताया है कि उन्हें किरायेदार या मकान मालिक के तौर पर रहने के लिये कोई मकान नहीं है ।

†**श्री अंसार हरवानी** : पटरियों पर रहने वाले इन लोगों के लिये जो स्वयंसेवी संगठन मकान बनाने का विचार करते हैं, क्या उन्हें कोई सहायता देने का सरकार का विचार है ?

†**श्री दातार** : जी हां, ये मकान बनाने के लिये कुछ अनुदान देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : पटरियों पर रहने वाले इन लोगों के पास कोई रोजगार है या नहीं या रोजगार होने पर भी उन्हें निवास नहीं मिल पाता ?

†**श्री दातार** : मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन उन लोगों को छोड़कर जिनका काम ही भीख मांगना है ।

†**श्री हेडा** : रैन बसेरे जैसे संगठन दिल्ली में बहुत सफल रहे हैं । क्या ऐसे संगठन या उन के काम काज दिल्ली या दूसरे शहरों में शुरू किये जाने की कोई योजना है जिस से पटरियों पर रहने वाले लोगों को रात में रहने के लिये जगह मिल सके ।

†**श्री दातार** : यह प्रश्न दिल्ली के सम्बन्ध में है ।

†**श्री हेडा** : मैं दिल्ली के रैन बसेरों के बारे में ही कह रहा हूं ।

†**श्री दातार** : दिल्ली में नगर निगम और भारत सेवक समाज, दो संस्थाएं काम कर रही हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस बात के कारण कि भारत की राजधानी में, सरकार के सामने ही, सैंकड़ों लोग पटरियों पर सोते हैं, भारत की ख्याति को, न केवल देश में बल्कि विदेशों में, जो नुकसान पहुंचता है, उस पर सरकार ने कभी विचार किया है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न पहले ही सरकार के सामने है । कई प्रकार के भिखारी होते हैं और भीख मांगने की प्रथा को रोकने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री प० कुन्हन** : माननीय मंत्री ने बताया कि इन में से अधिकतर लोग भिखारी हैं । क्या देश में भिक्षावृत्ति रोकने के लिये उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने का सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री दातार** : उस के लिये कानून हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिलकुल अलग चीज है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के लिये विस्फोटक

+

†*१३५८. { **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंच तथा कन्हान में स्थित कोयला क्षेत्र गैस रहित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खानों के मुख्य निरीक्षक ने खान मालिकों द्वारा तेज विस्फोटकों के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विस्फोटकों के लिये, जिन का संभरण अपर्याप्त है और जिन का आयात किया जाता है, राष्ट्र को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ निहित स्वार्थों के कारण बारूद बनाने वाले देशी निर्याता इस उद्योग से हटाये जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का इरादा है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अनुमति प्राप्त विस्फोटक विदेशों से मंगाने पड़ते हैं क्योंकि वे देश में तैयार नहीं किये जाते ।

(घ) और (ङ). सरकार को ऐसी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, केवल वे ही विस्फोटक सामान्यतया आयात किये जाते हैं जो देश में उपलब्ध नहीं होते ।

†**श्री क० ना० तिवारी** : इस सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना पसन्द करेगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : खनन उद्योग के लिये जिन विशेष प्रकार के विस्फोटक आवश्यक होते हैं उन्हें तैयार करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । कुछ परियोजनाएं इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ आरम्भ की गई और कुछ आरम्भ की जाने वाली हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि पेंच तथा कन्हान घाटी कोयला क्षेत्रों से ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि मुख्य नियंत्रक ने स्वत: ऐसे विस्फोटकों के लिये अनुमति दी है जो इस प्रकार के कोयला क्षेत्रों के लिये लाभदायक नहीं है ? यदि हां, तो इस के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह ठीक है कि मुख्य विस्फोट-निरीक्षक ने इन विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के लिये अनुमति दी है लेकिन मेरे माननीय मित्र ने अभी अभी जो जानकारी पूछी है वह मेरे पास नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री द्वा० ना० तिवारी : सरकार ने ये विस्फोटक कितनी मात्रा में विदेशों से मंगाये हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे सूचना चाहिये ।

†श्री क० ना० तिवारी : क्या इस से कोयले के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह ठीक है कि कुछ महीने पहले विस्फोटकों की कमी की समस्या थी । अब हमें यह जानकारी मिली है कि हमारे सामने कोई विशिष्ट कठिनाई नहीं है ।

†श्री त्यागी : क्या यह सच है कि एक विदेशी फर्म इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ का ये विस्फोटक तैयार करने और आयात करने के संबंध में एकाधिकार हैं और भारतीय फर्मों को सामान्यतया इस क्षेत्र में नहीं आने दिया जाता ?

†श्री के० दे० मालवीय : एक प्रकार से यह ठीक है। ये विस्फोटक सप्लाई करने के मामले में इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ का एकाधिकार है लेकिन जैसाकि मैं न अभी बताया, हम इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं और इस महत्वपूर्ण वस्तु के उत्पादन पर नियंत्रण रख सकते हैं ऽ

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल

†*१३५९. डा० क० ल० राव : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल की मूल प्राक्कलित लागत कितनी थी ;

(ख) वर्तमान प्राक्कलन क्या है ;

(ग) अब तक व्यवस्था और परामश सेवा पर कितना व्यय हो चुका है ; और

(घ) अब तक हुए भारी व्यय को पूरा करने के लिये क्या मितव्ययता के कोई उपाय सोचे गये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री त्रि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल्स संयंत्र की मूल अनुमानित लागत, जैसी कि १९५६ में ब्रिटेन के ऐसोशियेटेड इलेक्ट्रीकल्स इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा पेश किये गये परियोजना प्रतिवेदन में कल्पना की गई थी, ३५.२५ करोड़ रुपये थी, जिसमें कार्य संचालन पूंजी सम्मिलित नहीं है । यह अनुमान एक पारी पर लगभग १२ करोड़ रुपये और दो पारियों में २२ करोड़ रुपये के वार्षिक उत्पादन के लिये था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्तमान अनुमान दो पारियों में २५ करोड़ रुपये के उत्पादन के लिये लगभग ४० करोड़ रुपये का है ।

(ग) मार्च, १९६२ के अन्त तक सलाहकारों को ४३ लाख रुपये भुगतान किये गये हैं । इसके अतिरिक्त भोपाल में सलाहकारों के संस्थापन के वेतनों और उपरिव्ययों, भत्तों आदि पर लगभग ३२ लाख रुपये व्यय हुये ।

(घ) सलाहकारों को भुगतान प्रविधिक सलाहकारी करार के अनुसार किया गया है ।

†**डा० क० ला० राव** : चूंकि इस समय जिस प्रकार का उत्पादन हो रहा है वह मूल योजना —जैसे भारी मशीनों—से भिन्न है, इसलिये क्या सलाहकार इंजीनियरों के भुगतान की शर्तों में कोई संपरिवर्तन किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी नहीं । वास्तव में भुगतान करार द्वारा निश्चित किया गया है जिसकी प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है । हमें करार के अनुसार भुगतान करना पड़ता है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच है कि सलाहकार द्वारा संभरण किया गया हाई-वोल्टेज स्विच गियर बेकार है ? यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की बातों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे यह बात माननीय सदस्य से ही मालूम हुई है और मैं वास्तविक स्थिति जानने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने अपने हाल के भोपाल के दौरे के दौरान यह कहा था कि वह भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल्स के उत्पादन से असंतुष्ट हैं ? यदि हां, तो उनके असंतोष के क्या कारण हैं ? क्या वह इसके संबंध में कोई जांच कराने का विचार कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न प्रारंभिक तथा वर्तमान प्राक्कलनों से सम्बन्धित है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न का भाग (घ) यह है कि :

"क्या मितव्ययता के कोई उपाय सोचे गये हैं ?"

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं वह वास्तव में इसी से सम्बन्धित है क्योंकि मैं संयंत्र के संचालन के एक पहलू के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं । यदि संयंत्र का कार्यसंचालन संतोषजनक नहीं है तो माननीय मंत्री का असंतोष व्यक्त करना सर्वथा सही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाग (ग) में भी उस मितव्ययता के साथ कुछ सम्बन्ध होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं हाल में भोपाल गया था जहां मुझे संयंत्र का निरीक्षण करने का अवसर मिला। मैंने यह मत व्यक्त किया था कि मैं संयंत्र के कार्य से सर्वथा संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि वहां श्रमिक वर्ग में अनुशासनहीनता रही है और इसके अतिरिक्त कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। सुधार की गुंजाइश रहेगी। मैंने इसके सम्बन्ध में वहां के अधिकारियों से चर्चा की थी और मैं आशा करता हूं कि स्थिति सुधारने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायेंगे।

†**श्री दाजी** : क्या विस्तार कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा है? यदि हां, तो क्या अनुमान ठीक रहेंगे अथवा उनके बढ़ जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरा अनुमान ऐसा ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बासप्पा।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जानना......

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा परन्तु बीच में नहीं।

†**श्री बासप्पा** : सलाहकारों को ७५ लाख रुपये भुगतान किये गये हैं ? क्या उनको अधिक भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यदि माननीय सदस्य करार को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हमें कुल ४००,००० पौंड का भुगतान करना है। इसलिये कुछ और भुगतान करना होगा : मेरे पास सही सही आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या माननीय मंत्री वहां के श्रमिकों की अनुशासनहीनता के अतिरिक्त प्रबन्धकों और प्रशासन की गैर-जिम्मेदारी से भी असंतुष्ट रहे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह बड़ा कठिन प्रश्न है। मैं वहां की हर बात से असंतुष्ट नहीं हो सकता। वहां प्रत्येक क्षेत्र में और सेक्शन में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है और मुझे आशा है कि ये सुधार किये जा सकेंगे।

†**श्री नम्बियार** : दिये गये विवरण से मालूम होता है कि राशि को ३५.२५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ४० करोड़ रुपये कर दिया गया है। क्या तदनुसार प्रविधिक सलाहकारों को दी जाने वाली फीसें भी बढ़ा दी गई हैं अथवा वह पूर्ववत् ही रहेंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं नहीं समझता कि इसके कारण सलाहकारों की फीसें बढ़ाई गई हैं।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१३६०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल, जिसके सदस्य इस्पात विभाग के सचिव और रूरकेला कारखाने के मुख्य इंजीनियर थे, पश्चिम जर्मनी क 'इकोनामिक्स' मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के लिए बॉन गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां जाने का क्या उद्देश्य था और क्या परिणाम रहा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रूरकेला इस्पात संयंत्र में जर्मन विशेषज्ञों, जिन्होंने जर्मनी के आर्थिक मंत्रालय के श्री सोलवीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के अंग के रूप में रूरकेला का निरीक्षण किया था, द्वारा दी गई सलाह के अनुसार पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए पश्चिम जर्मन सरकार के साथ आवश्यक उपायों की चर्चा करने के लिये । उपायों के सम्बन्ध में प्रायः मतैक्य रहा है यद्यपि उनका ब्यौरा और प्राक्कलन अभी तैयार किये जाने हैं ;

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस दौरे का रूरकेला के विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में भारत सरकार और पश्चिम जर्मन की सरकार के बीच विवाद से कोई सम्बन्ध हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं नहीं समझता कि पश्चिम जर्मनी की सरकार और भारत सरकार के बीच विस्तार के सम्बन्ध में कोई विवाद हैं ?

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस दौरे से रूरकेला के भावी विस्तार का प्रश्न हल हो सका हैं और, यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हां श्रीमान् ; इस विषय पर भी चर्चा की गई थी।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया हैं कि विस्तार कार्यक्रम तभी शुरू किया जा सकता हैं जबकि वह अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ले और इसलिये उसमें देर होने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर एक और प्रश्न भी हैं ।

†**श्री दाजी** : यह इसी से सम्बन्धित हैं । श्री वांचू वहां गये थे . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर निश्चित रूप से एक अन्य प्रश्न हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : संयंत्र में खराब ढंग से संचालन किये जाने के कारण जो क्षति हुई हैं उसकी मरम्मत की लागत का अनुमान इस्पात मंत्रालय के सचिव ने कितना बताया हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आशा है कि उसमे लगभग ६ करोड़ रुपये व्यय होंगे परन्तु यह समस्त राशि केवल मरम्मत में नहीं लगेगी । इसका तीन चौथाई भाग पुर्जे बनाने और प्रविधिक कर्मचारियों के वेतन में जायेगा जो रूरकेला में काम करने के लिये आयेंगे और केवल १ करोड़ रुपये की जरुरत मरम्मत के प्रयोजन के लिये पड़ेगी ।

†**श्री शिवाजी राव शे० देशमुख** : क्या यह सच है कि रूरकेला परियोजना के सम्बन्ध में भी दुर्गापुर जैसा पश्चिम जर्मनी के सार्थों का संघ बनाने की योजना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी चर्चा चल रही हैं इसलिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने पश्चिम जर्मनी के सार्थो से यह कहा बताते है कि हमें एक दूसरे की गलतो निकालने के बजाये संयंत्र की स्थापना में लग जाना चाहिये मैं अखबारों में प्रकाशित शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं । यदि ऐसा है तो इस पारस्परिक दोषारोपण के क्या कारण है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं पारस्परिक दोषापरोपण को दूर कर के यह जानना चाहता हूं कि वास्तविक दोष क्या हैं ताकि उसका सुधार किया जा सके। हमने इसी दृष्टिकोण से प्रयत्न किया है और मुझे खुशी हैं कि यह तय कर लिया गया हैं कि रूरकेला में क्या किया जाना चाहिये ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया हैं कि क्या इस इस्पात संयंत्र के निर्माण काल में खराब संचालन और प्रबन्ध के लिये फर्म के सलाहकार मेसर्स डेमाग एंड क्रप भी जिम्मेदार है और यदि हा, तो क्या उन से कोई जुर्माना देने की मांग की गई हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं माननीय सदस्य से सोलवीन प्रतिवेदन के सभा के विचारार्थ पेश किये जाने तक के लिये प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा। संभवत: तभी किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा ।

ईंधन-तेल पर उत्पादन-शुल्क में कमी

†१३६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के उद्योग मंत्री ने अपनी हाल को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि ईंधन-तेल पर उत्पादन शुल्क पर्याप्त कम कर दिया जाये ताकि असम सरकार नूनमती में निकलने वाले तेल का अपने विद्युत् कार्यक्रमों में उपयोग कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). वित्त मंत्री को इस विषय पर आसाम के उद्योग मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ हैं । उनको उत्तर में यह सूचित किया गया है कि उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

श्री प्र० चं० बरुआ उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। मैंने उनकी ओर दो बार देखा परन्तु वह खड़े ही नहीं हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस

+

†*१३६२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और ईंधन मंत्री २७ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो मास पूर्व पाकिस्तान ने भारत को प्राकृतिक गैस बेचने के बारे में की गई पूछताछ का उत्तर दे दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को कोई उत्तर भेजा गया हैं ; और

(ग) वह उत्तर क्या था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग) पाकिस्तान की सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वे कुछ बातें सम्मिलित हैं जिनके बारे में उस सरकार से सूचना मागी गई थी। इस मामले की जाच की जा रही है। अभी तक पाकिस्तान सरकार को कोई उत्तर नहीं भेजा गया हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पाकिस्तान की सरकार से किन बातों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी ;

प्रथम, वे किस गैस का संभरण कर सकते है।

दूसरे, वह गैस कितने "प्रैशर" पर भारत-पाक सीमांत पर संभरण की जा सकती है।

तीसरे, विभिन्न गैस संभरण सुविधाओं के निर्माण में कितना समय लगेगा।

और चौथे, ऐसी गैस ५००, १०००, १५००, २००० लाख घन फुट प्रतिदिन के आधार पर १५, २० और २५ वर्षों के लिये किस मूल्य पर संभरण की जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह प्राकृतिक गैस मांगने की क्या आवश्यकता हैं और क्या हमारे प्राकृतिक गैस के संसाधन आगामी एक या दो वर्षों में पर्याप्त नहीं हो सकेंगे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं, यह संभव नही है कि हम आगामी एक या दो वर्षों में यह गैस प्राप्त कर सकें। सीमांत के निकट ही बहुत सी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है इसलिए भारत सरकार यह जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान सरकार उस गैस का संभरण उपयुक्त शर्तों पर कर सकती है।

†**श्री पु० र० पटेल** : हम पाकिस्तान से कितनी गैस लेना चाहते हैं और जबकि हमारे देश में अंकलेश्वर और खम्बात में गैस उपलब्ध हैं तो पाकिस्तान से यह गैस क्यों खरीदी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : गैस की खपत एक निश्चित क्षेत्र में ही हो सकती है । अंकलेश्वर और खम्बात की गैस का उपयोग निकटवर्ती क्षेत्र में किया जायेगा । उसे काम में लाने के लिये राजस्थान अथवा दिल्ली अथवा पंजाब नहीं ले जाया जा सकता है । विचार यह है कि पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर के यह मालूम किया जाये कि क्या पंजाब, राजस्थान तथा अन्य उपयुक्त स्थानों में उपयोग किये जाने के लिये सीमांत पर से गैस खरीदना वांछनीय होगा ?

†श्री महेश्वर नायक : क्या भारत सरकार पाकिस्तान से गैस खरीदने के लिये बात चीत शुरू करने से पहले अंकलेश्वर में उपलब्ध गैस को उपयोग में लाने के मार्गोपाय नहीं खोजना चाहती है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । हम अंकलेश्वर और खम्बात की समस्त गैस को काम में लाने जा रहे हैं । फिर भी हमें देश के अन्य भागों के लिये अतिरिक्त गैस की जरूरत पड़ेगी ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से मिले हुये भारतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गस की खोज में क्या सफलता मिली है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सर्वथा भिन्न बात है कि पाकिस्तान के निकटवर्ती सीमाँत पर क्या सफलता मिली है जहाँ कि यह गैस उपलब्ध है ।

†श्री के० दे० मालवीय : हमें अंकलेश्वर और खम्बात में जो गैस मिली हैं हम उसके अतिरिक्त अन्यत्र गैस का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार अधिक गैस का पता लगाने के लिये गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस गैस को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये काम में लाया जायेगा और, यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान से यह गैस लेना वाँछनीय है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी शर्तों पर पाकिस्तान से गैस लेने में कोई हानि नहीं समझता हूं जो हमें स्वीकार्य हो ।

†श्री प्र० के० देव : माननीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सुई गैस राजस्थान और पंजाब में काम में लाई जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैसलमेर की गैस की मात्रा का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है और क्या कार्रवाई की गई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं इस प्रश्न का सामान्य उत्तर दे चुका हूं कि हम अधिक गैस का पता लगाने के लिये समस्त प्रयत्न कर रहे हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या पाकिस्तान से कोई ऐसा आश्वासन ले लिया गया है कि हमारे तनावपूण राजनैतिक संबंधों और पाकिस्तान में उद्योगों के विकास के कारण हमारा संभरण अचानक बन्द न कर दिया जाय ?

†श्री के० दे० मालवीय : इन सब प्रश्नों पर बातचीत के समय विचार किया जाता है । उन पर भी विचार किया जायेगा ।

†श्री कृ० चं० पन्त : क्या सरकार ने ज्वालामुखी की गैस को पम्प करके राजस्थान पहुंचाने की संभावना पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुर्भाग्यवश ज्वालामुखी में पर्याप्त मात्रा नहीं पाई गई है।

न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी की तलाशी

+

†*१३६३. { **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने 'न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी' की तलाशी ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इसकी कितने बार तलाशी ली गई है ;

(घ) क्या कुछ कागजात बरामद किये गये थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो वे कागज़ात क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ।

(ख) वह तलाशी 'न्यू सेंट्रल जूट मिल्स' के प्रबन्ध से संबंधित कुछ व्यक्तियों द्वारा उसकी निधि में अमानत में खयानत के अपराध की जाँच के दौरान ली गई थी।

(ग) एक बार, परन्तु वह तलाशी ३ दिन तक जारी रही।

(घ) जी, हां।

(ङ) जिन सौदों के संबंध में जाँच की जा रही है उनसे संबंधित वाउचर, एकाउंट बुक आदि।

†**श्री दाजी** : जाँच किस अवस्था में है और तलाशी कब ली गई थी ?

†**श्री दातार** : जाँच उस समय से चल रही है जबकि मार्च, १९६२ के मध्य में तलाशी ली गई थी।

†**श्री दाजी** : इसमें कौन लोग अन्तर्ग्रस्त हैं और इतनी देर होने का क्या कारण है ?

†**श्री दातार** : इस मामले में कोई देर नहीं हुई है। जाँच चल रही है। अनेक कागज़ात बरामद किये गये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है।

†**श्री नम्बियार** : क्या अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राभियोग चलाने के लिये प्रथम दृष्टि से मामला सिद्ध हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले जांच खत्म हो जाने दीजिये। श्री अन्सार हरवानी।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या पुलिस ने केवल सेंट्रल जूट मिल्स की तलाशी ली थी अथवा किसी संबद्ध संस्था की भी जिससे इस कम्पनी के मालिक संबद्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जी हाँ। एक संबद्ध संस्था है जिसे मेसर्स साहु जैन लिमिटेड के नाम से पुकारा जाता है। वे इसके प्रबन्ध संचालक हैं।

†**श्री दाजी** : इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री दातार** : यह मैं नहीं बता सकता।

कोयले के परिवहन के लिये पाइप लाइन

†*१३६४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन के लिये एक पाइप लाइन का **निर्माण** किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो किस स्थान से किस किस स्थान तक;

(ग) निर्माण की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). पाइपलाइनों द्वारा कोयला भेजने और उस का बिजली घरों को संभरण करने का प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और उस योजना का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं जानना चाहता हूं कि कोयले का पाइप लाइन द्वारा संभरण कितनी दूरी में किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें विशेषज्ञों ने यह बताया है कि इस तरीके से केवल ३० से ५० मील तक की दूरी में कोयला भेजा जा सकता है।

†**श्री प्र० के० देव** : यह योजना कब शुरू की जायेगी और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन सब प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : क्या यह सच नहीं है कि कोयले को पाइन लाइन से भेजने के लिये उसको पहले गारे के रूप में परिवर्तित करना होता है और यदि हाँ, तो उसे गन्तव्य स्थान पर काम में लाये जाने से पूर्व सुखाने में कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि कोयले का वहन गारा बना कर के ही किया जा सकता है और इसीलिये उसे ४० या ५० मील से अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता है। इस के अतिरिक्त इस कोयले के उपयोग की भी कठिनाई है और वह एक सीमित तरीके से ही उपयोग में लाया जा सकता है उदाहरण के लिये बिजली घरों में उस का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में विकास कार्य

\+

*१३६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सूरज पाण्डेय :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उत्तर सीमान्त क्षेत्रों, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी के विकास पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि खर्च होने वाली है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी योजना में मुख्य रूप से कौन से काम किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) २८ करोड़ रुपये ।

(ख) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ की अवधि में उत्तर खंड डिवीजन में कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकार की गई योजनाओं के दो विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० १८६/६२]

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन योजनाओं की क्रियान्विति में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री दातार**: वे लगभग एक वर्ष या कुछ अधिक समय से चल रही हैं तथा उन की जिम्मेदारी सीधे मुख्य मंत्री पर है जो मुख्य सचिव के माध्यम से काम करता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् अभी बताया गया कि २८ करोड़ रुपया तीसरी योजना के लिये रखा गया है। लेकिन पहले वर्ष के लिये केवल १ करोड़ ३५ लाख और दूसरे वर्ष के लिये १ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि इतना कम रुपया क्यों रखा गया है, क्योंकि अन्त में जब ज्यादा रुपया रह जायेगा तो खर्च नहीं किया जा सकेगा ?

†**श्री दातार** : ये तयारी के वर्ष थे जिन में कर्मचारी, सामग्री आदि एकत्रित किये जाने थे । यही कारण है कि इस अवधि में थोड़ा ही धन खर्च किया जा सका ।

श्री ब्र० बृ० महरोत्रा : उत्तराखंड डिवीजन की इन योजनाओं में क्या जल प्रपातों से बिजली बनाने की भी कोई योजना है ?

†**श्री दातार** : जी हाँ, बिजली पैदा करने की संभावना है ।

श्री कृ० चं० पंत : क्या सीमान्त जिलों के निकटवर्ती पहाड़ी जिलों को विकास कार्यों के मामले में सीमान्त जिलों के समान मानने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक उन क्षेत्रों का संबध है, जो उतराखंड डिवीजन में सम्मिलित नहीं हैं, वे सामान्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी में हैं और मुझे विश्वास है कि वह उन पर समुचित ध्यान देगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत के अनेक राज्यों में सीमान्त क्षेत्र हैं । क्या उन सीमान्त क्षेत्रों के लिये भी इस प्रकार की योजनायें बनाई गई हैं अथवा केवल उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के लिये ही योजना बनाई गई है ?

†**श्री दातार** : जैसा कि गृह मंत्रालय की माँगों पर चर्चा के दौरान स्पष्ट कर दिया गया था, इस प्रकार के सीमाँकित सीमान्त क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और काश्मीर में भी हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : स्टेटमेंट से पता चलताहै कि इस में याक बुल्ज़ को सप्लाई की भी व्यवस्था है । क्या मैं जान सकता हूं कि ये याक बुल्स कहाँ से आयेंगे, क्या तिब्बत से ?

अध्यक्ष महोदय : इस का अभी पता नहीं है ।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : किस प्रकार का विकास किया जाना है ? यह धन किस प्रकार खर्च किया जायेगा ? समस्त ब्यौरा क्या है ? क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इस समय वह समस्त ब्यौरा बताना संभव नहीं है।

†श्री नम्बियार : विवरण से मालूम होता है कि कुछ डिग्री कालेज और पविधिक केन्द्र खोले जाने वाले हैं। क्या ये चालू वर्ष में, अर्थात् अगले महीने में खोले जाने वाले हैं ?

†श्री दातार : कालेज चालू वर्ष में खोले जायेंगे जब उन का नया वर्ष शुरू होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

+

†*१३६७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री कोहोर :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में, जो सामुद्रिक अध्ययन के लिये प्रथम क्रमबद्ध प्रयास है, भारत द्वारा भाग लिये जाने के कायक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो बनाये गये कार्य-क्रम का क्या ब्यौरा है और उस को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) अभी नहीं परन्तु सामुद्रिक अध्ययन संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति ने योरोपीय समुद्र के तट के रेतीले भाग की विस्तृत जाँच करने का कार्यक्रम बनाया है जिस से सामुद्रिक अन्तरिक्ष विज्ञान, भौतिक तथा रासायनिक समुद्रशास्त्र सामुद्रिक जीव विज्ञान, सामुद्रिक भू-विज्ञान तथा भू-भौतिकी की समस्याओं का पता लगाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि की सहायता से बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय आन्तरिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना तथा यूनेस्को की सहायता से कोचीन में हिन्द महासागर जीव-विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय अभियान के भारतीय कार्यक्रम के निदेशक की नियुक्ति हो गई है और १६ अनुसन्धान फैलोशिप बनाये गये हैं;

†श्री दी० चं० शर्मा : इस काम में अन्य कौन से देश भाग ले रहे हैं।

†श्री हुमायून् कबिर : बहुत से देश हैं, जैसे, आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान नार्वे, मलगासी रिपब्लिक, पुर्तगाल, मोजमबीक, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, हालैंड, अमरीका, रूस, जंजीबार और पश्चिम जमनी।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस परियोजना का व्यय भारत तथा अन्य देश किस आधार पर वहन करेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रत्येक देश का अपना अपना कार्यक्रम है। हमारा अभियान के भारतीय भाग से सम्बध है और उस का व्यय हम वहन करेंगे। इस व्यय का वितर्ण स्वीकृत सिद्धात के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में कर दिया जायेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस अभियान का कुल कितना प्राक्कलित व्यय है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कुल व्यय बताना संभव नहीं है। इस समय तो भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता लगभग ७,२१,००० रुपये है। शेष बताना इस समय संभव नहीं है क्योंकि वह मंत्रालय के कार्यक्रम का अंग है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो हिंद महासागर का अध्ययन किया जा रहा है इस का कार्य वास्तव में कब शुरू होगा और कितना संभव समय इस में लगेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : एक प्रकार से कार्यक्रम १९६० में आरम्भ हुआ था। परन्तु कार्यक्रम का बड़ा भाग १९६२--६४ के बीच होगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : देहरादून में एक छोटी सी नौबल स्थापना है जो हिन्दमहासागर का सामुद्रिक सर्वेक्षण कर रहा है और नकशे बना रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थापना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम में कोई समन्वय है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रतिरक्षा मंत्रालय कितने ही प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है। यदि देहरादून में प्रतिरक्षा मंत्रालय की कोई स्थापना है तो उसको निश्चित रूप से शामिल किया जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : कार्यक्रम के कितने भारतीय जहाज भाग लेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : निम्न भारतीय जहाज हैं :

भारतीय नौवलका जहाज आदिशनरूस कृष्णा, भारतनोर्वेजियन परियोजना केरल का वरुण मछली पकड़ने का जहाज बांगड़ा और केरल विश्वद्यिालय अनुसंधान जहाज कोंच।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री ने परियोजना में शामिल होने वाले देशों के नाम बताये। रूस और अमरीका समेत बहुत से देश इसमें भाग ले रहे हैं। क्या ऐसी संभावना है कि हिन्द महासागर का पानी शीतयुद्ध से दूषित न हो जाये ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमें ऐसा कोई डर है ।

†**श्री स० च० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया कि सामुद्रिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिये बम्बई में एक अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र स्थापित होगा। क्या वर्तमान परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र का उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वह कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहे हैं ।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†***१३६८. श्री राम रतन गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियों के तस्कर व्यापार, जिसमें विदेशी राष्ट्रजन अन्तर्ग्रस्त हैं, सम्बन्धी जांच पूरी हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी राष्ट्रजनों का कोई तस्कर व्यापार करने वाला दल है।

†**श्री राम रतन गुप्त** : क्या किसी पर कोई अभियोग लगाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तस्कर व्यापार की उनको कोई सूचना नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि क्या किसी पर कोई अभियोग लगाया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह एक सामान्य प्रश्न था परन्तु पिछले वर्षों में हमने घड़ियां पकड़ी हैं। उन मामलों में हमने केवल घड़ियां पकड़ी ही नहीं अपितु संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग भी लगाये हैं। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला जानना चाहते हैं तो वह अलग से प्रश्न पूंछें और मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

†**श्री रामरतन गुप्त** : मेरी जानकारी के अनुसार पालम हवाई अड्डे पर एक तस्कर व्यापार करने वाले को पकड़ा गया था जिसमें चाइल दूतावास के कुछ कर्मचारी शामिल थे।

†**श्री ब० रा० भगत** : इसके बारे में वह अलग से प्रश्न पूछें।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : द्वितीय लोग-सभा के अन्त में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने सभा में बताया था कि घड़ियों का तस्कर व्यापार हो रहा है। अब मंत्री महोदय का कहना है कि सरकार को ऐसे तस्कर व्यापार की जानकारी नहीं हैं यह दो प्रकार के वक्तव्य कैसे ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कोई अन्तर दोनों में नही है। यह प्रश्न तस्कर व्यापार में विदेशियों के शामिल होने के बारे में है। हमे सामान्यतः विदेशियों के इसमें शामिल होने की जानकारी नहीं है। परन्तु यदि घड़ियों के तस्कर व्यापार में कुछ विदेशी शामिल हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार को इसको जानकारी है।

†**श्री नम्बियार** : क्या पालम हवाई अड्डे पर किसी विदेशी दूतावास द्वारा घड़ियों के तस्कर व्यापार का कोई मामला था; क्या उस मामले को पकड़ा गया था और क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस प्रश्न के लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

†**श्री जसवन्त मेहता** : गत एक वर्ष में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको कोई जानकारी नहीं है ?

†**श्री नम्बियार** : संभव है ऐसा न हुआ हो परन्तु सरकार को इसको जानकारी होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वह कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है तो हम उनको किस प्रकार मजबूर कर सकते हैं ?

†**श्री नम्बियार** : परन्तु सरकार को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पटेल।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० र० पटेल** : क्या घड़ियों के तस्कार व्यापार में इस वर्ष कोई विदेशी शामिल था तथा क्या किसी को गिरफ्तार किया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

जम्मू तथा काश्मीर में संविधान का लागू होना

†*१३६९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद ३७० के निरसन द्वारा संविधान में संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि संविधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूरी तरह से लाग हो जाये और वह राज्य भी भारत संघ के अन्य राज्यों के समान हो जाय ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस तथ्य के आधार पर कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद ३७० अस्थाई तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध है ; क्या इसको अनिश्चित काल के लिये अस्थाई तथा संक्रमण कालीन रखा जायेगा अथवा क्या सरकार ने इसके निराकरण की तिथि तय करदी है अथवा इसके निराकरण की तिथि तय करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

†**श्री दातार** : अब तक कोई तिथि नहीं तय की गई है परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि १९५० के बाद चार अथवा पांच बार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा रूप भेद किये गये हैं तथा राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान बिल्कुल ठीक । संविधान के अनुच्छेद ३७० के खण्ड ३ में बताया गया है कि राष्ट्रपति सरकारी अधिसूचना से इस अनुच्छेद का लागू होना रद्द कर देगा परन्तु जम्मू तथा काश्मीर की राज्य विधान सभा की सिफारिश लेना जरूरी है । क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान सभा ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई सिफारिश की है तथा यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में राज्य विधान सभा का परामर्श लेने का है जिससे इस उपबन्ध का निराकरण अथवा रूपभेद निकट भविष्य में हो सके ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सामान्य निदेश नहीं किया है । चार अथवा पांच दिन पहले ही सीधा सम्पर्क रखने की आवश्यकता का प्रश्न था जिसके सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री ने विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था । हम सभा को बता चुके हैं कि हमको, अब तक राज्य सरकार से औपचारिक निदेश नहीं मिला है । इसलिये जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं मिल जाती है तब तक माननीय सदस्य की इच्छानुसार अनुच्छेद ३७० में रूपभेद करना बड़ा कठिन होगा ।

†**श्री नाथपाई** : जम्मू तथा काश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह इस लिये लागू नहीं किया गया था क्यों कि वहां की बड़ी अजीब स्थिति थी और हमको बताया गया था कि यह अस्थाई व्यवस्था थी । हाल में ही हमने सुरक्षा परिषद् को बताया है कि तथा ठीक ही बताया है कि स्थिति सुधर गई है और इस लिये जनगणना का वायदा उत्पन्न नहीं होता है । जब सरकार ने स्वयं

†मूल अंग्रेजी में

संसार को बताया है कि काश्मीर की स्थिति सुधर गई है तो क्या संविधान के सभी उपबन्ध लागू करने का वादा पूरा नहीं हो सकता ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : संभवतया माननीय सदस्य जानते हैं कि १९५० से हमने क्या प्रगति की है। १९५८ से १९६० के वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, नियंत्रण तथा महालेखानिरीक्षक जनगणना तथा उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्ध लागू किये जा चुके हैं। वह जम्मू तथा काश्मीर में उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील कर सकते हैं। और कई उपबन्ध लागू किये गये हैं। मैं विस्तार में भी नहीं जाना चाहता। मेरे माननीय मित्र ने जैसा अभी बताया--राज्य से संसद के लिये सीधे चुनाव के सम्बन्ध में उसी के अनुसार मैंने भी बख्शी गुलाम मुहम्मद को उनके वक्तव्य के आधार पर लिखा है। मैं आशा करता हूं कि वह हमें सरकारी तौर पर लिखेंगे जिससे हम संविधान में संशोधन कर सकेंगे। इन मामलों में हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क तथा परामर्श बनाये हुये हैं। हमारा माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक है परन्तु मैं आशा करता हूं कि हमें अपने आप पहले ही अनुमान नहीं लगाना चाहिये क्योंकि हम ऐसा राज्य सरकार की अनुमति से ही कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सम्पत्ति खरीदने तथा मकान बनाने का प्रतिबन्ध अभी भी लागू है ? मैं समझता हूं कि ऐसा एक उपबन्ध है जिसके अनुसार काश्मीरी भारत के किसी भी भाग में जा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, सम्पत्ति खरीद सकते हैं परन्तु गैर काश्मीरी काश्मीर नहीं जा सकते हैं तथा मकान नहीं बना सकते हैं और सम्पत्ति नहीं खरीद सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रतिबन्ध अभी भी है अथवा क्या सरकार का विचार अब ह इसको हटा देने का है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं समझता हूं कि ऐसा हमारी स्वीकृति से है। यह अजीब तो मालूम होता है कि भारत के एक भाग में भारतीयों को सम्पत्ति लेने की अनुमति न हो परन्तु भूतकाल से चली आ रही दाय प्राप्ति उचित थी। यदि ऐसा नहीं होता तो समस्त काश्मीर में भूमि विदेशी विशिष्टतया अंग्रेज सस्ते दामों पर खरीद लेते क्योंकि यह बहुत ही सुन्दर स्थान है। कलकत्ता और बम्बई के धनिक भी जमीनें खरीद लेते तथा इस प्रकार काश्मीरियों के लिए काश्मीर में कोई स्थान नहीं रह जाता इसलिए एक महाराजा ने यह नियम बनाया था कि बाहर का कोई आदमी जमीन न ले सके। यह प्रतिबंध उतना तो अब नहीं है परन्तु कुछ सीमा तक अभी है। ऐसा होता तो कुछ धनी यहां पर बाहर से आकर विशाल भवन बना कर सैर-गाह बनाते और काश्मीर का विकास काश्मीरी स्वयं पूरी तरह से नहीं कर पाते।

नई दिल्ली में भारतीय पैट्रोल की बिक्री के लिये एजेन्सी

***१३७०. श्री भक्त दर्शन** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने इंडियन आयल कम्पनी से अनुरोध किया था कि उसे नई-दिल्ली के क्षेत्र में उक्त कम्पनी के पैट्रोल की बिक्री का एकाधिकार दिया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के इस अनुरोध को कम्पनी ने ठुकरा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) नई-दिल्ली नगरपालिका ने इण्डियन आयल कम्पनी को २ या ३ सर्विस स्टेशन / फिलिंग स्टेशन स्थानों के नियतन के लिए प्रार्थना की थी । कम्पनी उन प्रस्तावों की प्रगति के लिए सहमत हुई परन्तु स्थानीय प्रशासन ने उन स्थानों में से किसी भी स्थान, का, जिन के लिए नई-दिल्ली नगरपालिका ने दिलचस्पी प्रगट की थी, अनुमोदन नहीं किया । उपर्युक्त स्थानों के बदले में अन्य स्थानों के लिए नगरपालिका द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों पर कम्पनी द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, चूंकि यह तेल की कम्पनी भारत सरकार की अपनी है और दिल्ली की नगरपालिका भी सीधे भारत सरकार के अन्तर्गत है, तो क्या भारत सरकार का यह इरादा है कि इस कारोबार को, जहां तक हो सके, दिल्ली नगरपालिका या इस तरह की और स्वायत शासन संस्थाओं को दिया जाये ?

श्री हजरनवीस : मैं माननीय सदस्य का सवाल समझ नहीं सका हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मेरा मतलब यह है कि चूंकि यह कम्पनी सरकार की अपनी है, तो यह काम प्राईवेट व्यापारियों को न देकर, उद्योगपतियों को न दे कर, नगरपालिका या इसी तरह की संस्थाओं को देने के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय किया गया है, ताकि आदर्शों के अनुकूल कार्य किया जा सके ।

श्री हजरनवीस : यह निर्णय नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और दिल्ली शासन को करना है—इंडियन आयल कम्पनी को नहीं करना है ।

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : माननीय सदस्य ने जो कहा, वह मुनासिब बात है और सरकार उस से सहमत है कि कि चूंकि इंडियन आयल कम्पनी एक पब्लिक सैक्टर कम्पनी है, इसलिए उस का नगरपालिका के साथ पूरा सहयोग होना चाहिए । लेकिन सम्भवता नगरपालिका ने अपने शासन के दृष्टिकोण से उन जगहों पर मन्जूरी न दी होगी, जहां यह आयल कम्पनी ये सर्विसिज़ लगाना चाहती है । इस लिए नगरपालिका और इंडियन आयल कम्पनी को कोई दूसरी जगह के बारे में सहमत होना चाहिए, जो कि सुविधाजनक हो ।

†**श्री बासप्पा** : इस आधार पर कि एकाधिकार के कारण तेल की बिक्री के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्या मैं जान सकता हूं कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अतिरिक्त क्या अन्य पक्षों ने भी अभ्यावेदन दिया है कि क्या कोई कमीशन दिया जायेगा तथा यदि हां, तो क्या कमीशन होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे पास यह सब जानकारी नहीं है अथवा यह मालूम नहीं है कि इंडियन आयल कम्पनी सर्विस स्टेशन की स्थापना के लिए किस आधार पर बातचीत कर रही है । मैं जानता हूं कि अन्तिम निर्णय लिये जाने के लिए इंडियन आयल कम्पनी के सामने कई सौ अभ्यावेदन लम्बित हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, मेरे मूल प्रश्न का उद्देश्य यह था कि इस तरह के जो सेल्ज डिपो दिये जायें, वे सिद्धान्ततः जहां तक हो सके नगरपालिकाओं या इसी तरह की संस्थाओं को दिये जायें, न कि प्राईवेट उद्योग पतियों को । क्या इस तरह का कोई निर्णय किया गया है और उस पर अमल किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, मैं ने पहले ही कहा हैं कि सरकार इस विचार से सहमत हैं कि नगरपालिका जैसी संस्थाओं को ही देश के वितरण का काम प्रधानतः दिया जाये।

†**श्री पं० वेंकटसुब्बैया** : क्या तेल का वितरण सहकारी समितियों को देने का विचार है जैसा कि अन्य राज्यों में इंडियन आयल कम्पनी ने अन्य राज्यों में किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, श्रीमान्

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*१३७१. { **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : **श्री याज्ञिक** :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने हाल में अपनी मुद्रा का पुनः मूल्यांकन करने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो जर्मन सहयोग से बनने वाले रूरकेला इस्पात संयंत्र के निर्माण में भारत को इस निर्णय से कितनी हानि होगी ;

(ग) पुनर्मूल्यांकन के अनुसार प्रति रुपया कितनी हानि होगी ; और

(घ) सरकार पश्चिम जर्मनी को जर्मन 'मार्क' को पुरानी विनिमय दर पर भुगतान के लिये राजी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग) जी हा। ६ मार्च १९६१ को जर्मन मार्क का पुनःमूल्यांकन किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी को उस तिथि से पांच प्रतिशत रुपया अधिक देना होगा। जहां तक रूरकेला का सबंध हैं इसके अधिकांश संयत्र तथा उपकरण आ चुके है तथा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उस तिथि तक उसका भुगतान हो चुका हे। पुनः मूल्यांकन का प्रभाव शेष धन पर पड़ेगा जो लगभग ८० लाख रुपये है।

(घ) कोई नहीं।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या समझौते में ऐसा कुछ है कि विनिमय के पुनः मूल्यांकन के मामले में पुराना विनिमय हीं रहेगा।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी नहीं, श्रीमान्।

†**श्री नम्बियार** : क्या समझौते में ऐसा कोई उपबन्ध था कि यदि पुनः मूल्यांकन हुआ तो हमें अधिक धन देना होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पुनः मूल्यांकन को तो मानना ही पड़ता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है और इसका समर्थन मेरे साथी कर चुके है जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं।

†**श्री नम्बियार** : हमारे द्वारा अधिक धन दिए जाने के कारण तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण क्या मैं जान सकता हूं कि हमने जर्मन सरकार से अभ्यावेदन किया है कि हमारा अंशदान न बढ़ाये ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इन मामलों के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रथायें होती है जिनको मानना पड़ता हैं। इसलिए ऐसा कोई काम करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

†श्री हेडा : क्या सरकार को यह मालूम नहीं था कि पुनः मूल्यांकन होने वाला है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार के परिवर्तन अचानक किए जाते है । मेरे विचार से कोई सावधानी नहीं बरती जा सकती है ।

नूनमती-बरौनी पाइप लाइन

†*१३७३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूनमती-बरौनी पाइप लाइन पर काम की प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) दाहिनी तरफ का पूरा मार्ग (लगभग ४६४ मील) साफ कर दिया गया है और पाइप लगाने तथा वैल्ड करने का काम पूरा हो चुका है । ११७ रोड क्रासिंग, ३२ रेल बे सिंग ५ सस्पेंडेड क्रासिंग, २५ सबमर्ज क्रासिंग तथा १८ रलवे पुल रेलवे क्रासिंग पूरा हो चुका है । कर्मचारियों के निवास के लिए मकान बनाने के लिए जमीन ले ली गई हैं ।

(ख) पाइपलाइन के नूनमति-बरौनी भाग पर निर्माण के लिए १७, २१ लाख रुपया अब तक व्यय हो चुका है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : अब तक की प्रगति के आधार पर मैं जानना चाहता हुं कि ७०० मील पाइपलाइन कब पूरी होगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : पूरी पाइप लाइन के १९६२ तक बन जाने की अनुसूची हैं। परन्तु आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार संभव है विचार महीने का विलम्ब हो जाये ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इससे इंडियन आयल कम्पनी को कितने धन की हानि होगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस विलम्ब के कारण हानि बताना बड़ा कठिन हैं । परन्तु यदि मेरे मित्र का मतलब पाइप लाइन के देर से चालू होने के कारण 'हानि' से है तो निश्चित रूप से आय में हानि होगी ।

†श्री मुरारका : क्या माननीय मंत्री ने इस पाइप लाइन की प्रति मील लागत की गणना की हैं; यदि हां तो विश्व के अन्य भागों की पाइप लाइन से इसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती हैं ;

†श्री के० दे० मालवीय : मेरे पास इस समय तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि माननीय मित्र चाहें तो मैं उनको तुलनात्मक आंकड़े जो हमने तैयार किए हैं, दे दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रंगमंच

***†१३५६. श्री भगवत झा आजाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नये रंगमंच के निर्माण का इरादा रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने रंगमंच स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) ये रंगमंच कहाँ स्थापित किये जायेंगे ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). टैगोर शताब्दि समारोह के अन्तर्गत राज्यों की सभी राजधानियों, केवल आसाम को छोड़ कर जहाँ पर यह स्थान गोदारिंद में राष्ट्रीय रंगमंच स्थापित किया जा रहा है । 'रवीन्द्र रंगशाला' नामक एक खुला रंगमंच तथा प्रयोगात्मक रंगमंच नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है । समस्त देश में ग्रामीण क्षेत्रों में २१६ खुले रंगमंच स्थापित किये गये हैं तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में और खुले रंगमंच स्थापित करने का विचार है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

†१३६६. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने रूरकेला इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता के पूर्णरूपेण उपयोग किये जाने तक कारखाने की किसी विस्तार योजना को मानने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विस्तार योजना स्थगित की जा रही है; और

(ग) संयंत्र की वर्तमान क्षमता का कब तक पूर्ण उपयोग किये जाने की आशा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी नहीं । यद्यपि कुछ समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं परन्तु अब तक सरकार को कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है । परन्तु यह सच है कि पश्चिम जर्मन सरकार ने रूरकेला में अपर्याप्त उत्पादन के कारण प्रस्तावित विस्तार के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । पश्चिम-जर्मन सरकार तथा देश से आये हुए विशेषज्ञों के दल के परामर्श से रूरकेला के कार्यवहन में सुधार किया जा रहा है ।

(ग) आगामी १२ महीनों में ।

दिल्ली छावनी में अस्पताल

†*१३७२. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में कोई सुसज्ज अस्पताल नहीं है जो वहां की असैनिक जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्ड ने एक नया अस्पताल बनवाना आरम्भ कर दिया था और वह अर्द्धनिर्मित दशा में पड़ा है;

(ग) क्या बोर्ड भवन निर्माण के लिये सरकार से मिले अनुदान का उपयोग न कर सका था और वह रकम मार्च १९६१ में लौटा दा गई थी; और

(घ) असैनिक जनता के कल्याण की देखभाल के लिये उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन :** (क) दिल्ली के छावनी बोर्ड एक २० पलंगों का बिना भोजन वाला अस्पताल का प्रबन्ध कर रहा है।

(ख) और (ग). अस्पताल के लिए नये भवन का निर्माण अंशतः सरकार धन लगा कर तथा अंशतः छावनी बोर्ड अपने साधनों से धन लगा कर पूरा कर रहा है। बोर्ड के अपर्याप्त धन होने के कारण निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अनुदान के साथ सम्बद्ध शर्तों के अनुसार सरकार को, वित्तीय वर्ष में दिया अनुदान लौटा दिया गया था क्योंकि वह व्यय नहीं हो पाया था।

(घ) छावनी बोर्ड के पास अब पर्याप्त धन है और यह काम चालू वर्ष में पूरा हो जायेगा।

अकाउन्टेन्ट–जनरल, गुजरात का शाखा कार्यालय

†*१३७४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाउन्टेन्ट जनरल, गुजरात का शाखा कार्यालय, जो अब बम्बई में हैं, २ जून, १९६३ को बन्द किया जा रहा है;

(ख) क्या लगभग १५० कर्मचारियों से अहमदाबाद जाने के लिये कहा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो कार्यालय के स्थानान्तरण के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थानान्तरण का विरोध किया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) अहमदाबाद में स्थान की कमी के कारण बम्बई में थोड़े से कर्मचारियों का शाखा कार्यालय था। स्थान मिल जाने के बाद अब यह कार्यालय अहमदाबाद में आ गया है।

(घ) जी नहीं ।

नाल हवाई अड्डा राजस्थान

†२७८७. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाल हवाई अड्डा (राजस्थान) के लिए आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना का व्योरा सभा पटल पर रखा जायेगा जिस में योजना के क्रियान्वयन का समय भी बताया गया हो;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या नाल हवाई अड्डे के क्षेत्र में घास तथा झाड़ियों का वार्षिक नीलाम किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो १९५० से १९६१ तक उससे क्या वार्षिक आय हुई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). नाल एक सैनिक हवाई अड्डा है और इसका भारतीय विमान बल अपने उपयोग के लिए विकास कर रहा है। और ब्योरा बताना लोक हित में नहीं है।

(ग) और (घ). १९५० से १९६१ तक घास तथा झाड़ियों का नीलाम नहीं किया गया है। इसलिए बिक्री आय नहीं हुई है।

केरल में इस्पात की री–रोलिंग मिल

†२७८८. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस्पात री-रोलिंग मिल की स्थापना का प्रस्ताव किस क्रम पर है; और

(ख) मिल की कितनी क्षमता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). उद्योग अधिनियम, १९५१ के अधीन केरल में निम्न दो इस्पात री-रोलिंग मिलों के लाइसेंस जारी किये गये हैं :—

संख्या	नाम	लाइसेंस की तिथि	स्थापना स्थान	वार्षिक क्षमता
१	ए० वी० थामस एण्ड कम्पनी, कोचीन	२-७-६०	कोचीन	६,००० टन
२	वेस्ट इंडिया स्टील कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कालीकट . . .	२४-८-६१	कालीकट	१५,००० टन

मैसर्स ए० वी० थामस एण्ड कम्पनी, कोचीन रुपये भुगतान वाले देशों से सयंत्र तथा मशीनें आयात करने के बारे में बातचीत कर रही है।

मैसर्स वेस्ट इंडिया स्टील कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कालीकट कारखाने की स्थापना के लिए तथा पूंजीगत यंत्र मंगाने के लिए आवश्यक प्रवन्ध कर रही है।

केरल में स्मारक

†२७८९. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने रक्षित स्मारक हैं;

(ख) गत दस वर्षों में देखभल तथा मरम्मत के लिए स्मारक-कर की कितनी रक़म आवंटित की गई तथा प्रत्येक पर अलग अलग कितनी रक़म खर्च की गई;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि त्रिवेन्द्रम ज़िले का ऐतिहासिक अंजेंगो किला को समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण समुद्र में बह जाने का बड़ा खतरा है; और

(घ) यदि हाँ, तो किले की रक्षा के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तेईस ।

(ख) संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जाता है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में वेतन आयोग की सिफारिशें

†२७९०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन को कब से लागू किया गया है;

(ग) इस से प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो का किस प्रकार भला होगा;

(घ) यदि इन को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस को कब लागू किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

मनाली में पर्वतारोहण स्कूल

†२७९१. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने मनाली में पर्वतारोहण स्कूल को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी कर्मचारियों की छंटनी

†२७९२. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय असैनिक सेवायें (अस्थाई सेवा) नियम, १९४९ के नियम ५ के अधीन १९६२ में कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कथित नियमों के अधीन छंटनी किये जाने का निर्णय करने के लिये क्या फार्मूला अपनाया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सामान्यत: जब छंटनी कर्मचारियों को कम करने के लिये की जाती है तब गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए छंटनी आदेश (प्रति सम्बद्ध है) का पालन किया जाता है । नियुक्त करने वाले अधिकारी की इच्छानुसार केन्द्रीय असैनिक सेवायें (अस्थाई सेवा) नियमों के नियम ५ के अधीन कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जा सकता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २**]

कडलूर का ऐतिहासिक पुलिन[1]

†**२७९३. श्री रामचन्द्रन् : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडलूर की पुरानी ऐतिहासिक बीच में कोई सुधार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अल्पबचत योजना में विनियोजन

†**२७९४. श्री श्रीनारायण दास : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने सूद की दरों को अधिक करने पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देशाई)** : (क) विभिन्न अल्प बचत योजनाओं की सूद की दरों पर रिजर्व बैंक के परामर्श से क्या सूद की सामान्य दरों के आधार पर लगातार विचार किया जाता है ।

(ख) वर्तमान दरों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ह ।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

२७९५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के जो कार्यालय इस समय ऐसे नगरों में स्थित हैं जहां गृह-कार्य मन्त्रालय की ओर से हिन्दी कक्षायें चालू नहीं हैं वहां पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा की जाने वाली हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beach

(ख) उपरोक्त स्थानों पर टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग सिखाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार) :(क) और (ख) . जिन स्थानों पर सीखने वाले कर्मचारी काफी संख्या में हैं वहां पर हिन्दी और हिन्दीटाई पिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं कुछ स्थानों में जहां इस मन्त्रालय की ओर से हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोले गये हैं, या नहीं खोले जा सकते हैं विभिन्न केन्द्रीय विभाग अपनी ओर से यथासम्भव इन्तजाम कर रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में लोह अयस्क निक्षेप

†२७९६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में लौह अयस्क के निक्षेपों का भारत के भूविज्ञान सर्वेक्षण ने पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो मिदनापुर जिले के किस भाग में ;

(ग) क्या निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) क्या इसका वाणिज्यिक महत्व है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस)** · (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पश्चिमी भाग में सरिसवासा, जारमा, शिप्लारबिचा, तथा छुरीमारा में लौह अयस्कों का पता लगा है ।

(ग) और (घ). उपरोक्त निक्षेप अधिक नहीं हैं तथा वह अच्छी किस्म के भी नहीं हैं । मेंगनीज अयस्क के साथ मिले जुले कुछ लौह अयस्क मिले हैं । मेंगनीज अयस्कों की क्षमता का निर्धारण करने के लिये जिलों की सहायता से अग्रेतर ब्यौरेवार जांच की जा रही है ।

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक

२७९७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली के स्कूलों के निजी प्रबन्धकों द्वारा कितने अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को नौकरी से अलग किया गया ;

(ख) सरकार ने कितने मामलों में उन्हें नौकरी पर बहाल करने की आज्ञा दी है और उनमें से कितने प्रबन्धकों ने सरकारी आज्ञा का पालन किया है ; और

(ग) जिन प्रबन्धकों ने इन आज्ञाओं का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १२ अध्यापक और ३ अध्यापिकायें ।

(ख) ६, सभी प्रबन्धकों ने सरकार की आज्ञा का पालन किया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेसिक शिक्षा तथा ग्राम्य विकास

†२७९८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेसिक शिक्षा कार्य को ग्राम्य विकास कार्य के साथ मिलाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये स्थापित अध्ययन वर्ग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ; और

(ग) उसमें की गई सिफारिशों को किस प्रकार लागू करना सम्भव पाया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). अध्ययन वर्ग का प्रतिवेदन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (जिसकी सिफारिश पर वर्ग स्थापित किया गया था) की ३०—३१ अक्तूबर १९६१ की बैठक में प्रस्तुत कर दिया गया था। परिषद् ने प्रतिवेदन पर विचार निबम्बित करने का निर्णय किया है। इसलिए इस समय इसकी सिफारिशों की क्रियान्विति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

वर्ग की रिपोर्ट समेत अक्तूबर १९६१ की परिषद् की बैठक की कार्यवाही संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

खनिज निक्षेपों की खोज के लिए पुरस्कार

†२७९९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक महत्व के नये खनिज निक्षेपों की खोज के लिये सूचना देने के लिये १९६१–६२ में कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए ; और

(ख) उनकी जानकारी के आधार पर क्या खनिज मिले हैं ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। एक मामले में भारतीय खान व्यूरो ने क्लावाइट क नये खनिज निक्षेप का पता लगाने की सूचना दी है। उस व्यक्ति को पुरस्कार देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

त्रिपुरा में अग्नि दुर्घटनायें

†२८००. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में त्रिपुरा में कितनी अग्नि दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) जनता को कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही के रूप में डिवीजनल नगरों में फायर ब्रिगेड स्थापित हो सकते हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) २३२।

(ख) लगभग ६,७९,५५० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपयुक्त व्यक्तियों को सहायता के रूप में २,४४० रुपये वितरित किये गये हैं। उपयुक्त मामलों में १३,२०० रुपये का ऋण दिया गया है।

(घ) त्रिपुरा में इस समय दो फायर सर्विस यूनिट हैं। एक अगरतल्ला में तथा दूसरा उदयपुर में। शीघ्र ही कर्मनगर में एक और यूनिट खोली जायेगी। कैलशहर, खोवाह तथा बेलोनिया में फायर सर्विस यूनिट का प्रस्ताव विचाराधीन है।

त्रिपुरा में प्रादेशिक परिषद् को केन्द्रीय अनुदान

†२८०१. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के अपने अन्तिम आय-व्ययक प्राक्कलनों में त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने कुल कितना केन्द्रीय अनुदान मांगा है ; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ३०९,१०,४७८ रुपये।

(ख) परिषद् को अनुदान का भुगतान करने के लिये केन्द्रीय आय-व्ययक में २५८·२८ लाख रुपये का उपबन्ध शामिल कर लिया गया है। नई वस्तुओं के लिये अग्रेतर अनुदानों का भुगतान करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब पूरे ब्यौरे तथा औचिय बना कर विशिष्ट निदेशों को देगी। परिषद को इस सम्बन्ध में लिखा गया है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†२८०२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६२ को भारत सर्वेक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं तथा उनके अलग अलग मजूरी बिल कितने हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) :**

	१-१-६२ को कर्मचारियों की संख्या	१९६१-६२ के लिए मजूरी बिल
प्रथम श्रेणी	७४	१०,७६,२५० रुपये
द्वितीय श्रेणी . . .	११३	९,५५,००८ रुपये
तृतीय श्रेणी . . .	२,८१९	६४,६६,८८६ रुपये
चतुर्थ श्रेणी	२,२१७	२४,५६,३६४ रुपये

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय

†२८०३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानचित्र प्रकाशन के निदेशक को अपने विभाग के लिए विभिन्न स्टोर स्थापित रूप से खरीदने का प्राधिकार दिया गया है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय खरीदारी करने के लिए धन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो यह रक़म कितनी है ;

(घ) स्थानीय खरीदारी करने की क्या प्रक्रिया है ;

(ङ) क्या टैंडर मंगाये जाते हैं; और

(च) अप्रैल, १९५८ से मार्च १९६२ तक कितनी स्थानीय खरीदारी हुई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) :** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) (१) एक समय में २००० रुपये के रीप्रोडक्शन स्टोर

(२) प्रति वर्ष ५०० रुपये के स्टेशनरी स्टोर

(३) अन्य स्टोर के लिए निदेशक के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के अधिकार है।

(घ) और (ङ). विभिन्न फर्मों से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मंगाने के बाद सबसे कम मूल्य बताने वाली फर्म से वस्तुओं को खरीदा जाता है ।

(च) ५,४९,३४३ रुपये ।

मनीपुर के विद्रोही नागा

†२८०४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों को गड़बड़ी वाले क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद से मनीपुर में सुरक्षा सेवाओं के सामने कितने विद्रोही नागाओं ने हथियार डाले, कितने मारे गये तथा कितने गिरफ्तार किये गये;

(ख) कितने विद्रोही नागा मुक्त कर दिये गये तथा कितने अभी तक गिरफ्तार हैं; और

(ग) कितने विद्रोहियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) १० नागा विद्रोही मारे गये । २७९ गिरफ्तार किये गये तथा १३० ने मनीपुर में सुरक्षा सेनाओं के सामने हथियार डाले ।

(ख) गिरफ्तार किये गये २७९ नागा विद्रोहियों में से ११९ गिरफ्तार हैं । ३३ सज़ा भुगतने के बाद मुक्त कर दिये गये हैं । ४ ऐसे ही छोड़ दिये गये हैं । १०१ को जमानत पर छोड़ दिया गया है जबकि २२ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६९ के अधीन छोड़ दिये गये है ।

(ग) ३९ ।

मनीपुर में सोने का पकड़ा जाना

†२८०५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग ने १९५९, १९६० तथा १९६१ में मनीपुर में कितना तथा कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया;

(ख) कितने मामलों में पकड़ा गया सोना जब्त कर लिया गया था; और

(ग) कितने मामले अब तक लम्बित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
१९५९	१३,३०८ ग्राम	१,१९,९०४ रुपये
१९६०	६,१७३ ग्राम	६४,५१० रुपये
१९६१	१२६ ग्राम	१,४४५ रुपये

(ख) ८ मामले ।

(ग) १ मामला ।

आसाम राइफल्स के अधिकारी

†२८०६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राइफल्स में काम करने वाले अधिकारियों को सेना में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या आसाम राइफल्स में सेवा के लिए अर्ह होने के लिए विशेष शर्तें तथा अर्हतायें रखी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नियमानुसार सेना के अधिकारियों को आसाम राइफल्स में प्रतिनियुक्त किया जाता है । कुछ सेना से मुक्त हुए सेना अधिकारियों को भूतकाल में ठेके के आधार पर भरती किया गया है ।

(ख) और (ग). कोई विशेष शर्तें अथवा अर्हतायें नहीं रखी गई हैं । शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर सभी अधिकारी आसाम राइफल्स में सेवा के लिए ठीक हैं । आसाम राइफल्स की टैक्निकल शाखा के लिए टैक्नीकल अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित अधिकारी प्रतिनियुक्त किये जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का रक्षण

†२८०७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से संघ राज्य क्षेत्रों में मार्च १९६२ तक विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रक्षण किया गया है;

(ख) रक्षण की प्रतिशतता क्या है;

(ग) रक्षित पदों को किस प्रकार भरा गया; और

(घ) जहां पर इन पदों को नहीं भरा गया है वहां पर इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). रक्षण केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किया गया है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नहीं । रक्षण की प्रतिशतता निम्न है :—

(१) सभी संघ क्षेत्रों के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए

संघ लोक सेवा आयोग अथवा लिखित परीक्षा द्वारा की गई भरती में १२½ प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रक्षित होते हैं । जहां पर संघ लोक सेवा आयोग

†मूल अंग्रेजी में

अथवा लिखित परीक्षण द्वारा भरती नहीं होती है वहां पर १६$^{2}/_{3}$ पद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रक्षित होते हैं। सभी मामलों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षण ५ प्रतिशत है।

(२) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए रक्षण नीचे दिया जाता है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
१. दिल्ली . . .	१६$^{2}/_{3}$ प्रतिशत	५ प्रतिशत
२. हिमाचल प्रदेश . .	२२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत	५ प्रतिशत
३. मनीपुर .	२० प्रतिशत रक्षित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति दोनों के लिए	
४. त्रिपुरा . .	७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत	३० प्रतिशत
५. अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह	द्वीपसमूह वासी ही अधिकांशतः तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं पर नियुक्त होते हैं। अनुसूचित आदिमजातियों को अन्य सेवाओं जैसे स्कूल अध्यापक, पुलिस आदि में नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	
६. लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह	चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों को स्थानीय आदिम के लोगों से भरा जाता है। अर्हं होने पर इन को अन्य पदों पर भी नियुक्त किया जाता है।	

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व दिखाने वाला विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**.

(घ) इन जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों को भरती करने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं। रक्षित रिक्त स्थानों को विज्ञापित किया जाता है तथा काम दिलाऊ दफ्तर में अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संस्थाओं से कहा जाता है कि इन जातियों तथा आदिम जातियों को रिक्त स्थानों की सूचना दें।

पंजाब में चुनाव

†२८०८. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६१, जनवरी तथा फरवरी, १९६२ में पंजाब में ठीक तथा स्वतंत्र चुनाव कराने के बारे में भारत के चुनाव आयोग को प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्योरे क्या हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयोग ने इन पर क्या कार्यवाही की है तथा यदि कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) चुनाव आयोग को पंजाब में चुनावों के बारे में शिकायतों के रूप में लगभग २०० पत्र तथा तार मिले थे। शिकायतों के आरोप नीचे दिये जाते हैं :—

(१) पुलिस अधिकारियों समेत सरकारी कर्मचारियों से उम्मीदवारों को प्राप्त सहायता;

(२) उम्मीदवारों अथवा दलों द्वारा संगठित बैठकों में गड़बड़ी ;

(३) उम्मीदवारों की प्रार्थना पर सरकार की उपेक्षा ;

(४) उम्मीदवारों द्वारा मतादाताओं को वाहन की व्यवस्था ;

(५) उम्मीदवारों द्वारा झूठे वक्तव्यों का प्रकाशन ;

(६) प्रिजाइडिंग तथा पोलिंग अफसरों द्वारा मतदान में हस्तक्षेप ;

(७) चुनाव सूची बनाने में खराबियाँ ;

(८) मतदान बक्सों की असुरक्षा ;

(९) मतदान के बाद मतदान बक्सों को रखने में खराबी ।

(ख) जब शिकायतों में कोई विशिष्ट आरोप होता है तब उनको मुख्य सचिव अथवा मुख्य चुनाव अधिकारी के पास जांच के लिये तथा रिपोर्ट के लिये भेज दिया जाता है। इन रिपोर्टों की जांच आयोग करता है तथा आवश्यक होने पर उपयुक्त कार्यवाही करता है। जो शिकायतें चुनाव याचिका जैसी हैं उन के संबंध में चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि वह उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता है ।

यह भी बताया जा सकता है कि जिन मामलों में चुनाव याचिका पेश कर दी गई है उन मामलों में शिकायतों को तब तक के लिये लम्बित कर दिया गया है जब तक चुनाव याचिका का निबटारा न हो जाये ।

गांधी संग्रहालयों को अनुदान

२८०९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित गांधी स्मारक को जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार अनुदान दे रही है उसी भाति वर्धा, अहमदाबाद, मोतीहारी (चम्पारन, बिहार) तथा अन्य स्थानों के गांधी संग्रहालयों को सरकार अनुदान देने की बात सोच रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): गांधी स्मारक निधि की पश्चिम बंगाल शाखा का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिस में एक आडीटोरियम बनवाने के लिये कहा गया है, जोकि गांधी संग्रहालय, बैरकपुर का एक हिस्सा होगा। दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्द महासागर में ब्रिटिश राष्ट्रजनों का भटक जाना

†२८१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो अंग्रेज जिन के पास एक भी पैनी नहीं थी, हिन्द महासागर (बंगालकी खाड़ी) में ३२ दिन तक भटकते रहे और उन को वहां से गुजरते हुए एक जहाज ने बचाया और निकोवार द्वीपसमूह में छोड़ दिया गया जहां पर एक भारतीय व्यापारी ने दो माह तक अपने यहां रखा ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) गैरसरकारी व्यापारियों के जहाज एम० वी० 'सफोना' ने १२ फरवरी, १९६२ को कारनीकोबार के निकट बंगाल की खाड़ी में खुली छोटी नाव में भटकते हुए चार ब्रिटिश नागरिकों को बचाया और कारनीकोबार लाया। उन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। उन के वक्तव्य के अनुसार वह १० जनवरी, १९६२ को चटगांव से चले थे और पेनांग जा रहे थे। उन के पास पहनने के कपड़े, दो कैमरे, अमरीकी मुद्रा में ४० डालर, ५० स्टर्लिंग के यात्रा चैक तथा १२ रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा थी। उन में से तीन १५ अक्तूबर, १९६१ को इंगलैंड से चले थे और आस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। चौथे व्यक्ति उन से चटगांव में आ मिले और सिंगापुर जा रहे थे। उन को कारनीकोबार के व्यापारिक समवाय में रखा गया था। कारनीकोबार से उन के जाने के बारे में ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त से बातचीत की जा रही है। १२ अप्रैल, १९६२ को वह रायल न्यूजीलैंड के विमान से कारनीकोबार से सिंगापुर चले गये।

मनोवैज्ञानिक मंत्रणा केंद्र, बड़ौदा[1]

†२८११. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा की एम० एस० यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिये मनोवैज्ञानिक मंत्रणा केन्द्र में कैसा काम हो रहा है ;

(ख) क्या यह विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या के बारे में कुछ बता सका है ; और

(ग) क्या यह इस समस्या को हल करने में समर्थ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्र संतोषजनक रूप में काम कर रहा है।

(ख) और (ग) मनोवैज्ञानिक मंत्रणा की योजना अभी निर्माता क्रम में है तथा विद्यार्थी अनुशासन की उलझन वाली समस्या के बारे में निश्चित निर्णय करना अभी सम्भव नहीं है।

कलकत्ता के चीनी 'ड्राई क्लीनर्स' तथा 'डायर्स'

†२८१२. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सभी भागों में चीनी 'ड्राईक्लीनर्स' तथा 'डायर्स' की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Psychological Counselling Centre, Baroda.

(ख) क्या उन के कार्यों का कुछ विवरण रखा गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन के कार्यों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार १९५३ में ऐसी ९३२ दुकानें थीं । १९५४ तथा १९६० के बीच ऐसी पचास और दुकानें खोली गईं जिन का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

(१) १९५४ में ४

(२) १९५५ में १५

(३) १९५६ में १३

(४) १९५७ में ८

(५) १९५८ में ५

(६) १९५९ में ४

(७) १९६० में १ (जो अब बन्द हो गई है)

१९६० में कोई नई दुकान नहीं खुली है ।

(ख) और (ग) जी हां ; ऐसा कर दिया गया है ।

चमोली में एस्बेस्टस

†**२८१३. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ अप्रैल, १९६२ को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि चमोली के सीमा ज़िले में बड़ी मात्रा में एस्बेस्टोस मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस वस्तु की वाणिज्यिक खोज की संभावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी हां । उत्तर प्रदेश सरकार के भू-विज्ञान तथा खनिज निदेशालय ने बताया है कि चमोली जिले की मंदाकिनी घाटी में एस्बेस्टोस निक्षेप का पता लगा है परन्तु यह अधिक मात्रा में नहीं है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के भू-विज्ञान तथा खनिज निदेशालय ने निक्षेपों के ब्यौरे तैयार करने शुरू कर दिये हैं । १५ मील के इस हिस्से में एस्बेस्टोस लगातार नहीं हैं और इस की वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाने के लिये नकशे बन के जा रहे हैं और खाई खोदी जा रही हैं ।

तिरूचि में भूमिगत जल

†**२८१४. श्री उमानाथ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुचि ज़िले के दुपुदाकोंठरी डिवीजन का विशेष उल्लेख करते हुए तिरुचि ज़िले में की गई भूमिगत पानी तथा जल संबंधी जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) परिणामों के लाभों का उपयोग करने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा तिरुचि जिले में की गई भूमिगत जल तथा जल सम्बन्धी जांच के परिणामों को नीचे बताया जाता है:—

१९५७-५८ में ९ कुएं खोदे गये थे । कुओं के ब्योरे नीचे दिये जाते हैं :—

स्थान	प्रति मिनट गैलनों को पम्प करने की दर	निकाले गये फीट में	रिमार्क
१. अंडिमात्तम .	४७० (२१३६ लिटर)	१७·५४ (५·३४ मीटर)	अच्छा उत्पादन
२. तुलारामगुरिच्छी	४८८ (२२१८ लिटर)	१६·०० (४·८८ ")	तदैव
३. भसडूर	७०० (३१८२ लिटर)	२३·०८ (७·०३ ")	तदैव
४. जयामकोंदा-चोलापुरम .	४८४ (२२०० लिटर)	१८·४ (५·६० ")	तदैव
५. एदाईकट्ट .	६६६ (३०१० लिटर)	५२·०० (१५·८५ मीटर)	तदैव
६. देवमंगलम .	१९३ (८७७ लिटर)	५७·०० (१७·३७")	कम मिलने के कारण छोड़ दिया ।
७. कोडानगुड़ी .	८३८ (३८०८ लिटर)	२२·३० (७·६२ ")	अच्छा उत्पादन
८. पोन्नाणविडुडी .	१७३ (७८५ लिटर)	५९·०० (१७·९८ ")	कम मिलने के कारण छोड़ दिया ।
९. वेन्नावलकुडी .	कोई आशा नहीं ।		

पुडुकोट्टई, डिवीजन के बलावलकुड़ी तथा पोन्नाणविडुडी में दो कुयें खोदे गये थे ।

१९६०–६१ में अलनगुडी तालुक में कुएं की खोज का काम हो रहा था । १९६०–६२ में उदैयारपलियम तालुक में १३२१ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) जांच के परिणाम राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिए गए हैं ।

सैलम लौह अयस्क में गन्धक की मात्रा

†२८१५. **श्री उमानाथ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैलम लौह अयस्क में गन्धक तथा अन्य कौन से अस्वच्छ पदार्थ हैं ;

(ख) लौह अयस्क में असामान्यतः पाये गये अस्वच्छ पदार्थों की इससे किस प्रकार तुलना की जा सकती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सैलम लौह अयस्क से प्राप्त कच्चा लोहा बहुत अच्छी किस्म का है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सैलम क्षेत्र से प्राप्त लौह अयस्क के तीन नमूनों मे प्राप्त लोहे तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

	क प्रतिशतता	ख प्रतिशतता	ग प्रतिशतता
लोहा (एफ ई)	३५·०	३७·७	३४·८
सिलिका (एस आई ओ$_2$)	४६·४	४४·६	४६·२
अलुमिन (एन१ $_2$ ओ $_3$)	०·१	०·१	०·१
लाइम (सी ए ओ)	०·८५	०·६५	१·१५
मैगनेशिया (एम जी ओ)	१·६०	२·०	२·१५
मैंगनीज (एम एन ओ)	०·०५	०·०५	०·०४
सलफर (एस)	०·०४	०·०४	०·०४
फासफोरस (पी)	०·१४	०·१४	०·१३

(ख) और (ग) 'सामान्य लौह अयस्क नहीं होते हैं। लौह अयस्क में अस्वच्छ पदार्थ की प्रतिशतता में बहुत अन्तर हो सकता है। भारत में प्राप्त ६०–६८ प्रतिशत एकई के लौह अयस्कों की तुलना में सैलम लौह अयस्क में लोहा ३६ प्रतिशत है। इसलिये सलम लौह अयस्क में सफाई होनी चाहिए।

सैलम लौह अयस्क से प्राप्त कच्चे लोहे को किस्म का पता केवल लोहे पर ही आधारित नहीं है अपितु इसके लिये प्रयुक्त चूने तथा अन्य पदार्थों पर तथा प्रक्रिया पर आधारित है। इस समय यही पता लगा है कि कच्चा लोहा अच्छी किस्म का है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रकारिता का पाठ्यक्रम

†२८१६. **श्री भागवत आजाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने एसे पाठ्यक्रम को चालू करने के लिये कोई विशेष सहायता मांगी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय पत्रकारिता का दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। इसने अपनी तीसरी योजना में इसके लिये १,३७,७०० रुपये का उपबन्ध शामिल किया था परन्तु बाद में इस मामले पर विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक पुनरीक्षित प्रस्ताव भेज रहा है। पुनरीक्षित प्रस्ताव आयोग को अभी मिलना है।

जगाधरी में अफीम का पकड़ा जाना

†२८१७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जगाधरी में पंजाब पुलिस तथा उत्पादन शुल्क विभाग के संयुक्त दल ने यमुना पुल के बैरियर पर २९ अप्रल, १९६२ को बहुत बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी थी ?

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : २२ तथा २७ अप्रैल, १९६२ को क्रमशः इस स्थान पर ५·९० किलोग्राम तथा २०·१२ किलोग्राम अफीम पकड़ी गई थी।

एम० वी० 'अन्दमान' तथा एम० वी० 'निकोबार' जहाज

†२८१८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी जहाज एम० वी० 'अन्दमान' तथा एम० वी० 'निकोबार' के बन्क तथा डैक में के यात्रियों को दिये जाने वाले भोजन की खराब किस्म के बारे में यात्रियों की कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या १२ फरवरी, १९६२ को एम० वी० 'अन्दमान' की मद्रास-पोर्ट ब्लेयर यात्रा पर जब वह मद्रास से चला पर लिखित शिकायतें की गई थीं ;

(ग) क्या कुछ यात्रियों ने २० अप्रैल, १९६२ को पोर्ट ब्लेयर से चलने पर पोर्ट ब्लेयर-मद्रास यात्रा पर एम० वी० 'निकोबार' के बटलर को पीटा था क्योंकि इस यात्रा पर शिकायत के कारण भी यात्रियों को अच्छा भोजन नहीं मिला था ; और

(घ) बंक/डैक यात्रियों को जैसे मजदूर और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के उपयुक्त ही दो प्रकार की निरामिष भोजन कैन्टीन क्यों उपलब्ध नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भूतकाल में कुछ शिकायतें मिली थीं। इन जहाजों पर भोजन व्यवस्था के सुधार करने के लिये पुराने ठेकेदार की सेवायें खत्म कर दी गई हैं। तथा जहाज पर चीफ स्टैवार्डस को यह काम सौंप दिया गया हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह बताया गया कि एम० वी० निकोबार पर चीफ स्टैवार्डस को एक डैक यात्री ने चांटा मारा था जब वह २० से २५ अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर से मद्रास आ रहा था। पन्रतु इस घटना से पहले भोजन की किस्म के बारे में जहाज के मास्टर से कोई शिकायत नहीं की गई थी।

(घ) दोनों जहाजों पर दो प्रकार का भोजन दिया जाता है। एक सैलून यात्रियों के लिए तथा दूसरा बन्क तथा डैक के यात्रियों के लिये। बन्क तथा डैक यात्रियों के लिये दो प्रकार का निरामिष भोजन देना सम्भव नहीं हैं क्योंकि दोनों जहाजों को 'गेली' का स्थान सीमित है। परन्तु मध्यम श्रेणी के यात्री कैंटीन से भोजन की अतिरिक्त वस्तुयें खरीद कर अपना भोजन अच्छा बना सकते है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

†२८१९. **श्री जेना** : क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को १९६१ तथा १९६२ वर्ष में १९५९ तथा १९६० वर्ष की अपेक्षा कम पुस्तकें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

†२८२०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके अधीन की कौनसी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में ३ वर्ष से अधिक से उत्पादन हो रहा हैं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितना धन लगा था ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक में कुल कितना लाभ हुआ ; और

(घ) सूद, अवक्षयण तथा अन्य वस्तुओं के लिये कितनी रकम रखी गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]**

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली में कैंटीन

†२८२१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि ५०५ आर्मी-बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में नई निर्माण समिति का चुनाव होने के बाद उसी दर पर तथा उन्हीं कर्मचारियों द्वारा जनवरी तथा फरवरी, १९६२ मे लगभग २०० रुपये महावार लाभ हुआ है ; और

(ख) क्या उनका मन्त्रालय इस मामले को अपराध शाखा को उचित जांच के लिये भेजने के बारे में सोच रहा हैं क्योंकि ऐसा सन्देह है कि कैंटीन के रुपये का दुर्विनियोजन हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं । जनवरी १९६२ में १३६ रुपये ४९ न० पै० का लाभ हुआ था जबकि फरवरी १९६२ में १२२ रुपये ८६ न० पै० का नुकसान हूआ था ।

(ख) जी नहीं । मामले को जांच के लिये अपराध शाखा को सौंपने का विचार नहीं है ।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६

†२८२२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किन उपबन्धों का संशोधन करना वांछित है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : सरकार अधिनियम में कई संशोधन करने का विचार हैं तथा जिन उपबन्धों में संशोधन करना है उन पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में खनिज तेल

†२८२३. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६२ के अन्त तक गुजरात राज्य में कितने खनिज तेल का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या वहां पर उत्पादन बढ़ाया है ; और

(ग) तेल के विभिन्न हाइड्रोकार्बन अंगों का विश्लेषण करने वालों की नवीनतम रिपोर्ट क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मार्च १९६२ के अन्त तक गुजरात में कच्चे तेल का प्रतिदिन का औसत उत्पादन ६०० टन था।

(ख) जी हां।

(ग) अंकलेश्वर के कच्चे तेल का विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि उसमें ७० प्रतिशत पैराफीन, २० प्रतिशत नैफ्थीन तथा ४० प्रतिशत ऐरामैरिक है ।

चांदी की खानें

†२८२४. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चांदी का उत्पादन करने वाली खानें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक उन्पादन क्या है ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री श्री हजरनवीस : (क) भारत में ऐसी कोई खान नहीं है जिसमें केवल चांदी का उत्पादन होता हो। चांदी सोने तथा रांग के टुकड़ों से निकलती हैं। देश में वाणिज्यक रूप से चांदी कोलार सोने की खान, उपक्रम की मैसूर का सोन की खानों तथा हट्टी सोने की खान कम्पनी और केरल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की राजस्थान में रांग तथा जस्ते का खान से प्राप्त होती है ।

(क) गत तीन वर्षा में देश के चांदी का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम)
१९५९ . . .	३८८१
१९६० . . .	४१२८
१९६१ . . .	५९४१

राजनैतिक पेंशने

२८२५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री इस आशय का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को, किन-किन कारणों से, कितनी-कितनी मात्रा में राजनैतिक पेंशन दी जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : अपेक्षित विवरण की एक समेकित सूची तैयार करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि राजनैतिक पेंशनो का प्रबंधन भारत सरकर की ओर से सम्बन्धित राज्य सरकारें करती हैं। सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र-अति-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली छावनी बोर्ड

†२८२६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अनुसार बोर्ड के निर्वाचित उप-सभापति को अविश्वास मत की अधिकता से कार्यालय से हटाया जा सकता है ;

(ख) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों से स्पष्टीकरण के लिए ऐसी कोई प्रार्थना मिली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्रार्थना की जाँच हो रही है ।

मिलिटरी अस्पतालों के नर्सिंग अफसरों के मेस के कर्मचारी

†२३२७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटरी अस्पतालों के नर्सिंग अफसरों के मेस के कर्मचारियों के लिये सेवा की कोई दशायें नहीं हैं ;

(ख) क्या उन्हें प्रति मास ४० और ५० रुपये के बीच वेतन दिया जाता है और उन्हें कोई महंगाई भत्ता या मकान का किराया नहीं दिया जाता ;

(ग) क्या उनका यह वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी के अनुरूप है ; और

(घ) सरकार उनकी सेवा की दशाओं के बारे में क्या करने का इरादा रखती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) जी, हाँ । इसका कारण यह है कि ये कर्मचारी मेस के नौकर हैं न कि सरकारी कर्मचारी यद्यपि सरकार उनका व्यय वहन करती है ।

(ख) इन कर्मचारियों का मासिक वेतन ३४ रुपये से लेकर ५७ रुपये तक होता है और उन्हें महंगाई भत्ता या मकान किराया नहीं दिया जाता ।

(ग) इन कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि नर्सिंग अफसरों के मेस में सेवानियोजन इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं है ।

(घ) मेस के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिये उनकी सेवा की वर्तमान दशाओं का पुनरीक्षण सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली कैन्टोनमेंट के मिलिटरी अस्पताल के असैनिक कर्मचारियों से लिया जा रहा व्यवसाय-कर

†२३२८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि दिल्ली कैंटोनमेंट के मिलिटरी अस्पताल के कर्मचारियों से व्यवसाय-कर वसूल किया जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी म

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इन कटौतियों को किस प्रकार नियमित करने का इरादा रखती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कर की राशि की कटौती नियमों के अन्तर्गत की जाती है ।

राजस्थान विद्यापीठ को सहायता

†**२८२९. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा किसी केन्द्रीय निकाय द्वारा राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर को कोई आर्थिक सहायता या अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो १९५७ से अब तक कितना ;

(ग) क्या यह सच कि उक्त विद्यापीठ के कार्यों की जाँच की गई थी जिससे लगभग ५,३०,००० रुपये का ग़बन और दुष्करण प्रकाश में आया था ;

(घ) क्या केन्द्रीय या राज्य सरकार के पास कोई ऐसा प्रतिवेदन है जिसमें विघापीठ की शोचनीय स्थिति की जानकारी निहित है ;

(ङ) यदि हाँ, तो यह प्रतिवेदन क्यों प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ; और

(च) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हाँ।

(ख) १,४४,७१२ रु० ।

(ग) विस्तृत जाँच जारी है ।

(घ) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजस्थान में स्कूटर फैक्टरी

†**२८३०. श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में एक स्कूटर बनाने की फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या अभी हाल तक रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख) राजस्थान में स्कूटर बनाने की फैक्टरी की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

इससे पहले राजस्थान में स्कूटर/मोपडे बनाने के लिये नये उपक्रमो की स्थापना के बारे में कुछ योजनायें प्राप्त हुई थीं जो अस्वीकार कर दी गई क्योंकि प्रस्तावित निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता के उपक्रम की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया जा चुका था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भावात्मक एकता

†२८३१. **डा० लक्ष्मीमलम सिंघवी :** क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांस्कृतिक जानकारी के विनिमय तथा भावात्मक एकता के लिये दक्षिण और उत्तर भारत के शिक्षकों, छात्रों, कलाकारों, व्यापारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के परस्पर अल्पकालीन आदान-प्रदान पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) से (ग). मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कलाकार भेजने की योजनायें कार्यान्वित की हैं। जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लेखकों का सम्मेलन हुआ है वहाँ मंत्रालय ने अनुदान दिया है और वह भारत की सभी प्रमुख भाषाओं के लेखकों के एक शिविर का आयोजन कर रहा है। तीन राष्ट्रीय अकादमियाँ थी देश भर के लेखकों और कलाकारों के सम्मेलन आयोजित करती हैं। यद्यपि इस मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अलग से कोई योजना नहीं बनाई तथापि देश भर के शिक्षक, छात्र और व्यापारी समय-समय पर आयोजित सम्मेलनों, सेमिनार और बैठकों में भाग लेते हैं।

दिल्ली कैन्टोनमेंट में मलवाहन शुल्क

†२८३२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली कैंटोनमेंट की असैनिक जनता से निम्नलिखित दरों से मल-वहन शु. वसूल किया जाता है :—

(१) १५ रुपये तक मासिक किराया देने वालों से प्रति रुपये पीछे १५२ नये पसे।

(२) १५ रुपये से अधिक मासिक किराया देने वालों प्रति रुपये पीछे २५ नये पैसे।

(. कैन्टोनमेन्ट बोर्ड असैनिक जनता को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस शुल्क की वसूली को समाप्त करने के लिये योजना बनाई है क्योंकि दिल्ली नगर निगम भी अपने क्षेत्र के निवासियों ऐसा कोई कटर वसूल नहीं करता ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम ने भी सफाई कर लगा दिया है।

उड़ीसी नृत्य

†२८३३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उडिसी नृत्य को मान्यता देने और उसके विकास के लिये क्या कदम उठाये गये और उनका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : संगीत नाटक अकादमी ने "परम्परागत नृत्य प्रकार" की श्रेणी के अन्तर्गत अकादमी पुरस्कार के प्रयोजन से उड़िसी नृत्य को मान्यता दी है और उसके विकास के लिये संस्थाओं को अनुदान दिये हैं ।

आसाम के अकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय में कर्मचारी संघ

†**२८३४. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाउन्टेन्ट जनरल का कार्यालय, आसाम के कर्मचारी संघ को प्रदत्त मान्यता मार्च, १९६० में रद्द कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध समाप्त कर देने बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उक्त संघ को पुनः मान्यता देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). उक्त संघ ने मान्यता की शर्तों और विनियमों का उल्लंघन किया था इसलिये उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी और उस मान्यता देने के प्रश्न पर विचार तभी किया जायेगा जब संघ को बताई गई शर्तों को वह पूरा करे ।

बिहार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये घर

२८३५. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिहार राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षत्रों में १९६२-६३ में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बनाने का विचार है ;

(ख) य मकान कहाँ कहाँ बनाये जायेंगे ; और

(ग) इन मकानों में कितने अनुसूचित जातियों के परिवार बसाये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ८८६ । (इस व्यय की पूर्ति राज्य सरकार अपने निजी साधनों से करेगी) ।

(ख) इस बारे में सूचना विवरण में दे दी गई है ।

विवरण

जिले का नाम	अंचल का नाम	गांव का नाम
मुंगेर	अरियारी	१. सोहदी
		२. सहरौरा
		३. देवपुरी
		४. बसंत
		५. ढरौल
		६. बेवाड़ा

†मूल अंग्रेजी में

जिले का नाम	अंचल का नाम	गांव का नाम
मुंगेर (जारी)	शेखपुरा	७. भाटचक
		८. सुलतानपुर
	सिंकंद्रा	९. चन्द्रदीप
		१०. परसामा
		११. दीननगर
		१२. कैथा
	लखीसराय	१३. महसौरा
		१४. बदियामा
		१५. गरसांडा
		१६. भमरिया
		१७. फुलेरिया
		१८. बिहटा
		१९. सिसमा
	हलसी	२०. प्रेमडीहा
		२१. इमामनगर (सूरज)
		२२. दरहौर
	सूरजगढ़	२३. निस्ता
		२४. चेनरिया
		२५. परिया और बनवाबगंज मसहर टोला
		२६. खौरा
भागलपुर		२७. श्री रामपुर
		२८. बसंतपुर
		२९. खुटहा
		३०. इंद्रसेन बंका

(ग) २,००० रुपये ।

केसर का तस्कर व्यापार

†२८३६. **श्री प्र० के० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चोरी छिपे लाया गया केसर पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में कितना केसर आवश्यक होता है और देश में केसर का कितना उत्पादन होता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख) पाकिस्तान से बड़ी माशा में चोरी-छिपे लाया गया केसर नहीं पकड़ा गया है। १९६१ में केवल ६५५० तोले केसर जब्त किया गया था जिस का मूल्य लगभग ५५,००० रुपये था।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

फतहपुरी मस्जिद (दिल्ली) में विस्फोट

†२८३७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के विशेष बम दस्ता फतहपुरी (दिल्ली) मस्जिद के भीतर हुए विस्फोट के सिलसिले में गिरफतार किये गये दो व्यक्तियों से अपराधियों का पता लगाने के लिए और तथ्य मालूम कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सोना जब्त किया जाना

†२८३८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ मई, १९६२ को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सांताक्रूज हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश व्यक्ति के पास निकला २० किलोग्राम सोना जब्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त ब्रिटिश नागरिक के तस्कर व्यापार करने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य होने का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग) बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने १७ मई, १९६२ को सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश नागरिक से २८ किलोग्राम निषिद्ध सोना जब्त किया जिसका मूल्य लगभग ३,३७,००० रुपये है। यह सोना इस व्यक्ति ने पहनी एक विशेष जाकिट में छिपाया हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति तस्कर व्यापार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है। उसे गिरफतार कर बम्बई के मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जिस ने उसे १ लाख रूपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

इस सम्बन्ध में और जांच की जा रही है।

अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प-शुल्क

†२८३९. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत अधिवाक्ताओं को स्टाम्प-शुल्क की छूट दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्य राज्य यह कार्यवाही करें इसके लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुदेन्द्र मिश्र)** : (क) अब तक किसी राज्य में अधिवक्ताओं को स्टाम्प-शुल्क की छूट नहीं दी है। किन्तु पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य की राय है कि १ दिसम्बर, १९६१ से, जबसे अधिवक्ता अधिनियम का तीसरा अध्याय लागू किया गया, अधिवक्ता के रूप में अपने आपको दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर स्टाम्प अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये जा सकते और इसलिए उस तारीख के बाद दर्ज हुए लोगों से कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जा सकता। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीनगर में १९६० में हुए विधि मंत्री सम्मेलन की इस सिफारिश के अनुसार कि दर्ज हो जाने पर किसी अधिवक्ता द्वारा दी जाने वाली कुल फ़ीस जिसमें विधि परिषद् को दी जाने वाली फ़ीस शामिल है, ५०० रूपये से अधिक न होनी चाहिये, स्टाम्प-शुल्क कम करने पर सहमत हो गयी है।

स्टाम्प-शुल्क का विषय राज्यों की सूची में आता है इस कारण केन्द्रीय सरकार इस सम्बध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किन्तु राज्य-सरकारों का ध्यान विधि मंत्री सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिश की ओर दिलाया गया है। उनका ध्यान कुछ संसद् सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार की ओर भी दिलाया गया है कि अधिवक्ता के रूप में दर्ज कराने के लिए ली जाने वाली फीस या तो समाप्त कर दी जाये या उसे काफी कम कर दिया जाये। यहां यह बता दिया जाये कि उत्तर प्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य अपने यहां स्टाम्प-शुल्क घटाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। किन्तु गुजरात, राजस्थान, केरल, बिहार, मैसूर और असम की राज्य सरकारें अब भी इस विषय पर विचार कर रही हैं।

लोहे की नालीदार चादरों और सीमेंट की आवश्यकता और उत्पादन

†२८४०. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय लोहे की नालीदार चादरों और सीमेन्ट की आवश्यकतायें कितनी हैं और इन वस्तुओं का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) देश के साधनों से इन वस्तुओं की मांग को किस हद तक पूरा किया जाता है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश के किस प्रकार तथा कब आत्मनिर्भर होने की संभावना है।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अपंग व्यक्तियों के लिये सेवाओं में स्थान रक्षित करना

†२८४१. { **श्री सरजू पाण्डेय :**
{ **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार नौकरियों में शारीरिक तौर पर अयोग्य व्यक्तियों के लिए स्थान रक्षित किये जायेंगे : और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्नेहकों का आयात[1]

†२८४२. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन कम्पनी भारत को स्नेहको के संभरण के लिए अन्य देशों से बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और कितना स्नेहक आयात करने का इरादा है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख) इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड पूर्व और पश्चिम यूरोप और अमेरिका के व्यापार समवायों से भारत को स्नेहकों के संभरण के लिए बातचीत कर रही है किन्तु रुमानिया से ट्रान्सफार्मर तेल और एक्सल तेल के आयात को छोड़ अब तक कोई और सौदा पक्का नहीं हुआ है । इन तेलों का संरक्षण १९६२ में निम्नलिखित किया जायेगा :—

उत्पाद	मात्रा
एक्सल तेल .	२००० टन जो २०० लिटर के नये ड्रामों में पैक होगा
,, ,, . .	४०० टन
ट्रान्सफार्मर तेल . .	२००० टन जो नये ड्रमों में पैक होगा

विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों का परिहार

†२८४३. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री १८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली छोड़ देने के लिए १९६१ के अन्त तक कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ख) ऐसे कितने मामलों में ऋणों की वसूली छोड़ दी गई है ;

(ग) ऋण की कुल कितनी राशि की वसूली छोड़ देने की प्रार्थना की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

1 Import of Lubricants

(घ) कितनी राशि की वसूली छोड़ दी गयी है ;

(ङ) ऋण की वसूली किस आधार पर छोड़ दी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (घ). ९९७ मामलों में ऋण की वसूली, जिसकी राशि लगभग ६२ लाख रुपये है, छोड़ देने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से अब तक कुल १५५ मामलों में १०.५५ लाख रुपये की वसूली पूरी देय राशि को बट्टे खाते में डालकर या कुछ राशि की वसूली छोड़कर या कुछ राशि के विरुद्ध हिसाब में लेकर छोड़ दी गयी है ?

(ङ) देय राशि प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर छोड़ दी गई है जिनमें अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित आधार शामिल हैं :—

(१) जहाँ वसूली की कार्यवाही के फलस्वरूप उधार लेने वालो, गारन्टी देने वालो को होने वाली कठिनाई से बचा जा सकता था और/अथवा कार्यवाही में इतना समय, श्रम और व्यय आवश्यक हो जो प्राप्त होने वाले लाभ की दृष्टि से बहुत ज्यादा हो ;

(२) जहाँ उधार लने वालों/गारंटी देने वालों पर प्राकृतिक विपत्तियों और/अथवा अन्य बातो का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो ;

(३) जहाँ मकान आदि, जिसे बन्धक रखा गया हो या जो अन्यथा केवल रिहायश के काम में लाया जाता हो, उधार लेने वाले/गारंटी देने वाले से ऋण वसूल करने का एकमात्र साधन प्रतीत होता हो ;

(४) जहाँ शेष राशि की पूरी वसूली संदेहास्पद थी वहाँ कुछ मामलों में देय राशि को निबटाने के लिये कुछ राशि एकमुश्त दे देने पर वसूली छोड़ दी गयी ।

मिलिटरी कैन्टोनमेंटों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

†२८४४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्णय किया है कि मिलिटरी कैन्टोनमेन्टों द्वारा जो स्कूल चलाये जा रहे हैं वे राज्य सरकारों को हस्तान्तरित न किये जायें भले ही उनको चलाने में भारी घाटा उठाया जा रहा हो ;

(ख) क्या यह सच है कि योल कैन्टोनमेन्ट हाई स्कूल घाटे में चल रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ने सरकार से प्रार्थना की है कि वह स्कूल पंजाब राज्य सरकार को सौंप दिया जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो मामला किस अवस्था में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय किया है कि कैन्टोनमेन्ट बोर्डों के स्कूल राज्य सरकारों को हस्तान्तरित न किये जायें ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, खास योलके इस विशिष्ट प्रस्ताव की जाँच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना

†२८४५. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार प्राप्त करने के लिये क्या विशेष रियायतें दी जा रही हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम बना लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में ५ जून, १९६२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५९९ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। सरकारी उपक्रमो द्वारा दी जा रही रियायतों की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार के मामले में दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और रियायतों की जानकारी समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निहित है ।

भारतीय विमान बल के विमान का ध्वंस होना

†२८४६. { **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ मई, १९६२ को कलाइकण्डा (पश्चिम बंगाल) के पास भारतीय विमान बल का एक विमान ध्वंस हो गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो ध्वंस में जान व माल का कितना नुकसान हुआ ;

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(घ) कुल कितना प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) विमान में केवल चालक ही था जो मर गया । विमान नष्ट हो गया । दुर्घटना की जाँच करने के लिए जाँच न्यायालय नियुक्त किया गया है । कितनी हानि हुई, दुर्घटना का क्या कारण था और प्रतिकर दिया जायेगा या नहीं या कितना प्रतिकर दिया जायेगा, ये सारी बातें जाँच न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विदित होंगी ।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त विदेशी सहायता

†२८४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कितने सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्वानुमति से या उस के बिना विदेशों में अपनी प्रतिनियुक्ति सुविधाजनक बनाने के लिए किसी भी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ठीक से क्या सुविधायें दी गई, कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई और उनकी प्रतिनियुक्ति का क्या उद्देश्य था एवं प्रत्येक के आँकड़े क्या थे ;

(ग) क्या सरकार ने समुद्रपार यात्रा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने पर इन कर्मचारियों पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(घ) इस संबध में ठीक से क्या आदेश दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जायेगी और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) दिनांक २१-४-१९६२ का इस मंत्रालय के ओ० एम० संख्या एफ० २५/१५/६२–एस्ट० (ए) की एक प्रति पटल पर रखी जाती है ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

सेना भूमि तथा छावनी निदेशालय

†२८४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशाधीन कोई भी अतिरिक्त अपर डिविज़न क्लर्क उसी स्थिति में सेना भूमि तथा छावनी निदेशालय में नियुक्त नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सेना भूमि तथा छावनी निदेशालय इन आदेशों का पालन कर रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो अस्थायी अपर डिविज़न क्लर्कों की नियुक्ति कैसे की गई है ; और

(घ) इस प्रकार कितने पुरुष अपर डिविज़न क्लर्क नियुक्त किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) हाँ, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) सेना भूमि तथा छावनी निदेशालय में कोई अतिरिक्त अपर डिविज़न क्लर्क के पद पर नियुक्त नहीं किया गया । इससे पहिले के भूमि, किराया पर लेना तथा उत्सर्जन संगठन के १० अपर डिविजन क्लर्कों को सेना भूमि तथा छावनी सेवा में कार्य सहित स्थानान्तरित किया गया था ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के निक्षेप

†२८४९. **श्री राम सेवक** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में चीनी मिट्टी के निक्षेप पाये जाते हैं ; और

(ख) इस प्राकृतिक संसाधन से लाभ उठाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारत के भूतत्त्वीय सर्वेक्षण ने बाँदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में चीनी मिट्टी के कोई निक्षेप नहीं बताये हैं । हाँ, बान्दा जिले में चीनी मिट्टी के अतिरिक्त अन्य मिट्टी के निक्षेप पाये गये हैं ।

(ख) ये निक्षेप आर्थिक दृष्टि से महत्व के नहीं हैं । अतः राज्य द्वारा निकाले जाने के योग्य नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन-वृद्धि

†२८५०. **श्री बृजराज सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के सशस्त्र सेना मुख्यालय में एक बड़ी संख्या लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अपर डिविजन क्लर्कों की है जिन्हें पिछले अनेक वर्षों से वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसे ऐसा क्यों चलने दिया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

सशस्त्र वायु सेना मुख्यालय के कर्मचारी

†२८५१. **श्री बृजराज सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष १९५३ से सशस्त्र वायु सेना मुख्यालय के कर्मचारियों सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए 'विलय योजना' और 'क्षेत्रीय योजना' जैसी विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है परन्तु अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ;

(ख) क्या कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, निश्चय करने में कितना समय लगेगा और देर होने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सशस्त्र वायुसेना मुख्यालय के असैनिक कमचारियों के विभिन्न संगठनों के मत मांगे गये हैं । निश्चय करने में कुछ और समय लगेगा ।

संघ लोक सेवा आयोग

†२८५२. **श्रीमती रेणुश बड़कटी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियुक्तियों सम्बन्धी संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होने में पर्याप्त समय लग जाता है;

(ख) क्या इन विज्ञापनों के अनुसार अपेक्षित प्रपत्रों के लिए आयोग को लिखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को प्रपत्र बहुत देर से प्राप्त होते हैं और तब उन का उन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता से कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस शिकायत को दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) योग्यता परीक्षाओं तथा मौखिक परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों सम्बन्धी संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में छपने और भारत के महत्वपूर्ण नगरों से निकलने वाले कुछ अखबारों में प्रकाशित होते हैं । आयोग मुफस्सल अखबारों को विज्ञापन नहीं भेजता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आसाम के एक अखबार में विज्ञापन के देर से प्रकाशित होने के बारे में आयोग को शिकायत मिली थी। जिस उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि वह प्रकाशन में देर होने के कारण समय पर प्रार्थनापत्र नहीं भेज सका, उसका प्रार्थनापत्र आयोग ने स्वीकार कर लिया था।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

†२८५३. **श्री वीरेन्द्र दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें ५ से ८ वर्ष तक की अवधि से भी अधिक समय सेवा करते हो गया किन्तु अभी तक अर्ध-स्थायी नहीं बने हैं; और

(ख) इतने अधिक समय तक उन्हें अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के कर्मचारी

†२८५४. **श्री वीरेन्द्र दत्तः** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन से त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् सेवाओं को स्थानान्तरित कर्मचारियों को पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त होंगे, जिस के लिये वे त्रिपुरा प्रशासन के अधीन हक़दार थे;

(ख) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारियों को पेंशनों की मंजूरी नहीं मिलती; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). अपने कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पहुंचाना सामान्यतया परिषद् का उत्तरदायित्व है। स्थानाँतरित कर्मचारियों की पेंशन मंजूर करने में कुछ विलम्ब का कारण यह था कि इस काम के लिये विस्तृत प्रक्रिया तय करनी थी। तब से इस सम्बन्ध में एक अन्तरिम प्रक्रिया परिषद् द्वारा स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार ने बना ली है। त्रिपुरा प्रशासन, प्रस्तावित प्रक्रिया को परिषद् द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् साधारण सरकारी प्रक्रिया के अनुसार परिषद् की ओर से उन कर्मचारियों की पेंशन मंजूर करने में अग्रेतर कार्रवाई करेगा।

तोपखाने के 'रेक्युपरेटर्स' में प्रयोग में आने वाला तेल

†२८५५. **श्री द्वा० ना० तिवाड़ी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोपखाने के 'रेक्युपरेटर्स' में प्रयुक्त होने वाले तेल का आयात किया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिय क्या उपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हाँ । तेल समवाय इस तेल का अपनी ओर से आयात करते हैं ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है ।

पश्चिम जर्मनी से मुद्रण यंत्र

†**२८५६. श्री नि० रं० वास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उपयोग के लिये एक आधुनिकतम मुद्रण यंत्र (प्रिंटिंग प्रेस) सरकार को दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रेस को किस उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) इस प्रेस के कहाँ पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी हाँ, पश्चिम जर्मनी ने उपहार के तौर पर एक 'प्रेस' देने के लिये कहा है ।

(ख) इस 'प्रेस' को पाठ्य पुस्तकों और बच्चों की पुस्तकें छापने के लिये उपयोग में लाने का विचार है ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

एक आयरिश यात्री की मृत्यु

२८५७. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१/२२ मई की मध्य रात्रि को एक आयरिश यात्री, जो वायुयान द्वारा मेलबोर्न से आयरलैंड जा रहा था, रास्ते में ही मर गया और पालम हवाई अड्डे पर उस का पता लगा; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस यात्री की मृत्यु के कारणों व परिस्थितियों की जाँच पड़ताल के परिणाम आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

६४ वर्षीय श्री जेम्स जोज़फ गाल एक आयरिश नागरिक था जो आस्ट्रेलिया में रहता था । वह भयंकर रूप से जोड़ों की सूजन का रोगी था । अपने जीवन के अन्तिम दिन अपनी जन्म भूमि में गुज़ारने के लिये वह क्वाँटस वायुयान परिवहन के वायुयान में सिडनी से लंदन जाने के लिये सवार हुआ । उसकी हालत ठीक नहीं थी अतः रास्ते के सभी विराम-स्थलों को उसे यथासम्भव सुविधाएं देने के लिये समुद्री तार द्वारा सूचित कर दिया गया था । वायुयान के कप्तान को भी गाल की अवस्था के बारे में सूचित कर दिया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

मार्ग में २२-५-६२ को २-२० पूर्वाह्न पर श्री गाल की मृत्यु हो गई। उसी दिन ३-३० बजे पालम हवाई अड्डे पर पहूंचने से लगभग एक घंटा पूर्व उनकी मृत्यु का पता चला।

लाश को उसी दिन पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। पोस्टमार्टम से ज्ञात हुआ कि मृत्यु स्वाभाविक कारणों से दिल की धड़कन रुक जाने के कारण हुई।

दिल्ली में अग्नि कांड

२८५८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ और २६ मई, १९६२ के बीच दिल्ली में आग लगने की कई घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सब के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार के अग्नि कांडों में तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये कौन-सी विशेष व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) तथा (ग). अग्नि शामक दल की छोटी मोटी बुलाहटों के अतिरिक्त, दिल्ली में २१ से २६ मई १९६२ के दौरान में आग लगने की दो सख्त घटनायें हुईं। आग की सख्त घटनाएं जो घटीं उन के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण-पत्र संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

जहां तक सहायता-कार्य का सम्बन्ध है, दिल्ली के उप-आयुक्त निःशुल्क दान के रूप में देने के लिए कुछ नकदी का इंतजाम करते रहे हैं। इस भुगतान का अभिप्राय उन लोगों को जो संकट के कारण भूखे मर जाने की स्थिति में हैं, तुरन्त सहायता प्रदान करना है। दिल्ली रेड क्रास सोसाइटी भी दूध, दवायें, कपड़े आदि बांटने के रूप में सहायता-कार्य करती है।

दिल्ली नगर निगम उन लोगो को जिन के निवास-स्थान की क्षति हुई है, १० से २५ रु० तक की नकद सहायता देने का इंतजाम कर रहा है। आवश्यकता होने पर प्रत्येक मामले में शामियाना आदि के रूप में तुरन्त आश्रय देने तथा पकाया हुआ भोजन और पानी का प्रबन्ध भी किया जाता है।

भारत-पाक सीमा पर स्थित गांव में हथ गोले फेंकना

२८५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ मई, १९६२ की रात को अमृतसर से लगभग चालीस मील की दूरी पर स्थित भारत-पाक सीमा के निकट गाँव बलटोहा के एक मकान पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दो हथगोले फेंके गये, जिस से कि उस मकान के एक अंश को हानि पहुंची और तीन बच्चों को चोटें आईं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उस घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड दिलाने और भविष्य में रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). नहीं। २३/२४ मई, १९६२ की रात को चार व्यक्तियों ने अमृतसर जिले के बलटोहा गांव में मखन सिंह के मकान के अहाते में दो बम फैंके। केवल एक भैंस जख्मी हुई। इसके अतिरिक्त और किसी को चोट नहीं आई। कहा जाता है कि आक्रमणकारियों को पहचान लिया गया था और उन में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। आक्रमण का कारण ज़मीन के बारे में पिछली दुश्मनी बताया जाता है।

(ग) भारत दंड संहिता की धारा ३०७ और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ की ४, ५, ६ धाराओं के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२८६०. **श्री डेविड मुंज़ी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० में काम करने वाले कुछ विस्थापित कामगारों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं और वे अभी तक अस्थायी झोंपड़ियों में रहते हैं; और

(ख) स्टील कम्पनी में काम करने वाले इन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों को जो हिन्दुस्तान स्टील लि० में काम करते हैं राज्य सरकारों द्वारा, इस्पात टाउनशिपों के समीप स्थापित की गई पुनर्वास बस्तियों में स्थान दिया गया है। विस्थापित लोगों को रोजगार के मामले में अग्रतर दी जाती है और नौकर बन जाने के पश्चात् कम्पनी के क्वार्टरों का आवंटन कम्पनी के सब कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार किया जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना

†२८६२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना स्थापित होने के समय लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणीवार पृथक् पृथक् कितनी संख्या थी;

(ख) १ मई १९६२ को उनकी कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया है और अपर डिवीजन क्लर्कों को इस योजना के प्रारम्भ होने से लेकर विभागीय परीक्षा के आधार पर सहायक बनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क)

	अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों की संख्या . .	लगभग १,५००
	लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों की संख्या . .	लगभग ६,१००
(ख)	अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों की संख्या . .	लगभग २,९००
	लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों की संख्या . .	लगभग ९,५००

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपर डिवीजन पद-क्रम में सभी रिक्त स्थान जो समय समय पर उपलब्ध होते रहे, लोअर डिवीजन क्लर्कों के पद-क्रम से पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं और ४,३९० स्थायी क्लर्कों में से, जो वृष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये अर्ह थे, २,८१४ को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया है। शेष या तो इस से उच्च पदों पर थे या अन्य संवर्गेतर पदों पर लग चुके थे और अपर डिवीजन क्लर्क बनने के लिये तैयार नहीं थे।

अपर डिवीजन क्लर्कों से सहायक पद पर पदोन्नति सम्बन्धी स्थिति श्री प्र० चं० बरुआ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर में २० मार्च, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है। तब से ५० स्थायी अपर डिवीजन क्लर्कों को सहायक पदोन्नत करने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†२८६३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर ऐंड आर) योजना के पदक्रम में स्थानांतरण ब्यूरो और रोजगार दफ्तरों के अभिकरण के द्वारा, नियुक्ति के लिये कुल कितने व्यक्ति भरती किये गये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : सूचना उपलब्ध नहीं है।

सहायकों की कमी

†२८६४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय (आर ऐंड आर) योजना लागू होने के पश्चात्, इस योजना के चतुर्थ पद-क्रम (सहायकों) की भरती के लिये संघ लोक सेवा आयोग में कितनी खुली प्रतियोगी परीक्षाएं ली हैं;

(ख) प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग कितने सहायक भरती गिये गये थे;

(ग) इस योजना की संधारण स्थिति कब लागू हुई थी; और

(घ) तब से सहायकों के कितने रिक्त स्थान वर्षवार, सहायकों के दर्जे से कम के अनुसचिवीय पद क्रम वाले कर्मचारियों को दिये गये थे?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना नीचे दी जाती है :

क्रमांक	परीक्षा का व्योरा	योजना के सहायक संवर्ग में नियुक्त लोगों की संख्या
१	जुलाई १९५५ (केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये)	९८
२	नवम्बर १९५५	८००
३	जुलाई १९५७	४००
४	अप्रैल १९५९ (केवल अनुसूचित जातियों के लिये) .	२१
५	मई १९५९	१५०
	योग	१,४६९

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण श्री प्र० चं० बरुआ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर में २० मार्च, १९६२ को लोक सभा के पटल पर हाल ही में रखा गया था। तब से, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के ५० स्थायी अपर डिवीजन क्लर्कों को सहायक के संवर्ग में पदोन्नत करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

दिल्ली के लिए बिक्री कर अधिकरण

†२८६५. { **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक पृथक् बिक्री कर अधिकरण की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांग को स्वीकार करने का इरादा है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†२८६६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी अनुदेशों का पालन न करने तथा अन्य कारणों से चालू वर्ष में अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २८।

(ख) भारतीय पारपत्र अधिनियम १९२० तथा उसके अधीन बनाये नियमों तथा विदेशी अधिनियम १४९६ के अधीन अभियोग चलाये गये हैं।

भारतीय एवरेस्ट अभियान

†२८६७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐवरेस्ट अभियान सफल रहा है; और

(ख) वैज्ञानिक तथा अन्य क्षेत्रों में अभियान के निष्कर्ष क्या हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) सभा को विदित है कि अभियान असाधारण तौर पर बुरे मौसम के कारण, अभियान दल द्वारा २८,६०० फुट तक चढ़ जाने, अर्थात् चोटी से केवल ४०० फुट नीचे तक जा कर, वापिस लौट आया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दल के लौट आने पर अपेक्षित सूचना दी जायेगी ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†२८६८. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों में, सरकारी, सरकारी सहायता पाने वाले और गैर-सरकारी, में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, अध्यापकों के वेतन-क्रमों सम्बन्धी सही सांख्यिकी उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). लोक सभा में ५ जून, १९६२ को श्री एस० के० पाटिल के अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†२८६९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर ऐंड आर) योजना में १ मई १९६२ को सहायकों के कितने पद खाली थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: सहायकों के लगभग ११५ पद १ मई, १९६२ को सी० एस० एस० (आर ऐंड आर) योजना में सम्मिलित मंत्रालयों/विभागों में खाली थे। इस संख्या में से, इस समय अपर डिवीजन क्लर्कों में से अस्थायी पदोन्नति के द्वारा ५० पद भरने का निर्णय किया गया है।

दिनांक १८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के भाग (ख) के बारे में सही स्थिति यह है कि केन्द्रीय किरायेदार संघ से १३ मई, १९६२ को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली किरायादार नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

साल्ट कोट्र्स रेलवे माल शैड, मद्रास में माल उतारने का काम अस्त-व्यस्त हो जाने का कथित समाचार

†**श्री उमानाथ** (पुद्दुकोट्टाई) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "साल्ट कोट्र्स रेलवे माल शैड्स, मद्रास में माल उतारने की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाने का कथित समाचार ।"

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : गत मई मास के अन्त में साल्ट कोट्र्स शैड के खनिज पदार्थों के साइडिंग में काफी अधिक माल का जमाव हो जाने के कारण ईंधन की

---

†मूल अंग्रेजी में

लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी, इत्यादि के माल डिब्बों की गतिविधि में बड़ा विलम्ब हो गया था। इसीलिये दक्षिण रेलवे ने चालू महीने के प्रारम्भ से, १–६–६२ से अस्थाई तौर पर फ्री टाइम कम करने का निर्णय किया है। स्थानीय समाचारपत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित करा दी गई थी।

१–६–६२ से पहले ईंधन की लकड़ी, लकड़ी का कोयला, इमारती लकड़ी, इत्यादि को अगले दिन शैड बाद होने तक बिना विलम्ब शुल्क अदा किये साइडिंग पर रखे रहने की अनुमति दे दी जाती थी। १–६–६२ के बाद से इन वस्तुओं के माल को १५ घंटे तक उतार लेने की स्थिति में उसी दिन २२ घंटे के फ्री टाइम की अनुमति दी गई और १५ घंटे के बाद उतारे जाने वाले माल के लिये अगले दिन १२ घंटे तक फ्री टाइम की अनुमति दी गई। माल उतारने के लिये जिन ५ घंटों की अनुमति है, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई।

कुछ व्यापारियों ने इस नई व्यवस्था को आजमाये बिना ही ३–६–६२ को अपना माल उतारने से इन्कार कर दिया। उस पर रेलवे ने कुछ माल डिब्बों की व्यवस्था कर दी। इस पर व्यापारी ६–६–६२ को सहमत हो गये। उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया और माल उतारना ही नहीं उसे साइडिंग से हटाना भी शुरू कर दिया। यह घंटे हुए फ्री टाइम की व्यवस्था एक सप्ताह तक रहेगी, जिसके बाद स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा।

५–६–६२ को व्यापारियों के मजदूरों ने सांकेतिक हड़ताल कर दी थी। वह कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई हैं।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह सच है कि अब रेलवे अधिकारियों ने एक सप्ताह तक माल उतारने की व्यवस्था का काम देख कर, बाद में फ्री टाइम निश्चित करने की बात मान ली है।

†**श्री सं० वें० रामस्वामी** : मैंने बताया है कि यह व्यवस्था एक सप्ताह तक आजमाई जायेगी। साल्ट कोर्ट्स में स्थानाभाव के कारण, अन्य स्थान पर एक गोदाम बनाने का विचार हो रहा हैं।

दिल्ली में परमाणु बम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में प्रस्तावित अणु-बम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को भेजा गया निमंत्रण।"

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैंने इसकी जांच की है। वह निमंत्रण 'गांधी पीस फाउन्डेशन' ने जनवादी चीन गणराज्य की जनता को नहीं, बल्कि एक सज्जन श्री कुओ मो जो को भेजा गया है। गांधी पीस फाउन्डेशन सरकारी संस्था नहीं है, हां, उसके कुछ सदस्य सरकारी लोग अवश्य हैं। उस संस्था की एक उपसमिति ने निमंत्रण भेजे है। सम्मेलन कुछ सीमित व्यक्तियों का ही है। शायद १५–२० लोग बाहर से आयेंगे। उनमें इन सज्जन, श्री कुओ मो जो का नाम भी शामिल हैं। इससे अधिक मुझे कोई जानकारी नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इसकी क्या गारंटी है कि जनवादी चीन गणराज्य के उपसभापति यहां आकर उसी तरह बर्ताव नहीं करेंगे जैसाकि पिछली बार दिल्ली में होने वाले विश्व शान्ति सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि मंडल ने किया था ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनको आमंत्रित करने का हमारे और चीन के पहले ही बिगड़े सम्बन्धों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ही । मैं उसके पक्ष में कुछ कह रहा हूं, और न विपक्ष में। केवल इतना कह रहा हूं कि हमारे मौजूदा सम्बन्धों पर उसका प्रभाव पड़ना बिल्कुल ही जरूरी नहीं हैं । आशा है कि वह पहले की तरह बर्ताव नहीं करेंगे ।

जो भी हो, सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अणु-बम-विरोधी सम्मेलन से भी सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये एल० टी० संख्या १८४/६२]**

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : मेरा एक औचित्य प्रश्न हैं। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रतिवेदन अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में रख दिये जाने चाहियें पर माननीय मंत्री अभी १९६१–६२ के बजाय १९६०–६१ का प्रतिवेदन रख रहे हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह मैं मानता हूं । इसमें विलम्ब हुआ है । और, विलम्ब के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य जल्दी ही सभा में देने जा रहा हूं । उससे सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस स्पष्टीकरण के बाद ही, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा कि विलम्ब उचित है अथवा नहीं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९-६०

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: मैं, श्री स्वर्ण सिंह की ओर से, वर्ष १९५९–६० के लिये आय व्ययक सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं घोषणा करता हूं कि ११ जून, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का क्रम इस प्रकार होगा :—

(१) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

(३) शेष अनुदानों की मांगों का पेश करना और उन पर मतदान ।

(४) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर विचार और पारण ।

(५) वर्ष १९५९–६० के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य), वर्ष १९५९–६० के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज़), पर चर्चा और मतदान ।

(६) राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार और पारण ।

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्यों ने विदेशी मुद्रा की स्थिति के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई प्रश्न पूछे हैं । विश्व बैंक द्वारा आयोजित संस्था की गोष्ठी के निष्कर्षो और पौण्ड पावने के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गये थे । इनकी सही स्थिति बतलाने के उद्देश्य से मैं पूरी स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दे रहा हूं ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय तृतीय पंच वर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, उस समय पौंड पावने की हमारी शेष राशि १३६ करोड़ रुपये थी, इसलिये कि द्वितीय योजना का व्यय पूरा करने के लिये उसमें से काफी राशि निकालनी पड़ी थी ।

अनुमान था कि योजना को सफल कार्यान्विति के लिये हमें २,६००० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी । इसमें से ७०० करोड़ रुपये पुर्जे और कच्चे माल के आयात के लिये और १,९०० करोड़ रुपये योजना की परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में विदेशी मुद्रा का भाग पूरा करने के लिये अपेक्षित थे ।

द्वितीय योजना में विदेशी सहायता के लिये जितनी राशि का वचन मिला था, उसमें से बची राशि के अतिरिक्त गत वर्ष और अधिक सहायता का वचन मिला था । इस प्रकार तृतीय योजना की बहुत सी परियोजनायें विदेशी सहायता के रूप में मिलने वाली राशि से पूरी की जा सकती थीं। ऐसी परियोजनाओं में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखाने, मशीन-निर्माण और भारी विद्युत परियोजनायें, योजना की अधिकांश विद्युत-परियोजनायें और रेलवेज़, पत्तनों, कोयले, तेल, उर्वरकों और अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ-क्षेत्र शामिल हैं ।

लेकिन हम आयातों और विकाशशील अर्थ-व्यवस्था पर व्यय के लिये आवश्यक राशि जुटाने में विदेशी सहायता प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में अधिक सफल नहीं है। हमें अपने ऋण सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिये अन्य देशों को बड़ी-बड़ी राशियां चुकानी पड़ी । मशीनों पुर्जों और अन्य विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी राशियां जुटानी पड़ीं । परिणाम यह हुआ कि आयातों में कमी और निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ५८ करोड़ रुपये निकालने के बाद भी, हमारे पौंड पावनों की बकाया राशि केवल ८ करोड़ रुपये की ही रह गई । आर्थिक सर्वेक्षण में जैसा बताया गया है, हमारे अदृष्य लेखे की स्थिति खराब

---

†मूल अंग्रेजी में

होने के कारण, इसमें और भी कमी आ गई थी। आंशिक रूप से, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हम अपेक्षित सीमा तक विदेशी सहायता को उपयोगी रूप में जुटाने में असमर्थ र ।

आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले देशों और संस्थाओं के संघ को एक बैठक गत वर्ष हुई थी। उसमें यह बात स्वीकार की गई थी कि भारत को अपने दायित्वों को पूरा करने और नई परियोजनाओं तथा योजना के पहले दो वर्षों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और अधिक विदेशी सहायता दरकार है। इसी के लिये संघ की एक बैठक पिछले महीने वाशिंगटन में हुई थी। उस बैठक के बाद निकाली गयी प्रेस विज्ञप्ति को मैं सभा-पटल पर रख रहा हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]** हमें यह जानकर प्रसन्नता होती कि भारत के आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले देशों और संस्थाओं के संघ में नये देश सम्मिलित हुए है। चूंकि हम उसकी बैठकों में बाकायदे एक सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होते, इसलिये उस प्रेस-विज्ञप्ति में मुझे अधिक कुछ नहीं जोड़ना हैं। परन्तु अतिरिक्त सहायता के वचन मिलने पर भी, विदेशा सहायता का कुछ राशि सार्थ संघ द्वारा उचित और आवश्यक समझी गई राशि से कम रही हैं। इसीलिये बैठक को कुछ सप्ताहों तक के लिये स्थगित कर दिया गया था।

अब इसे देखते हुए हमें सोचना है कि स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जायें। हमें सार्थ-संघ से अधिक सहायता मिलने की पूरी आशा तो है, लेकिन फिर भी हमें अपनी नीतियां इस प्रकार की बनानी हैं कि पौण्ड पावने में आगे और कमी न हो जाये।

मैं पौण्ड पावने के पूरे वर्ष के स्तर की बात कह रहा हूं, इसलिये कि अल्पकालीन स्तरों पर इतना अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। आम तौर पर हमारे पौण्ड पावने गर्मियों और बरसात के महीनों में घट जाते हैं और सर्दियों में बढ़ जाते हैं। रिजर्व बैंक ने सोने और कुछ चालू बकाया के रूप में ११८ रुपयों की रक्षित निधि रखी है, उस के अतिरिक्त इस समय हमारा पौण्ड पावना १०० करोड़ रुपये है। हमारी रक्षा का दूसरा उपाय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि की हमारी सदस्यता है, परन्तु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि वर्ष के दौरान हम इस रक्षित राशि में से कुछ न निकाले।

अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस के लिये कौन से उपाय करने की सोच रहे हैं।

इस स्थिति में हमें सब से अधिक जोर अपने निर्यातों में वृद्धि करने पर देना चाहिये। इस के लिये कपास, तिलहन, इत्यादि की कृषीय फसलों पर अधिक जोर देना चाहिये।

साथ ही, विदेशों से जिस सहायता का वचन मिला है, उस का तीव्रगति से उपयोग किया जाना चाहिये। चालू वर्ष में सहायता की राशि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिये।

सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्रों के आयातों में अधिकाधिक कटौती करने का प्रयत्न करना चाहिये। अभी इन मे और अधिक कटौती की गुंजाइश है। रिजर्व बैंक को आदेश दिये गये हैं विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग होने की सभी सम्भावनाओं का निराकरण करे। व्यवसाय या शिक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के बारे में नियमों में भी रद्दोबदल की जा रही है। सभी प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के उपायों पर बड़ी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

आशा है कि सभी माननीय सदस्य इन प्रयासों में हमारे साथ पूर्ण सहयोग करेंगे जिस से कि हमारी भुगतान शेष की स्थिति सुदृढ़ हो सके।

यह सोचना निराधार है कि योजना की गति मन्द करनी पड़ेगी। आवश्यकता तो उस में वृद्धि करने का है। जिन परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता का वचन मिल चुका है, उनको यथाशीघ्र पूरा कर लेने पर हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को दी जायें तो अच्छा रहे ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण यदि चाहें तो प्रकाशन काउन्टर से ले सकते हैं ।

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती राम चन्द्र सौन्दरम्) : मैं डा० का० ला० श्रीमाली की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के संकल्प संख्या एफ० १२२–३/३५–ई, के पैराग्राफ ३(२) (घ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के संकल्प संख्या एफ० १२२–३/३५–ई, के पैराग्राफ ३(२) (घ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वी त्र आ ।

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) . मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री विभुधेन्द्र मिश्र : म विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति जो लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहलायेगी, जिस में पन्द्रह सदस्य, इस सभा के दस सदस्य और राज्य-सभा के पांच सदस्य होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, गठित की जायेगी ;

कि संयुक्त समिति के कृत्य :—

(एक) सब विद्यमान 'समितियों' और उन सब 'समितियों' के जो इस के बाद गठित की जायें, रचना और स्वरूप की जांच करना, जिन की सदस्यता से कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन, संसद् की किसी सभा के सदस्य चुने जाने और रहने से अनर्ह हो जाये ;

(दो) इस के द्वारा जांच की गई 'समितियों' के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पदों से अनर्ह हो जायेगा और कौन से पदों से अनर्ह नहीं होगा ;

(तीन) समय-समय पर संसद् (अनर्हता निवारण) एक्ट, १९५९ की अनुसूची की जांच करना, और परिवर्धन, लोप अथवा अन्यथा उक्त अनुसूची में किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करना ;

होंगे ;

कि संयुक्त समिति समय-समय पर उपरोक्त किसी अथवा सब विषयों के बारे में संसद् की दोनों सभाओं की रिपोर्ट देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति क. बैठक के लिये गणपूर्ति समिति क सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जो अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करता है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति जो लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहलायेगी, जिस में पन्द्रह सदस्य, इस सभा के दस सदस्य और राज्य-सभा के पांच सदस्य होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व

---

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, गठित की जायेगी ;

कि संयुक्त समिति के कृत्य:—

(एक) सब विद्यमान 'समितियों' और उन सब 'समितियों' के जो इस के बाद गठित की जायें, रचना और स्वरूप की जांच करना, जिन की सदस्यता से कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन, संसद् की किसी सभा के सदस्य चुने जाने और रहने से अनर्ह हो जायें ;

(दो) इस के द्वारा जांच की गई 'समितियों' के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पदों से अनर्ह हो जायेगा और कौन से पदों से अनर्ह नहीं होगा ;

(तीन) समय-समय पर संसद् (अनर्हता निवारण) एक्ट, १९५९ की अनुसूची को जांच करना, और परिवर्तन, लोप अथवा अन्यथा उक्त अनुसूची में किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करना ;

होंगे ;

कि संयुक्त समिति-समय समय पर उपरोक्त किसी अथवा सब विषयों के बारे में संसद् की दोनों सभाओं को रिपोर्ट देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जो अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगा ।

श्री केप्पन अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री केप्पन :** (मुवायतुजा) केरल में पहली दो योजनाओं में केवल ०.७९ करोड़ रुपयों का विनियोजन किया गया था । मंत्रालय को केरल के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिय ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कप्पन]

व्यवहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् ने अपने प्रतिवेदन मे लिखा है कि तृतीय योजना के अन्त तक ४१० रुपये प्रति व्यक्ति आय के लिये राज्य की आय १०७.६ प्रतिशत से बढ़नी चाहिये अर्थात् अगले दस वर्षों में कुल विनियोजन लगभग एक हजार करोड़ रुपये होना चाहिये ।

केरल में तृतीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में ४५ करोड़ रुपये के विनियोजन की प्रस्तावना है । उस प्रदेश के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में ४५ करोड़ रुपये का विनियोजन बहुत कम है ।

खेद है कि नेटियामंगलम में 'पाइरो कैमिकल' उद्योग की स्थापना में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और उस का उतरदायित्व राज्य पर डाला जा रहा है । कारखाने का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिये ।

कोचीन में दूसरे जहाज़ बनाने के कारखाने का कार्य और इडुकी योजना भी प्रारम्भ नहीं की गई है । उसे तुरन्त प्रारम्भ किया जाना चाहिये ।

तीसरी योजना में राज्य में कुछ और उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आर्थिक क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है । हमें उस से बचने के लिये अधिक सावधान रहना होगा ।

हमारा औद्योगिक विकास अच्छी तरह से चल रहा था परन्तु कुछ समय से विकास का दर कम होता जा रहा है ।

हमे अधिक उत्पादन करना चाहिये । वह या तो अच्छी कृषि से या खानों के उत्पादन से या औद्योगीकरण द्वारा विदेशी व्यापार से बढ़ सकता है ।

हमारा ऋण बढ़ता जा रहा है । यह निर्यात बड़ाने से हो सकता है । हमें आयात घ्यानपूर्वक करना चाहिये । बहुत आवश्यक वस्तुओं का आयात करना चाहिये । आयात के मुकाबले में हमारा निर्यात कम है। आयातों को कम से कम स्तर पर लाना चाहिये और निर्यातों को यथासंभव बढ़ाया जाना चाहिये ।

निर्यात के बीजक कम दिखाने और आयात के बीजक अधिक दिखाने से जो विदेशी मुद्रा की चोरी की जाती है उसे रोका जाना चाहिये । जिन लोगों के पास दूसरे देशों में विदेशी मुद्रा पाई गई है, उन को उन के आयात तथा निर्यात के लाइसेंस रद्द कर के दण्डित किया जाना चाहिये । देश में चोरी से सोना न लाया जाये इस के लिये अधिक चौकसी रखी जानी चाहिये ।

ब्रिटेन के युरोपीय साझा बाजार में शामिल होने से हमारा २० प्रतिशत व्यापार कम हो जायगा । हमें ब्रिटेन तथा अन्य मित्र देशों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और देखना चाहिये उन के युरोपीय साझा बाजार में शामिल होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

हमारे व्यापार को बहुत हानि होगी यदि परिवहन और कोयले सम्बन्धी गत्यावरोध दूर न किया गया । उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार को नये उद्योगों का विभिन्न राज्यों में समान विभाजन भी सुनिश्चित करना चाहिये । इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें नहीं होनी चाहियें ।

---

†मल अंग्रेज़ी में

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : मंत्रालय का प्रतिवेदन अपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिन में करोड़ों रुपये विनियोजित किये गये हैं का व्यापारिक ब्यौरा नहीं दिया गया है। इन उपक्रमों के कार्यकरण का कामचलाऊ विवरण दिया गया है।

सरकार ने तीसरी योजना में, इन उपक्रमों से लगभग ४५० करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान किया था। यह बताना चाहिये कि वास्तव में कितनी प्राप्ति की आशा है।

खेद है कि राज्य व्यापार निगम आयातकों तथा अन्य व्यापार संस्थाओं से उनके लिये आदेश प्राप्त करने के लिये अधिक कमीशन लेता है।

हम ने विदेशी ऋण और उस पर ब्याज देना है। उस के लिए निर्यात अधिक होने चाहियें। निर्यात में जो रुकावटें हैं, उन्हें हटाना चाहिये।

निर्यात की परम्परागत प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में कमी के कारण बताये जाने चाहियें। जिन बातों से विदेशी मुद्रा की हानि होती है उनको रोका जाना चाहिये और राज्य व्यापार निगम का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वह समस्त निर्यातों तथा आयातों का पूर्ण कार्य ग्रहण कर ले।

कपड़ा उद्योग ने जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है उस से अधिक खपत कर ली है। कपास के मूल्य स्थिर रहने के बावजद कपड़े के मूल्य बढ़ गये हैं। कपास के मूल्य पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं परन्तु मिल मालिकों के साथ जो कपड़े के मूल्यों के स्वेच्छा से नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी उस से मिलों को ही लाभ हुआ है। उन्हों ने नये डिजाइनों के नाम पर ग्राहकों की गांठ काटी है।

"सैनफोराईजिंग" प्रक्रिया बन्द की जानी चाहिये, क्योंकि प्रोसेसिंग मशीनों के लिये बहुत अधिक विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। कपड़े के मूल्य कम कराने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

खेद है कि नियोजकों ने अपने कर्मचारियों को रहने का स्थान नहीं दिया है जैसा जापान इत्यादि देशों में दिया जाता है। जबकि कारखानों की संख्या बढ़ी है, कर्मचारियों की संख्या कम हुई है।

सुरक्षा तथा किस्म नियंत्रण संबंधी शर्तों का पालन उन के क्रियान्वयन की अपेक्षा उल्लंघन में ही अधिक किया जाता है।

मुख्य खाद्य पदार्थों के निर्यात अथवा प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इन वस्तुओं के वायदा व्यापार पर भी रोक लगाई जानी चाहिये।

विदेशी सहयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। महात्मा गांधी के 'स्वदेशी' के आदर्श को पुनर्जीवित करना चाहिये। विदेशों से ऋण लिये जा सकते हैं, परन्तु वे ऐसी भारतीय व्यापार संस्थाओं में विनियोजित किये जाने चाहियें जिन में भारतीय कर्मचारियों की संख्या अधिक हो और समस्त मजदूर भारतीय हों। सरकार को विदेशी सहयोग के मामले में अपनी नीति बदलनी चाहिये, क्योंकि लोग इसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यह नीति देश के लिये अहितकारी है। जो क्षेत्र भारतीय उद्यम के लिये आरक्षित किये गये थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : तीसरी योजना में ६,००० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जिस में से २,००० करोड़ रुपये नई परियोजनाओं के लिये हैं, ६०० करोड़ रुपये ऋणों को चुकाने के लिये हैं और ३,८०० करोड़ रुपये संधारण प्रयोजनों के लिये। निर्यातों से ३,८०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का विचार है और २,६०० करोड़ रुपये विदेशों से उधार लेने का। परन्तु यह एक विरोधी बात है कि हमारे औद्योगिक विकास की प्रगति के साथ हमारे आयात भी बढ़ते जा रहे हैं। पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना में उन में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। तीसरी योजना में ६,३५० करोड़ या १,२७० करोड़ रुपये जिस में पी० एल० ४८० समझौते के अन्तर्गत आयात भी शामिल है, का आयात होगा।

हाल में यह प्रवृत्ति चल पड़ी है कि २,६०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो सकेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी सहायता में कटौती करने का विचार कर रहा है। पश्चिम जर्मन संसद् रूरकेला परियोजना के लिये सहायता रोक रही है और रूस बिजली के उपकरण के सम्भरण में देर कर रहा है। इसलिये योजना आयोग ने राज्यों से तीसरी योजना में सम्मिलित योजनाओं को तब तक शुरू न करने के लिय कहा है जब तक कि उन के लिये विशेष रूप से विदेशी मुद्रा आवंटित न की जाये और कोई नई परियोजना शुरू न करने की प्रार्थना की है। परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई की पहले से ही आशा थी, क्योंकि योजना के अन्दर ही संकट उत्पन्न हो गया था और हमें स्थिति का पूरी कोशिश कर के मुकाबला करना चाहिये।

यद्यपि हमारे आयात बढ़ गये हैं, निर्यात में बहुत नगण्य-सी वृद्धि हुई है। जहां तक तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में निर्यात का सम्बन्ध है, इस मे २० करोड़ रुपये की कमी हुई है। यदि हम तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है यदि हम अपने देश में उत्पादन बढ़ायें, लागत को कम करें, खपत को घटायें, किस्म को अच्छा करें और प्रोत्साहन दें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

और इस बात को देखते हुए कि हमें अपते निर्यात का स्वरूप बदलना होगा या यह आवश्यक है कि हम एक कुशल निर्यात सेवा बनायें।

यह खेद की बात है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया है घरेलू बाजार संरक्षित बाजार होने के कारण उत्पादकों के लिये यह अधिक आकर्षक है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निर्यात के लिये प्रोत्साहन के तौर पर निर्यातकों को उन के द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा का १० से १५ प्रतिशत तक भाग वे जिस चीज का आयात करना चाहें उस में खर्च करने की अनुमति देनी चाहिये।

हमारा उत्पाद बिक सके, इसके लिये आवश्यक है कि वह गुण, प्रकार और नमूने में अच्छा हो।

हमारे पास निर्यात के लिये मुख्य चीज चाय हैं और ब्रिटेन ने युरोपीय साझे बाजार में चाय के निःशुल्क प्रवेश का सवाल उठाया हैं किन्तु दुर्भाग्य से फ्रांस इसका विरोध कर रहा हैं। यह हर्ष हैं कि चाय के उद्योग को कुछ रियायतें दी जानी चाहिये क्योंकि अन्य देशों से मुकाबला बढ़ रहा हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन के युरोपीय साझे बाजार में सम्मिलित होने से हमारे निर्यात को हानि पहुंचेगी। युरोप में और भी आर्थिक संगठन हैं जिनके द्वारा इससे भाग लेने वाले अपने व्यापार को बढ़ाने की आशा करते हैं। इस बात का ध्यान रखने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये कि हमारे हितों को हानि न पहुंचे।

हमारे विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ कदम उठाये थे और यह आशा है कि उसे सफलता मिलेगी। उसे हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से सहयोग की आवश्यकता हैं। यह आशा हैं कि राज्य भी इस विषय में अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे। इस समय वे इस विषय की उपेक्षा कर रहे है।

†**श्री अब्दुल वहीद** (वेल्लोर) : श्री मुरारका ने आयात-निर्यात की स्थिति विस्तार से बतलाई हैं। मैं उन के दष्टिकोण का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि पिछले दस वर्षों में हमारे निर्यात व्यापार की स्थिति इतनी खराब नहीं थी।

हम ने जो सफलता प्राप्त की हैं, वह प्रशंसनीय हैं। पिछले दो वर्षों में ही हमने काफी प्रगति की हैं। पिछले ५ या ६ वर्षो में हमने इंजीनियरिंग के सामान और मशीनरी आदि के व्यापार को विकसित किया हैं। यदि पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना की जाये, तो मालूम होगा कि औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में हमने उल्लेखनीय प्रगति की हैं। हमारा औद्योगीकरण केवल ७ या ८ वर्ष पहले शुरू हुआ था। जब हमारे उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। पर यह आवश्यक हैं कि हम औद्योगिक सामान मुकाबले की दरों पर तैयार करें। इसके लिये हमें सबका, विशेषकर श्रम का सहयोग चाहिये और हमें उत्पादन व्यय कम से कम रखना पड़ेगा। उत्पादन व्यय बड़े पैमाने पर उत्पादन कर के और मजूरी ढांचे को नीचा रख कर किया जा सकता हैं।

निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन निदेशालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों और हमारे विभिन्न व्यापार आयुक्तों का कार्य प्रशंसनीय हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह हैं कि विदेशों में हमारा माल बेचने की वही कोशिशें करनी चाहिये। हमें अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये कि वे विदेशों में अपनी व्यापार फर्मं स्थापित करें। राज्य व्यापार निगम की शाखायें भी विदेशों में खोलनी चाहियें। बड़े आश्चर्य की बात हैं कि हैम्बर्ग, फ्रेंकफर्ट, मिलान आदि शहरों में ईरान, ईराक और शाम के व्यापारियों के कार्यालय तो हैं, किन्तु किसी भारतीय व्यापारी का नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात हैं कि भारत जैसे बड़े देश ने अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश नहीं की। न्यूयार्क में मंत्रालय ने एक शोरूम बना रखा हैं। किन्तु यह बहुत छोटा है और उसमें थोड़ी सी चीजें रखी हुई है। न्यूयार्क में हमारा एक बड़ा शोरूम होना चाहिये, क्योंकि अमरीकी व्यापारी बहुत बड़े बड़े आर्डर देते है।

ऋण सुविधाओं के बारे में माननीय मंत्री ने इन्हें बढ़ाने के सुझाव दिये हैं, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन हैं कि निर्यात उद्योगों के प्रति भिन्न व्यवहार करना चाहिये। निर्यात उद्योगों द्वार दी गई पेशगियों को बन्द नही रखना चाहिये। इसी तरह भारत के राज्य बैंक द्वारा दी गई पेशगियों को ६० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।

हमारा कपड़े का निर्यात कम हो रहा हैं। इस का आधुनिकीकरण आवश्यक हैं। हाथ करघे में भी हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है। कठिनाई हाथ करघे के कपड़े के ऊंचे मूल्य और विश्व की मंडियों का मुकाबला है। हमें कानूनगो योजना को पुनः चालू करना चाहिये और हथकरघों के स्थान पर बिजली से चलने वाले करघे लगाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अब्दुल वहीद]

वेल्लोर क्षेत्र में, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक बड़ी कताई मिल लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों की संस्था को भी इस क्षेत्र में भी छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने चाहियें।

अन्य देशों ने, विशेष कर रूस ने, अपने जूतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम से जूता खरीदना क्यों बन्द कर दिया है इस के कारण जानने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल युरोप भेजना चाहिये।

†**श्री कृ० चं० पन्त** (नैनीताल) : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पिछले ११ साल का कार्य देखते हुए हर्ष होता है, पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में क वृद्धि हुई हैं। तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यो की अपेक्षा अधिक आवंटन है। एक और बड़ी बात यह है कि औद्योगिक ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है। नई नई वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं। निजी उपक्रमों के ढांचे में भी निश्चित परिवर्तन हुआ है और हाल के वर्षों में छोटी कम्पनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

हमें डर है कि कोयला, परिवहन बिजली और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण तृतीय पंच-वर्षीय योजना क समय बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत गम्भीर है। आय में अनुमानित लगभग २६०० करोड़ रुपये की कमी के लिये हम मुख्यतः विदेशी की सहायता पर निर्भर करते है परन्तु इसका कोई भ ऐसा नहीं है कि यह अन्तर और नहीं बढ़ेगा। इस समय विदेशी सहायत मिलना कठिन मालूम हो रहा हैं। पर बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि आवश्यकता के समय हमें अपने सब से बड़े मित्र देशों से भी विदेशी सहायता विश्वास के साथ न मिल सके। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने का एक और तरीका विदेशी विनियोजन को तेजी से बढ़ाना हैं।

तीसरी योजना का निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य बढ़ाया जाना चाहिये। खेद है कि पिछले ११ वर्षों में हमारा निर्यात जहां का तहां हैं। निर्यात की मुख्य वस्तुएं हैं चाय, सूती कपड़ा और पटसन की चीजें। सरकार को इन वस्तुओं पर अधिक देना होगा जिनका विदेशों में बढ़ती हुई स्पर्धा का सामना करना पड रहा है। जहां तक पटसन और कपास का सम्बन्ध हैं पुराने ढंग की मशीनों को बदलने एवं आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है। हमें समझना चाहिये कि पाकिस्तान में पटसन उद्योग तेजी से बढ़ रहा हैं।

ब्रिटेन के अपनी शर्तों पर युरोपीय साझा बाजार में शामिल होने पर हमारे निर्यात को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रमंडलीय प्राथमिकताओं को हटा लेने और उनके स्थान पर साझा बाजार के प्रशुल्क लगाये जाने से हमारे ब्रिटेन का होने वाले ९० प्रतिशत निर्यात प्रभावित होगे। आशा र कि युरोपीय साझा बाजार के देश भारत को उसके निर्यातों के मामले में सहायता देने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

निर्यात की नयी मदों के विकास के बारे में मुदालियर समिति ने विस्तार से विचार किया हैं। इस सम्बन्ध में मेरा मत यह हैं कि नयी चीजों के निर्यात का सम्बन्ध है, ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिये जिनमें नियात की क्षमता हो और उनके मूल्यों पर दृष्टि रखनी चाहिये। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि मूल्य कम करने का एक मात्र ढंग यह है कि उत्पादन के आधुनिक ढंग अपनाये जांय। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि निर्यात की गुंजाइश वाले उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल का सम्भरण किया जाना चाहिये। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि उत्पादों की कोटि का ह्रास न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें पूरी तरह यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम निर्यात करने वाला राष्ट्र बन जायें। उत्पादक निर्माता, श्रमिक उपभोक्ता इन सभी वर्गों को बलिदान की भावना का परिचय देना चाहिये और निर्यात प्रोत्साहन के कार्यक्रम को एक प्रकार का स्वदेशी का आन्दोलन मानना चाहिये। मुदालियर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री नटराज पिल्ले** (त्रिवेन्द्रम) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्र निगमों के प्रति हमें पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। विदेशी मुद्रा की कमी इस समय देश के लिये बहुत चिन्ता की बात बनी हुई है। सरकार को इस कठिनाई को दूर करने का कोई न कोई हल अवश्य निकालना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिए। मेरी समझ में तो यही आता है कि इस समस्या का एक मात्र हल निर्यात बढ़ाना है। मध्यम आकार के उद्योगों और छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों से निर्यात का कोटा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

इस क अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समुद्री उत्पादों तथा कम उपलब्ध होने वाली खनिज रेलों का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जाने चाहिएं। यदि काजू तथा नारियल जटा उद्योगों पर कुछ अधिक ध्यान दिया जाये तो यह निश्चित है कि हम काफ़ी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हथकरघों को बिजली के करघों में बदलने की योजना बन्द नहीं की जानी चाहिये। बिजली के करघों से जुलाहे अधिक कमा सकते हैं। इस से यह भी लाभ होगा कि मजदूर भी बेकार नहीं होंगे।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: माननीय सदस्यों के भाषणों से मेरा उत्साह बढ़ा है। निवेदन यह है कि इस समय सब से बड़ी समस्या देश के निर्यात को बढ़ाने की है। यह हमारा सब से बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है राष्ट्रीय योजनाओं के लिये यह बड़ी आवश्यक चीज है। इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का हर्ष है कि सदन में आमतौर पर इस समस्या को समझने का प्रयत्न किया गया है। यह ठीक है कि प्रथम और दूसरी योजना के अन्तर्गत निर्यात का कार्य सन्तोषजनक ढंग से हुआ है। प्रथम योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष ६१० करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया। दूसरी योजना के अन्तर्गत यह अंक औसतन ६१३ करोड़ रुपये फैलता है। यह ठीक है कि स्थिति बुरी नहीं परन्तु हमें विश्व में फैल रही व्यापार स्थिति के प्रति जागरूक रहना है। आज हर देश का यह प्रयत्न हो रहा है, चाहे वह विकसित देश है चाहे अविकसित उनका यही प्रयत्न है कि हमारा निर्यात बढ़े। जिन देशों का बहुत उच्च स्तर पर भी औद्योगिक विकास हो चुका है, वह भी इस प्रयत्न में हैं कि उनका निर्यात बढ़े। हमें भी अन्य देशों की तरह निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहियें।

भारत भर में कुल राष्ट्रीय उत्पादन ११,६८० करोड़ रुपये का है जो कि चालू वर्ष में १२,५०० करोड़ रुपये हो जायेंगे। इसका पांच अथवा छः प्रतिशत तो निर्यात किया ही जा सकता है। इस में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, यदि कोई कठिनाई हो भी तो हमें राष्ट्रीय योजनाओं के हित में उसका मुकाबला करना ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

चाहिये । संसार भर का रिकार्ड हमारे पास नहीं । परन्तु मोटे तौर पर इतना हमें पता है कि योरूप के देशों के निर्यात का कुल अनुमान १३ हजार से १४ हजार करोड़ रुपये तक का है। हमारे देश की जनसंख्या संसार भर की जनसंख्या का छटा भाग है । अतः हमारा अंश कम से कम दो प्रतिशत तो होना ही चाहिए । हमने ४० से ५० करोड़ रुपये तक के निर्यात का लक्ष्य रखा है । यह लक्ष्य तो इस लक्ष्य को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिये । यदि देश भर के सारे उत्पादन को लिया जाय तो यह आज की स्थिति से केवल आधा प्रतिशत अधिक फैलता है । कुल मिला कर यह तो ६ प्रतिशत होगा अथवा सात साढ़े सात प्रतिशत । इसे पूरा करने में कठिनाई अनुभव नहीं करनी चाहिये । समस्त संसार के व्यापार की गतिविधि को देखते हुए यदि हमारा निर्यात ५० करोड़, १०० करोड़ अथवा ७५० करोड़ भी हो जाय तो यह संसार भर के व्यापार का एक तुच्छ अंश है । निर्यात के लिए भी हमें उसी प्रकार देश में ज़ोश पैदा करना होगा जिस प्रकार कि १९५६ में हम ने उद्योगों के लिए किया था । आज देश में उद्योगों सम्बन्धी जोश चरम सीमा पर है ।

निर्यात की दिशा में हमारी जो कमी है उसे पूरा करने के लिए हमें कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता की दीर्घकालीन स्थिति लानी होगी और विभिन्न उपायों की व्यवस्था करनी होगी ताकि मूल्य कम हो सकें। सरकार देश के समस्त निर्यातकों को यह आश्वासन दे सकती है कि वह उनकी सहायता करने और निर्यात व्यापार को अधिक लाभकारी बनाने के लिए तैयार हैं । सरकार किसी भी निर्यातक को घाटा नहीं होने देगी। परन्तु साथ ही जो वस्तुयें बेची जायें उनकी किस्म और बाद की सेवा के सम्बन्ध में देश के समस्त व्यापारियों तथा उद्योगों-पतियों का सहयोग भी सरकार चाहती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल के प्रति पूर्ण विश्वास उत्पन्न करने के लिये इस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास आवश्यक है । सात समुद्र पार तक भी इतिहास में व्यापारियों के रूप में भारतीयों का बहुत आदर रहा है । भारतीय व्यापारी जिस प्रकार का माल एक दफा देते थे उस से कहीं अच्छा दूसरी बार सम्भरण करते थे ।

देश में आज निर्यात सम्बन्धी वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है । निर्यात के प्रति एक राष्ट्र के रूप में जो हमारे दायित्व होने चाहिएं, उसके बारे में जागरूकता नहीं है । अतः इस कार्य के लिए दो, चार, पांच वर्ष प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, इसे तुरन्त करने की आवश्यकता है, इसके लिए देश में जागृति पैदा करनी ही होगी। गत पांच, छः सप्ताहों में मैं ने जो अध्ययन किया है, उससे मुझे पता चला है कि देश में निर्यात करने वाले व्यापारियों की संख्या ६०,००० से ७०,००० तक है । देश के उद्योगों और व्यापार में काम करने वाले पंजीकृत समवायों की संख्या ३०,००० है। ये समवाय, समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं । इस काम में लगे हुये राष्ट्रजन देश की एक बहुत बड़ी शक्ति हैं । फिर इस मामले में सरकार की सारी शक्ति भी उनके साथ है। तो क्या हम ४० से ५० करोड़ रुपये का अधिक निर्यात नहीं करते ताकि हमारा इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाय । और हमें इस कार्यक्रम में कोई कटौती न करनी पड़े ।

मैं तो इस मत का भी हूं कि आयात कम नहीं किये जाने चाहिएं। आयात का कम किये जाना आर्थिक समृद्धि का चिह्न नहीं कहा जा सकता है। विदेश व्यापार, निर्यात और आयात से देश का गौरव बनता है। परन्तु कई बार देश के हित में कुछ कटौती करनी पड़ती है। जैसी कि हमने १९५८ में की थी, १९५९ में १० से २५ प्रतिशत कटौती कर दी थी, लाइसैन्स देने बन्द कर दिये थे। इसी तरह अब अस्थायी तौर पर आयात में कमी की गयी है और निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अधिक से अधिक वातावरण निर्माण का फैसला किया गया है। इस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसे भी इस बारे में वातावरण निर्माण करना होगा। स्थिति के सुधार के लिए कुछ उपाय किये गये हैं। हम ने एक प्रोत्साहन निदेशक नियुक्त किया है जो निर्यात करने वाले व्यापारियों के हितों की जांच करेगा, उन के आयात सम्बन्धी अधिकारों की भी छानबीन करेगा। उसका यह पूरा प्रयत्न होगा कि व्यापारियों को सब प्रकार का प्रोत्साहन अविलम्ब प्रस्तुत करे। यह प्रोत्साहन निदेशक केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में एक वरिष्ट अधिकारी होंगे। मंत्रालय, फेडरेशन आफ चैम्बर्ज आफ कोमर्स ऐंड इंडस्ट्री अथवा १६, १७ जो नर्यात प्रोत्साहन परिषदें, हम ने नियुक्त की हुई हैं के द्वारा जो मामला हमारे पास आयेगा उसकी ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा और इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि देरी न हो।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : उद्योगपतियों और व्यापरियों में यह आम धारणा है कि निर्यात के लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत देर लगा दी जाती है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं मानता हूं कि इसमें कुछ देर हो गई है। साथ ही हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार की देर न हो। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि देर न हो। जहाँ तक निर्यात की बात है उसमें कुछ देर हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन उस काम में जल्दी की जा सकती है। निर्यात आजकल एक अच्छा व्यापार है और इसे बढ़ाने के लिये हमें प्रेरणा देनी चाहिये।

फिर इसके अलावा परिवहन की भी कठिनाई है। आवागमन की कमी के कारण समय पर अयस्क पत्तन तक नहीं पहुंच पाता। रेलवे बोर्ड के एक अनुभवी पदाधिकारी को हमने अपने मंत्रालय में परिवहन तथा भाड़े के बारे में काम करने के लिये निदेशक नियुक्त किया है। वे इस बात की देखभाल करेंगे कि परिवहन के मामले में गतिरोध न हो। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूं वह केवल विदेशी व्यापार के बारे में कह रहा हूं। आपात कालीन स्थिति का सामना तत्परता के साथ किया जायेगा। इस प्रकार इस मामले में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको पूरी तरह दूर किया जायेगा।

एक बात उचित वातावरण की भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि निर्यात बढ़ाने के लिये उचित वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।

हमारे देश से ८५ प्रतिशत निर्यात ऐसी वस्तुओं का ही होता है जिसका निर्यात पुरातन से होता चला आ रहा है। जैसे कि कृषि जन्य वस्तुएं आदि। अब इनमें कुछ नई वस्तुओं को भी सम्मिलित किया गया है, वे वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क का सामान, तथा धातु निर्मित वस्तुएं। इन वस्तुओं का निर्यात १०५ करोड़ रुपये का होता है। अब हमें नई वस्तुओं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]
के निर्यात पर अधिक बल देना चाहिये। साथ ही परम्परागत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। यदि हम जूट के सामान, चाय, सूती कपड़ा, तिलहन तथा कृषि उत्पादों का अधिक निर्यात करें तो हमें तुरन्त ही लाभ हो सकता है।

जूट का उत्पादन इस वर्ष अच्छा होगा। इस साल जूट की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। जूट की वस्तुओं के उत्पादन में भी अधिक वृद्धि हुई है। यह भी अच्छी बात है कि विश्व में जूट की वस्तुओं की माँग भी काफी अच्छी है। पिछले वर्ष जूट के व्यापार में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने २२ करोड़ रुपये अधिक कमाये। इसका कारण यह था कि उन दिनों जूट का उत्पादन तो कम हुआ था और इसकी माँग अधिक थी। इस कारण इसके मूल्य बढ़ गये। आजकल हमारा निर्यात तो अधिक है किन्तु आय कम है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि यदि भारतीय जूट मिल संघ तथा अन्य एजेंसी यदि भरसक प्रयत्न करें तो हमें १० करोड़ रुपये की अधिक आय आसानी से हो सकती है।

चाय के मामले में, प्रोत्साहन देने के जो पग माननीय वित्त मंत्री ने उठाये हैं वह काफी हैं। यह व्यापार इससे सन्तुष्ट है, हमने इस बारे में चाय के व्यापारियों से कई बार चर्चा की है। प्रोत्साहन तो जितना चाहे दिया जा सकता है परन्तु इसकी आर्थिक दिशा को भी तो देखना होता है। चाय के मामले में स्थिति काफी शानदार है। आशा यही है कि ५ से १० करोड़ रुपया और अधिक कमायेंगे।

कपड़ा मिलों की स्थिति बड़ी विचित्र रही है। जो कुछ इस मास में हुआ था वह कभी नहीं हुआ। हम कपड़ा मिलो के संघ के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने सरकार के निर्यात दायित्वों वाला स्वीकार कर लिया है। सब मिल कर इस दायित्व को संभाल लेंगे। सब का साँझा बलिदान हो जायेगा। कुल मिला कर ५०९ कपड़ा मिलें हैं, लगभग ४९८ चालू हैं। लगभग ४९ अथवा ५० ऐसी हैं जो निर्यात करती हैं बाकी तो देश की मंडियों में मंडराती हैं। कल ही सब कपड़ा मिल मालिकों ने मिल कर जो निर्णय किया है वह स्वागत योग्य है कि प्रत्येक मिल के वार्षिक उत्पादन का १२½ प्रतिशत निर्यात दायित्व के रूप में निर्यात किया जायेगा। इस के लिये मैं उनको मुबारक बाद देता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो ऐसा नहीं करेगा उस पर १२½ प्रतिशत अतिरिक्त अधिमूल्य लगेगा। इससे पता चलता है कि सामूहिक रूप में ये लोग अपने दायित्वों का पालन करने में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ऊनी कपड़ा मिल संघ की भी गत मास बैठक हुई थी। वे लोग २२ लाख रुपये का माल निर्यात करते हैं। हमारा देश ऊनी कपड़ा बनाने वाला देश नहीं, इस पर भी उन्होंने ५ प्रतिशत दायित्व अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब यह होगा कि जहाँ हम लगभग २० लाख का ऊनी कपड़ा निर्यात करते हैं, वहाँ अब १,१०,००,००० का करेंगे। इस पर इस आँदोलन का विस्तार हो जायेगा।

रूई की कमी के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। हम २,२५,००० गाँठें पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आयात कर चुके हैं। ३,००,००० गाँठें पहिले भी आ चुकी हैं। एक लाख गाँठों का निर्यात अभी हाल भारत-पाक करार के अन्तर्गत हुआ है। ५०,००० गाँठों का टैंडर अमरीका को भी दिया हुआ है। विस्तार में न जाता हुआ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार कपास संबंधी आवश्यकताओं से भली भांति परिचित है। हम लगभग ५० करोड़ का निर्यात दायित्व लिये हैं। पूरी आशा है कि देश के उत्पादन और आयात कार्यक्रम से उद्योग की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

अब मैं राज्य व्यापार निगम की ओर आता हूं राज्य व्यापार निगम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना गलत है कि हम पूर्व यूरोपियन देशों से व्यापार नहीं कर रहे। हम तो सब के मित्र हैं, सब से व्यापार करते हैं। रूस, अमरीका और ब्रिटेन हम सब से अधिक से अधिक व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। १९५५ में पूर्वी यूरोप के देशों से हमारा व्यापार ८·३८ करोड़ रुपये का था जबकि गत वर्ष यह ४३·४० करोड़ रुपये का हो गया। निर्यात १९५५ का ४·३६ करोड़ का था जोकि १९६१ में ५७·७९ करोड़ हो गया। हमने सभी दिशाओं में सभी देशों से आर्थिक सहयोग करने का प्रयत्न किया है। हमें विश्व भर से सहायता प्राप्त हुई है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरा राज्य व्यापार निगम स्थापित किया जाय जिसका नाम संभवतः खनिज तथा धातु निगम रखा जाये। उसका संबंध मुख्यतः कच्चे लोहे, मेंगनीज, तथा विभिन्न मिश्रित धातुओं, लौह और अलौह धातुओं से होगा। इसके संबंध में कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं सदन के समक्ष रखूंगा। कृषि संबंधी वस्तुओं को पहला निगम ही देखेगा। पटसन को भी पहला निगम ही देखेगा। हो सकता है हमें आगे चल कर एक और तीसरे निगम की भी आवश्यकता अनुभव हो, जिसे सब कृषि वस्तुओं के व्यापार को सौंपा जाये। इस समय २,८०,००० लाख टन उच्च कोटि की लौह अयस्क है। ७,२०,००० लाख टन मध्यम दर्जे और घटिया दर्जे की लौह अयस्क है। कुल मिला कर १,००,००,००० लाख टन विविध कोटि की लौह अयस्क हमारे पास है। काफी फायदे वाली चीज है। एक बात समझ लेनी चाहिये कि राज्य व्यापार निगम केवल निर्यात व्यापार से धन कमाने वाले निगमों में मुख्य निगम होगा। इसके द्वारा गैर-सरकारी व्यापार को हानि पहुंचाने का हमारा इरादा बिलकुल नहीं है। यह भी बात है कि जैसे ही देश में व्यापार की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें राज्य और गैर-सरकारी लोगों का हिस्सा होगा। मुझे हर्ष है कि व्यापारी लोग शनैः शनैः राज्य व्यापार निगम के कार्य को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। इस प्रकार के निगम तो ऐसे देशों में भी काम कर रहे हैं जो कि साम्यवादी नहीं। परन्तु हम तो अपने देश में विभिन्न प्रकार की विषमताओं को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हम मुदालियार समिति के प्रतिवेदन को सभी दिशाओं से देख रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा निर्यात व्यापार बढ़े। हमारे देश में ६०,००० से ७०,००० तक निर्यात करने वाले लोग हैं। हम सब लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। हमने निर्यात को प्रोत्साहन देने की योजना को स्थायी आधार पर आरम्भ कर दिया है। इस संदर्भ में निर्यात वित्त की भी चर्चा हुई। हमने इस बारे में जो कार्य किया है वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। हमने निर्यात प्रोत्साहन योजना को स्थायी आधार पर बनाया है और इसके लिये हम व्यापारी वर्ग से भी परामर्श करेंगे। दूसरा हम यह भी चाहते हैं कि निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्य क्षेत्र निर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के कार्य और कार्य क्षेत्र की उचित परिभाषा की जाय। इस विषय पर जब व्यापार बोर्ड की प्रथम बैठक होगी तो चर्चा की जायेगी। लगभग ७० प्रतिशत निर्यात व्यापार व्यापारी निर्यातकों के हाथ में है। ये व्यापारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

निर्यात जोखिम बीमा निगम भी है। इसके अतिरिक्त बैंक भी इस उद्देश्य के लिये पूरी सहायता देते हैं। एक छोटा अध्ययन दल निर्यात वित्त के विभिन्न उपायों की जाँच कर रहा है। वह यह पता कर रहा है कि किस प्रकार निर्यात व्यापार के लिये अधिकाधिक मात्रा में पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। यह भी सुझाव है कि आवश्यकता हो तो ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम भी स्थापित किया जा सकता है। वस्तुएं निर्यात करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक निधि बनाने के सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके लिये हम १०० करोड़ की व्यवस्था तो नहीं कर सकते परन्तु सम्भवतः इसे लगभग १० करोड़ को राशि से आरम्भ किया जायेगा। । वस्तुओं की कोटि पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए

[श्री मनुभाई शाह]

भारत की निरीक्षण परिषद् की शीघ्र ही स्थापना की जा रही है। यह व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कोटि का स्वेच्छा से नियन्त्रण जारी रख सकेगी। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जहाजों पर माल लादने से पूर्व फिर एक बार अच्छी तरह से जांच कर ली जाय। निर्यात गृह योजना में काफी रूप भेद किया जा रहा है। इसके लिए सम्बद्ध पक्षों का परामर्श लिया जा रहा है।

माननीय मित्रों ने कहा कि हम ऐसा विक्रय पुरुष चाहते हैं जो कि ऐसकीमो को रैफरीजिरेटर बेच सके और हम ऐसा विक्रय पुरुष नहीं चाहते जो कि एक अरब को ऊंट न बेच सके। यह आज के भारतीय व्यापार की एक कमजोरी है क्योंकि कई शताब्दियों तक हम अपनी स्वाधीनता और आर्थिक स्वतन्त्रता खो बैठे। इसलिए हम व्यापार के मामले में कमजोर जाति बन गए। प्रत्येक व्यक्ति व्यापार कर सकता था। इसके लिए अधिक योग्यता और तजरुबे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए विश्वविद्यालयों और अर्थशास्त्र के अन्य स्कूलों में व्यावहारिक वाणिज्य की शिक्षा चाहिए। हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक संस्था स्थापित करना चाहते हैं जहां विदेशी व्यापार में व्यापार के तजरुबे वाले ३० और ४५ वर्ष के बीच की आयु वाले नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सारे विश्व पर सम्पर्क बढ़ाने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञ चाहिएं। ऐसा सारे संसार में किया जा रहा है और हमें आशा है कि दस वर्ष की अवधि में हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञ बनाने के लिए हम काफी प्रगति कर सकेंगे।

हम वस्त्र और सन की मिलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। सन कातने के विभाग के ८½ प्रतिशत का पहले ही आधुनिकीकरण हो चुका है। हम अब बड़े करघा स्थापित कर रहे हैं। शायद १,५००, २,००० या ३,००० बड़े करघा हैं। हमने भारतीय सन मिल संस्था (आई० एम० जे० ए०) को बुनने के आधुनिकीकरण के काम में प्रगति करने के लिए प्रार्थना की है। वस्त्र मिलों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि प्रत्येक एकक को, जो निर्यात में भाग लेता है, आधुनिकीकरण करना होगा और अपनी विदेशी मुद्रा की आय के १० से २० प्रतिशत भाग को आधुनिक मशीनों के आयात में लगाना होगा। जब तक हम उत्पादन के साधनों का आधुनिकीकरण नहीं करते देश में उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता। हम अधिक विदेशी मुद्रा व्यय नहीं कर सकते, क्योंकि औद्योगिकी पैदा होने से पहले ही पुरानी हो जाती है। जिस समय तक मशीन दुनिया में आती है, संसार और अच्छी मशीन बना देता है और दौड़ में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम प्रत्येक एकक का आधुनिकीकरण चाहते हैं।

हम विभिन्न देशों से अधिक से अधिक सहयोग चाहते हैं क्योंकि हम प्रौद्योगिकी में पीछे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी बिना उचित तजरुबे के नहीं आती और वह तजरुबा उनसे लेना पड़ता है जिन्होंने प्रौद्योगिकी में विकास किया है। विदेशी सहयोग के ४३० या ४४० मामलों में १३ या १४ के सम्बन्ध में विदेशी बहुसंख्या की इजाजत दी है। इस देश की यह नीति है कि विदेशी सहयोग में भारतीय बहुसंख्या हो। बहुत से अवस्थाओं में ऐसा ही है। कुछ अवस्थाओं में भारतीयों की गणना ४९–५१ प्रतिशत हो सकती है। । प्रविधिक सहयोग में विदेशी बहुसंख्या वाले मामले बहुत कम हैं। हम दुनिया के प्रत्येक भाग से विदेशी सहयोग का स्वागत करते हैं, क्योंकि औद्योगीकरण में यह हमारी सहायता करता है। जिन क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित उद्योग हैं वहां हम विदेशी सहयोग को आमन्त्रण नहीं देते। यह कहना ठीक नहीं है कि समस्त औद्योगिक लाइसेंस प्रविधिक सहयोग के आधार पर जारी किए जाते हैं। वास्तव में तीन चौथाई उद्योगों को बिना किसी सहयोग के लाइसेंस दिये जा रहे हैं। १२९० औद्योगिक लाइसेंसों में से केवल ४३० के सम्बन्ध में प्रविधिक सहयोग था जिनमें से कुछ पुराने उद्योगों के लिये हैं। इस देश की औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का २० या १५ प्रतिशत प्रविधिक सहयोग का लाभ उठा रहा है। यह इसलिए है, क्योंकि उद्योगों और उत्पादन

के उन क्षेत्रों में हम प्रविधिक सहयोग नहीं चाहते जिनमें हम खूब परिचित हैं या जहां हमने पहले ही आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है ।

यूरोप के साझे बाजार में ब्रिटेन के दाखिल होने के कारण हमें बहुत चिन्ता है । हम अपनी सभी व्यापार सुविधाओं तथा प्राथमिकताओं को न केवल आज बल्कि बहुत समय तक कायम रखना चाहते हैं । हम समझते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप और ब्रिटेन भारत के विदेशी व्यापार के लिए बड़ी मंडियां बन सकती हैं । इसी तरह हम पूर्वी यूरोप, अमेरिका आदि से जहां बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है व्यापार बढ़ाना चाहते हैं । जहां तक इस व्यापार के विस्तार का सम्बन्ध है, यह एक बहुत प्रविधिक विषय है और इस पर इस समय चर्चा नहीं की जा सकती । इस पर बाद में चर्चा की जायेगी जब कि वक्तव्य पटल पर रख दिया जायेगा । मैं जानता हूं कि सदन को और देश को अन्य सभी राष्ट्रमंडलीय देशों की तरह इस विषय में चिन्ता है, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा । हम न केवल अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, बल्कि साझे बाजार के सभी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ और ब्रिटेन के साथ अलग अलग और संयुक्त रूप से सम्पर्क रखना चाहते हैं ताकि भारत और उनके बीच व्यापार बढ़ सके ।

निर्यातों के कम बीजक दिखाने और आयातों के अधिक बीजक दिखाने के मामले की भी हम जांच कर रहे हैं किन्तु इसे रोकना इतना आसान नहीं है । बहुत से देशों ने कड़े कदम उठाये हैं और हम भी इस समस्या का अध्ययन करेंगे ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हम विदेशों में वितरण एजेन्सियां क्यों नहीं कर सकते, ताकि जो कुछ भी निर्यात हो, उनके द्वारा हो ।

†**श्री मनुभाई शाह** : थोड़ी सी एजेन्सियां विश्व भर का व्यापार नहीं कर सकतीं । हजारों एजेंसियों की आवश्यकता पड़ेगी । किन्तु इस बात पर विचार किया जा सकता है । मैं सब निर्यातकों और आयात करने वाले व्यापारियों से कहूंगा कि इस प्रथा को राष्ट्रीय अपराध समझना चाहिए । भारत के आर्थिक विकास के मामले में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता । इस सम्बध में माननीय सदस्यों के सुझावों पर विच र किया जायेगा । हम भी इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं । इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए दंडात्मक कार्यवाही करना भी कुछ हद तक आवश्यक होगा । इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री केप्पन का यह कहना सच नहीं कि ब्रिटेन के साथ हमारा चाय का व्यापार कम हो रहा है । यह उतना ही है, कम नहीं हुआ । आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९५९	७५.७ करोड़
१९६०	७५.४ ,,
१९६१	७५.४ ,,

किन्तु हम चाहते हैं कि यह बढ़े क्योंकि हमारा चाय का उत्पादन बढ़ रहा है । चाय के व्यापार में हम सब से आगे हैं और हमारा नेतृत्व कायम रहेगा । हम तीसरी योजना के ९१०० लाख पौंड उत्पादन के लक्ष्य से भी बढ़ जायेंगे । और हमारा जितना भी आधिक्य होगा, उसे निर्यात किया जायेगा ।

खालों और चमड़े के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वहाद के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उनके लिए मैं आभारी हूं । हमार माननीय सदस्य यदि कोई सुझाव दें, तो उन पर भी विचार किया जायेगा, क्योंकि यह सभी का साझा कार्य है । हम सब चाहते हैं कि निर्यात व्यापार की सब त्रुटियां दूर की जायें और तत्काल कोई कदम उठा कर असंतुलन दूर किया जाये । व्यापारियों और उद्योगपतियों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

से मैं कहूंगा कि इस काम में उनका सहयोग एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके लिए ९६०० करोड़ के कुल उत्पादन में से ४० करोड़ या ५० करोड़ का निर्यात करना उनकी ताकत के बाहर नहीं है। यह केवल दृढ़ निश्चय करने का प्रश्न है। मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि देश के निर्यात व्यापार को घाटे का सौदा नहीं बनाया जायेगा, बल्कि मुनाफे का सौदा बनाया जायेगा। प्रोत्साहन की मांग करना इस समय उचित नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर निर्यात के लिए बलिदान देंगे।

विभिन्न मंत्रालयों में इसके लिये चार विभाग बनाये जा रहे हैं। खाद्य और कृषि मंत्रालय एक निर्यात विभाग खोल रहा है। रेलवे मंत्रालय भी निर्यात सम्बन्धी परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक अलग बना रहा है। खान और ईंधन मंत्रालय भी एक निर्यात विभाग बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में भी यही प्रश्न विचाराधीन है।

इन विभिन्न मंत्रालयों के निर्यात विभागों और व्यापारियों के सहयोग से राज्य व्यापार निगम भविष्य में और अधिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे सकेगा। हालांकि निर्यात का काम अधिक कठिन है, फिर भी इन उपायों से हमें आशा बंधती है कि निर्यात के लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर-सरकारी कार्य लेंगे।

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजनैतिक पीड़ितों के लिये सहायता का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनैतिक पीड़ितों के लिये सहायता का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा २३ का संशोधन)

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** (अलमोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर, संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ब० ब० सिं० बिष्ट** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विधान परिषद (रचना) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री श्रीनारायण दास द्वारा २५ मई, १९६२ को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को, उस पर राय जानने के लिये ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये।"

†**श्री द्वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : लोकतांत्रिक समाज में कुछ प्रतिबन्ध आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिये प्रतिबन्धों में संतुलन आवश्यकक है। अति होने पर लोकतांत्रिकता के लिये खतरा पैदा हो जाता है। इसलिये विधान सभा और विधान परिषद् का अस्तित्व परस्पर प्रतिबन्ध और उसके संतुलन की व्यवस्था के लिये बड़ा उपयोगी रहता है। इसलिये विधान परिषदों का देश में अपना स्थान बन गया है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसलिये कि इससे परिषदों को जनता के प्रतिनिधित्वपूर्ण निकाय स्थापित करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

इसकी व्यवस्था की गई है कि अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्राथमिक स्कूलों के उन अध्यापकों को इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक ही हमारे देश की शिक्षा पद्धति की आधार शिला बनाते हैं।

मैं इससे भी सहमत हूं कि परिषदों के लिये सदस्य नामजद करने की शक्ति राज्यपाल के पास रहे, पर साथ ही संतुलन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था रहनी चाहिये कि वह किस प्रकार के लोगों को नामजद कर सकेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : लोकतंत्र की आधार शिला विधान परिषदों पर ही रखी हुई है। इसलिये विधान परिषदें उतनी ही अधिक प्रभावशाली होंगी, जितना विस्तृत उनका आधार होगा।

विधान परिषदों का आधार विस्तृत करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। परिषदों की रचना में परिवर्तन का अधिकार संविधान ने संसद् को प्रदान किया हुआ है।

विधान परिषदों की अपनी उपयोगिता लोकतंत्र के लिये है। हां, हमारी कोशिश यह रहनी चाहिये कि वे दलगत राजनीति के अखाड़े न बन जायें।

हमें इस विधेयक के सिद्धांतों पर गहराई से विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : संविधान सभा में जब इस बारे में चर्चा हुई थी तो राज्यों को इस बात की छूट दी गई थी कि वे इस बात का चयन करें कि उनके यहां विधान परिषदें हों अथवा न हों। अतः ८ राज्यों ने कहा कि उनके यहां परिषदें हों।

द्वितीय विधान सभाओं को रखने के बारे में यहां कड़ा विरोध किया गया है। विरोधियों का कहना है कि ये बेकार हैं और काम की केवल पुनरावृत्ति ही करते हैं। इस पक्ष के समर्थकों का कहना है कि द्वितीय सभाओं का होना नितान्त आवश्यक है और क्योंकि वे जल्दी में बनाये गये विधानों पर रोकथाम का काम करती हैं।

अब यह विधान हमारे सामने है और जनमत जानने के लिये भेजा जायेगा। इस प्रकार कम से कम उन आठ राज्यों से इस बात का पता चल जायेगा कि इन दूसरी सभाओं ने कैसा काम किया है।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने इन सभाओं का गठन दूसरे ढंग से करने की बात कही है। यह ठीक है कि वर्तमान गठन में बहुत सी कमियां हैं। प्रस्तावक का कहना है कि अध्यापकों को चाहे वे माध्यमिक स्तर के हों अथवा प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले हों सभी को इन सभाओं में जाने की छूट मिलनी चाहिये। अब तक प्राइमरी के अध्यापक विधान परिषदों में नहीं जा सकते। प्रस्तावक ने इस बात का भी विरोध किया है कि विधान सभाओं के सदस्यों को विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये अब तक सभा के सदस्य एक तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्ली): हम इन विधान परिषदों तथा राज्य सभा के वर्तमान गठन के विरुद्ध हैं क्योंकि ये प्रत्यक्षतः जनता के समक्ष उत्तरदायी नहीं हैं और इनका निर्वाचन भी प्रत्यक्षनःरूप से नहीं होता। प्रस्तावक ने यह प्रयत्न किया है कि इन परिषदों का स्वरूप और भी लोकतंत्रात्मक बनाया जाये। ताकि और पंचायतों तथा सरकारी संस्थाओं तथा अध्यापकों में से प्रत्येक रूप से इनके सदस्यों का निर्वाचिन किया जाये। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

किन्तु प्रस्तावक ने निर्वाचन के लिये जिस पद्धति का उल्लेख किया है उससे बहुत परेशानी हो जायेगी उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ग के लिये संख्या निर्धारित कर दी जाये। प्रस्तावक महोदय के सुझाव के अनुसार प्रशासकीय कठिनाई उत्पन्न होगी। अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाये और सरकार उन्हें स्वीकार करे तो हमें इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाये और उसके बाद यह देखा जाय कि क्या इन परिषदों का गठन और भी लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सकता है।

वैसे हमारा असली लक्ष्य तो यह है कि ये परिषदें तथा राज्य सभा एक दम बंद कर दी जायें। चूंकि इस समय यह प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है अतः इस पर मैं प्रकाश तो नहीं डालूंगा अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्रनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और प्रस्तावक ने जिन उद्देश्यों की चर्चा की है उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन खंड ३ में जिन विस्तृत बातों

†मूल अंग्रेजी में

का उल्लेख किया गया है उन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन यहां उसकी चर्चा करने का समय नहीं है।

मैं इस पक्ष में हूं कि हमारे यहां दो सदन हों। विशेष रूप से उस समय जब कि हमारा देश इतना बड़ा है और जहां इतनी जनसंख्या हो वहां हर वर्ग को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिलना बड़ा कठिन है। दो सभा होने पर ही उनको प्रतिनिधित्व मिलना संभव है। लोकतंत्र में प्रायः सभी बातें सभी वर्गों से चर्चा करने के बाद ही तय होती हैं। इसलिये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

आशा है कि सरकार इस विधेयक की भावना को समझेगी और उस पर उचित विचार करेगी। तथा इस विधेयक को स्वीकार करेगी। अंत में इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती सरोजनी माईषी** (धारवाड़ उत्तर) : हम यह नहीं कह सकते कि दूसरा सदन बेकार है और हम उस पर व्यर्थ में ही धन तथा समय का अपव्यय कर रहे हैं। इंगलिस्तान में दूसरा सदन जिस आधार पर बनाया गया है वे आधार हम से अलग हैं। अमरीका के सीनेट से भी हमारे यहां का दूसरा सदन विभिन्न है और इसे इतने प्राधिकार भी प्राप्त नहीं है जितने की सीनेट को प्राप्त है।

हमारे यहां दूसरे सभा का उद्देश्य जल्दी में बनाये गये विधान की रोकथाम करना ही है। चूंकि दूसरे सदन में कुछ प्रतिनिधि विशेष होते हैं जो साहित्य कला, संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं अतः वे उस दृष्टि से उन विधानों के बारे में अपनी राय दे सकते हैं जो कि विधान सभा प्रथम लोक-सभा द्वारा पारित किये जाते हैं। विधान परिषदों तथा राज्य सभा का विधान बनाने के क्षेत्र में विशेष ही योगदान है। इस परिवर्तनशील युग को देखते हुए प्रस्तावक ने ठीक समय पर ही यह विधान प्रस्तुत किया है।

आजकल पंचायतों के हाथ में गांवों का प्रशासन है। सहकारी संस्थाएं भी देश के निर्माण में सहयोग दे रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि पंचायतों तथा सहकारी सस्थाओं को भी दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व मिले।

प्रस्तावक ने सुझाव दिया है कि इन दूसरे सदन के $1/6$ सदस्य तो पंचायतों द्वारा चुने जायें तथा $1/6$ सदस्य सहकारी सस्थाओं द्वारा। तथा एक उस अध्यापक को भी अवसर मिले जिसने कि ५ वर्ष तक अध्यापन किया हो।

यह आवश्यक है कि इन पचायतों तथा सहकारी संस्थाओं को भी दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व मिले।

आशा है कि इस परिवर्तित समय की मांग को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी और इस विधेयक को पारित करेगी।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि जो समाज विरोधी तत्व सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते, वे गड़बड़ द्वारा विधान परिषदों में आने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसी कोई राये नहीं देना चाहता। जो केन्द्रीय नेता निर्वाचनों से हार जाते हैं वे विधान परिषदों में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि सम्भव हो विधान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

परिषदों में आ सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि समाज विरोधी तत्व जो चुनाव में हार जाते हैं वे अनुचित रास्तों से विधान परिषदों में आ जाते हैं। तो इस में प्रणाली में क्या त्रुटि है? दूसरे सदन को हटाने से इसका इलाज नहीं होगा, परन्तु इसकी चिकित्सा राजनैतिक दलों को ढूंढनी चाहिये।

राज्य सभा और राज्यों में विधान परिषदों की आलोचन एक ही आधार पर की गई है। राज्य सभा तथा राज्यों में विधान परिषदों का समानता का स्तर नहीं दिया जा सकता और उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है उस का आधार स्वयं सवैधानिक सिद्धान्तों में ही है। इसका भी महत्व है। यदि हम इसे नहीं समझते तो हम संविधान के सार को नहीं समझते। जहां तक विधान परिषदों और राज्य सभा का संबंध है, यह परम्परागत निकाय नहीं है। इंग्लैंड में "हाऊस आफ लार्डज़" की तरह से यह परम्परागत निकय नहीं है। जर्मनी की भांति यह नामनिर्दिष्ट या नियुक्त निकाय भी नहीं है। यह अमेरिका की तरह निर्वाचित निकाय भी नहीं है। इस में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। हमने अपने संविधान में संघीय सिद्धान्त को स्वीकार किया था और यह आवश्यक था कि राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि हों।

मैं लोगों के प्रतिनिधियों और राज्यों के प्रतिनिधियों में भेद समझता हूं। यही संघीय संविधान का सारांश है। रूस में भी उच्च सदन है।

संविधान में यह कई बार कहा गया है कि उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधि होने चाहियें। यह व्यवस्था कोई काम करती है। मैं अनुच्छेद २४९ की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसके अनुसार यदि राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है तो राज्य की सूची से कोई विषय तटवर्ती सूची में बदला जा सकता है।

इसी प्रकार अनुच्छेद ३१२ के अनुसार राज्य सभा, लोक सभा नहीं, संकल्प द्वारा अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जाएगी। परन्तु राज्य सरकारों के अधीन काम करेगी। अतः राज्य सभा का वर्ग भिन्न ही है।

एक और अन्तर है। संविधान में यह उपबन्ध है कि अनुच्छेद १६८ के अनुसार किसी राज्य में उच्च सदन बनाया जा सकता है परन्तु बिना संविधान के संशोधन के राज्य सभा की समाप्ति नहीं हो सकती। राज्यों में द्वितीय सदन किसी वैधानिक सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया गया है, वरन् ऐतिहासिक कारणों तथा दूरदर्शिता के फलस्वरूप बनाया गया है। यह विचार १९वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ जब यह समझा जाता था कि कोई भी दूसरा सदन एक से अच्छा था। परन्तु वर्तमान संसार में संघ के एककों में दूसरे सदन के विचार का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद सब बड़े देशों में दूसरा सदन है। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के अन्तर्गत कुछ राज्यों में दूसरा सदन था और इस संविधान के अन्तर्गत यह जारी रखा जा रहा है क्योंकि संविधान सभा में उन राज्यों के प्रतिनिधि चाहते थे कि दूसरा सदन जारी रखा जाए।

वर्तमान परिस्थितियों में जब कि कानून इतने पेचीदा हैं, जब कि चर्चा पर प्रक्रिया के नियमों का प्रतिबन्ध है, क्या ऐसा सदन होना आवश्यक नहीं है जहां निर्विवाद विधेयक पारित किए जाएं ताकि वे आसानी से निम्न सदन में पास हो जाएं? क्या यह आवश्यक नहीं है कि विशेषज्ञों,

योग्य व्यक्तियों जो समस्याओं को जानते हैं, जो समाज की भावनाओं को जानते हैं और जो इस समय के जनमत से प्रभावित नहीं होने का एक निकाय हो जो कि समस्याओं पर चर्चा करें और अपनी राये दें। इसलिये कुछ राजनैतिक विचारक महसूस करते हैं कि दूसरे सदन की अपनी उपयोगिता है।

विधेयक के प्रस्ताव धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है। उन्होंने कहा कि वे लोक तन्त्र के विकेन्द्रीकरण से नई संस्थाएं बन रही हैं जिनका राज्यों के द्वितीय सदन में प्रतिनिधि होना चाहिये। मैं उन से सहमत हूं, परन्तु संविधान का अनुच्छेद १७१ अपने वर्तमान रूप में ऐसा करने पर रोक नहीं लगाता है। संसद् राज्य विधान मंडलों में नए तत्वों के शामिल किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

जहां तक सहकारी संस्थाओं, मध्यम स्कूलों, और प्रारम्भिक अध्यापकों, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग और कृषियों के संघटित हितों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, इन मामलों संविधान सभा में चर्चा हुई। काफी चर्चा क बाद संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसका कोई लाभ नहीं होगा। यदि संसद् किसी समय महसूस करता है कि ऐतिहासिक परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थितियां बदल गई हैं जिससे राज्य के उच्चसदन में नये तत्वों को शामिल करना उचित हो गया है, तो वह ऐसी व्यवस्था कर सकती है। परन्तु मैं सदन से एक बात पर विचार करने को कहता हूं कि क्या असंघटित तत्वों या प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों या सहकारी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने से वह ध्येय पूरा हो जायेगा जो कि दूसरा सदन बनाने में हमारे मन में है। यह अच्छी बात है कि संविधान पारित होने के बाद यह प्रश्न उठाया गया है और यह उस पर राय लेने के लिये जा रहा है। सदन को इस पर चर्चा का और अवसर मिलेगा।

इन शब्दों के साथ यह प्रस्तावना स्वीकार्य है कि विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : विधेयक के परिचालित किए जाने का प्रयोजन उन विभिन्न तत्वों के लिए उपबन्ध करना हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। उसका द्वितीय सदनों में अस्तित्व अथवा न रहने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यदि कोई सदस्य इस प्रस्तावना के पक्ष में हैं तो उसे एक विधेयक लाना पड़ेगा जिस पर विभिन्न विधान सभाओं को अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि हम दो सदनों वाली विधान सभाएं नही चाहते तो अनुच्छेद संख्या १६७, १६८ और १७१ का संशोधन करना पड़ेगा।

जो सदस्य इस विधेयक की प्रस्तावनाओं से सहमत नहीं है वे जब विधेयक पुनः सदन के सामने आएगा संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं कि :—

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को, उस पर राय जानने के लिए ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक

(धारा ६८ और ६९ का संशोधन)

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक प्रस्तुत करने के उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : डाकघर अधिनियम को संशोधन करने वाली प्रस्तावना सरल है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी अन्य व्यक्ति के पत्र अथवा अन्य डाक की वस्तु को जो जानबूझ कर खोल लेता है, सक्रिय एवं शीघ्र कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परन्तु डाक कर्मचारी को गलत वितरण आदि के लिये दंडित किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे किसी व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था कर के डाक विभाग की सहायता करना है जो किसी अन्य व्यक्ति के पत्र या डाक की वस्तु को जानबूझ कर ले ले या खोल ले। इस विधेयक द्वारा वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावशाली बनाने की भी कोशिश की गई है जिससे कि अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

अधिनियम की धारा ६९ में "इच्छा से और बुरी भावना से" शब्दों के स्थान पर "जानबूझकर" शब्द रख दिए जाएं ?"

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव हुआ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : प्रस्तावक ने विधेयक के उद्देश्य बड़े स्पष्ट रूप से सभा के सामने रख दिये हैं। इसका इस तरह से समर्थन करने की आवश्यकता है। विधेयक द्वारा इस बात का इलाज ढूंढा जाता है कि यदि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी पत्र और अन्य कागज इत्यादि खोल लें और सम्बन्धित व्यक्ति को न दिए जाएं तो अपराधी को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

ऐसी शिकायतें है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों के पत्र आदि सामान्यतः खोल लिए जाते है। कम से कम इस बात की तो गारण्टी होनी चाहिए कि जितने भी पत्र हमारे नाम से आएं हमें मिलने चाहिएं ? इस प्रकार के ढंग से रहस्य जानना सरकार के लिए उचित नहीं। अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जानी चाहिए। मेरे पत्र मुझे अवश्य मिलने चाहिएं। मेरी पत्नी द्वारा भेजे गए कई पत्र मुझे नहीं मिले।

पत्रों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन में क्या लिखा है इसका भेद नहीं खोला जाना चाहिए। आशा है कि संशोधक विधेयक से क्षुब्ध स्थिति में सुधार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : पत्रों का गलत वितरण केवल संयोगवश ही होता है । विभाग द्वारा यह जानबूझ कर नहीं किया जाता । इस प्रकार का आक्षेप पाने से कोई लाभ नहीं । केवल विरोधी दल के सदस्यों की ही वस्तुएं गुम नहीं होती हैं; परन्तु हमें भी कभी-कभी पत्र नहीं मिलते हैं, परन्तु इस से विभाग पर आरोप नहीं लगाया जा सकता । यह संयोगवश होता है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विरोधी पक्ष अपना प्रचार करने के लिए डाक विभाग से अनुचित लाभ न उठाए ।

प्रस्तावक ने जो सुझाव दिए हैं वे वस्तुतः कीमती हैं। उक्त दंड सम्बन्धी उपबन्धों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए ।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : विधेयक के प्रस्तावक के जो संशोधन सुझाए है वे समर्थन के योग्य हैं । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसका मैं अत्यन्त दृढ़ता से विरोध करता हूं, यद्यपि मैं मानता हूं कि इस का जो उद्देश्य है, वह अच्छा है । अभी आपोजीशन के आनरेबल मेम्बर साहब ने जो कुछ कहा है, उस को मैं ताईद करता हूं । आपोजीशन के मेम्बर्ज के पत्रों और तारों को पोस्ट आफ़िसिज़ में पढ़ा जाता है । जहां तक पत्रों का सम्बन्ध है, पोस्ट आफ़िसिज़ के हेड आफ़िस में एक यंत्र से पानी की भाप दे कर पत्रों को खोला जाता है और उनको फाटो ले कर बन्द कर के एड्रेसी को भेज दिया जाता है । पुलिस में अनडिज़ायरेबल पर्सन्ज़ को यादि (लिस्ट) रहती हैं और उस के अनुसार हम अनडिजायरेबल पर्सन्ज़ समझे जाते हैं। इसीलिए पोस्ट आफ़िसिज़ में हमारे पत्र खोज कर देखे जाते हैं । लेकिन इस बिल का उद्देश्य इस कार्यवाही को रोकना नहीं है । अभी जिस कांग्रेसी सदस्य ने भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि उनके लैटर्ज टेम्पर विद नहीं होते हैं और इसीलिए उन को इस बारे में ग्रीवेंस नहीं हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं इस बिल के वर्डिंग्ज़ का विरोध करता हूं ।

ओरिजनल वर्डज़ इस तरह हैं :—

"जो धोखे से रोके रखता है या स्वेच्छापूर्वक छिपा कर रखता हैं अथवा उसे लेकर चला जाता है अथवा अपने पास रखता है या उन्हें नहीं दिए जाने देता हैं अथवा जिस समय डाकखाने के किसी अधिकारी को यह काम करने की आवश्यकता हो तो लापरवाही करता है अथवा उन्हें देने और बताने से इन्कार करता है..."

"जब डाकखाने के किसी अधिकारी द्वारा ऐसा किये जाने के लिये कहा जाय तब लापरवाही करे या बांटने से इंकार करे" को जगह "या डाकखाने को लौटाना नहीं"।

शब्दों को रखना चाहते हैं। डज़ नाट रिटर्न टू पोस्ट आफिस का मतलब यह है कि कीप्स आर डिटेंज। इसका मतलब हुआ कि अगर वह रखता है तो इसको डिटेन करता है और डिटेंज़ का लाजिकल कनक्लूजन यह निकलता है कि ही डज़ नाट रिटर्न टू दी पोस्ट आफिस । इस के अलावा और कोई मतलब हो ही नहीं सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

दूसरी बात यह है कि जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं वे जानते हैं कीप्स एंड डिटेंज का अर्थ यह है और इस पर जो केस डिसाइड हुए हैं वे भी इसी तरह से हुए हैं कि :

'रखता है और रोकता है का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने पत्र भेजे, को पुनः पत्र नहीं दिया गया'।

इस वास्ते कीप्स एंड डिटेंज होने से जो उद्देश्य हैं वह पूरा हो जाता हैं। इतना ही नहीं जो १८६८ का एक्ट है उसको गौरांग प्रभुओं ने बनाया था। उनको भी इस प्रकार की एमेंडमेंट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई जैसी अब हो रही हैं। इसका कारण यह है कि 'रखता है और रोकता है' का मतलब वास्तविक प्रेषक को नहीं देता है' ही होता हैं।

दूसरे आपने सैक्शन ६९ में अमेंडमेंट करने की बात कही हैं। आपने कहा हैं :—

"जो डाकखाने का अधिकारी नहीं है, जानबूझ कर और बुरे इरादे से, मैं 'जानबूझ कर बुरे इरादे से' को जगह 'जानबूझ कर' रखना चाहते हैं। विलफुली एंड मैलिशसली शब्द ऐसे हैं कि जिनमें मैंसरिया होना चाहिये। जो पीनल कोड है और जो डैमोक्रेटिक राइट्स हैं, वहां भी जब तक मैंसरिया नहीं होता है तब तक पनिशेबल आफेंस वह नहीं होता है। विलफुली एंड मैलिशसली होने के बाद देयर मस्ट बी मैंसरिया। इफ देयर इज नो मैंसरिया तो कभी भी पनिशमेंट नहीं हो सकती हैं। जब तक मोटिव क्रिमिनल नहीं है तब तक कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिये। यही पीनल ला का और जुरिसप्रुडेंस का उद्देश्य है, ध्येय है। इसलिए विलफुली एंड मैलिशसली कर के भी टू इंजर एनी परसन होना चाहिये। अब विलफुली का कनोटेशन डेनोटेशन किया जाए तो क्रमिनल नोइंगली होता है। उसके साथ एंड मैलीशस जोड़ देने से वह मैलीशस नहीं होगा। अगर यह मैंसरिया नहीं होगा तो वह पनिशेबल नहीं होगा।

मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि जुरिसप्रुडेंस का जो ध्येय है उसके यह खिलाफ हैं। जहां तक पहली एमेंडमेंट का सम्बन्ध हैं, वह सुपरफ्लुअस है। दूसरी जो एमेंडमेंट है उसका मैं इस वास्ते विरोध करता हूं कि विलफुली एंड मैलिशसली के जो वर्डिंग हैं वे आर्डिनरी सिद्धान्त जो हैं, जो कामन प्रिंसिपल्ज़ हैं, उनके अनुसार हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो फिर पोलिटिकल पार्टीज़ गांव-गांव में हैं, कोई पोस्टमैन जनसंघी है, कोई कम्युनिस्ट हैं, कोई कांग्रेसी है और किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है और उस पर यह कहना है कि यह नोइंगली है, ठीक नहीं होगा। विलफुली के साथ मैलीशसली शब्द का होना बहुत जरूरी हैं। अगर वह चीज़ होती है तभी वह पनिशेबल है वर्ना नहीं हो सकता है। इस वास्ते मैं इसका आनली टैक्नीकल ग्राउंड्स पर विरोध करता हूं।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी यह एक धारणा बन गयी है कि लोग हमेशा गलती पर होते हैं। इस विधान को बनाने से पूर्व हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि हमारे देश में लोगों को यह सिखाया ही नहीं जाता कि उचित

नागरिक के अधिकार क्या होते हैं। लोग अपने कर्तव्य और अधिकार को नहीं समझते इस का यह मतलब नहीं कि उनमें अपराधी मनोवृत्ति होती है प्रत्युत यह कि उनमें सामूहिक मनोवृत्ति का नितान्त अभाव है। वे अपना उत्तरदायित्व समझते ही नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम इस ढंग का कानून बनायेंगे जैसाकि इस विधेयक में सुझाया गया है तो इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को, विशेषकर गांवों में, तंग किया जायेगा।

मेरा निवेदन है कि हमारे लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने समझे जा रहे हैं। यदि इस विधेयक को स्वीकार किया गया तो गड़बड़ी होगी, अतः इसका विरोध किया जाना चाहिये।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्रनगर) : यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस विधेयक का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। प्रस्तावक महोदय ने पत्रों इत्यादि के खोले जाने के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट की है वह बिलकुल ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि डाक वस्तुओं को खोलना बहुत आसान हो गया है। परन्तु उनकी इस सम्बन्ध में जो चिन्ता है उससे सहमत होते हुए भी हमें इसमें सन्देह है कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनसे कोई लाभ हो सकता है। मेरी तो यह प्रबल धारणा है कि वर्तमान कानून स्थिति का सामना करने के लिये काफी है। प्रस्तावक महोदय के जो सुझाव हैं यदि उन्हें स्वीकार कर उस आधार पर कुछ संशोधन किया गया तो इससे शरारत की गुंजाइश बढ़ जायेगी और निर्दोष लोग बेचारे दुःखी होंगे। यह निश्चित है कि समाज विरोधी तत्व इसका प्रयोग अपने लाभ के लिये करेंगे। अतः मेरा यह प्रबल मत है कि विधेयक का विरोध किया जाना चाहिये।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : इस विधेयक को लाने का प्रयास जिस उद्देश्य से प्रस्तावक महोदय ने किया है उसके लिये कानून में आगे ही व्यवस्था है। वर्तमान धारा ६८ से यह उद्देश्य भली प्रकार पूरा हो जाता है। मेरे विचार में उसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ तक धारा ६९ का सम्बन्ध है, "इच्छा से और बुरी भावना से" शब्द सर्वथा आवश्यक है। मेरे विचार में किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिये ही दंडित नहीं किया जाना चाहिये कि वह कोई बात जानता है, उसका इरादा भी दोषयुक्त सिद्ध होना चाहिये। मेरा मत यही है कि वर्तमान धारा को बनाये रखना चाहिये। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : प्रस्तावक महोदय की भावना ठीक है और सरकार इस भावना की सराहना करती है। परन्तु इसमें सन्देह है कि उन्होंने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है उनसे स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार हो जायेगा। मेरे विचार में इस संशोधन से डाक विभाग के अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सरल बनाने में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इससे अपराध सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाये।

माननीय सदस्य धारा ६९ से "इच्छा से और बुरी भावना से" शब्द निकालना चाहते हैं। मेरे विचार में यह शब्द बने रहने चाहियें। बुरी भावना होगी ही तो दंड सम्बन्धी उपबन्ध लागू करना सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त मेरे विचार में इन शिकायतों का आधार ठीक नहीं कि पत्र तथा डाक की वस्तुएं खोली जाती हैं अथवा उनका गलत वितरण किया जाता है।

कभी कोई ऐसा मौका चाहे लग जाये कि गलत वितरण हर जाये परन्तु जानबूझ को ऐसा नहीं होता, जैसाकि आरोप लगाया गया है। मेरे विचार में धारा ६८ और ६९ में किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है। मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले ले।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य:** हाँ ।

†**श्री नम्बियार** : नहीं ।

†**सभापति महोदय** : तो मैं इसे मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

भारतीय--दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

हम आज १०२ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, इसलिये कि उस समय के कानून में आज कुछ संशोधन की आवश्यकता अनुभव हुई है । होना भी यही चाहिये कि कानून को सामाजिक हालात के अनुसार बदल दिया जाये । जब लार्ड मकाले ने इस वर्तमान दंड संहिता को लागू किया था उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग थे, और आज हम स्वतंत्र हैं । अतः आज वह १८६० का कानून नहीं चल सकता, हमें देश को नई दंड संहिता देनी ही होगी । आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर और प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपराधिक विश्वासघात हो रहे हैं । यह रोग समाज को भीतर ही भीतर खाये जा रहा है । उसकी जड़ें खोखली हो रही हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिए कठोर उपाय किये जाने चाहिएं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संहिता की धारा ४०५ को विशिष्ट बनाया जाना चाहिये ताकि अपराधिक विश्वासघात करने वाला कोई भी अपराध बच कर न निकल सके । 'विधि के निदेश' शब्द के बाद 'अथवा व्यक्त या अव्यक्त किसी प्रकार का' शब्द रखे जाने चाहियें, जिस से यह उपबन्ध केवल कानून तर्क का विषय न रहे । यह सामाजिक तर्क का विषय बन जाये 'ऐसे विश्वास' शब्दों के बाद 'व्यक्त अथवा रचनात्मक' शब्द भी जोड़ दिये जाने चाहियें । मेरा यह पूरा विश्वास है कि इन दो संशोधनों से यह कानून अधिक कड़ा और स्पष्ट हो जायेगा । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार धारा ४०६ के अन्तर्गत ३ वर्ष के दंड का उपबन्ध है, इस विधेयक के अन्तर्गत उसे ५ वर्ष बना दिया जायेगा ।

मेरा निवेदन है कि यह मुझे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न करने के लिये नहीं प्रत्युत भारतीय दंड संहिता को बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाने के लिए ही इसमें उचित अथवा अपेक्षित संशोधन कर दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।**

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं माननीय सदस्य की भावना के साथ पूण रूप से सहानुभूति प्रकट करता हूं । इसे भी स्वीकार करता हूं आज १९६२ में हालात वह नहीं हैं जो १८६० में थे । परन्तु मुझे खेद है कि इस संदर्भ में मुझे कानून की कुछ प्रारम्भिक बातें बतानी होंगी, यद्यपि यह विषय एक विद्वान प्रोफेसर का है । मेरा निवेदन है कि प्रस्तावक का उद्देश्य ४०५ की रचना से बिलकुल पूरा हो जाता है । "ट्रस्ट" शब्द का प्रयोग प्रविधिक अर्थ में नहीं किया गया है, जैसाकि अन्य कानूनो में किया गया है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ११ जून १९६२/ज्येष्ठ २१, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ८ जून, १९६२
———————————
१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३५३	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था, मैसूर .	४४८५–८६
१३५४	इस्पात कारखानों के उपोत्पाद	४४८७–८८
१३५५	टैगोर स्मारक रंगमंच	४४८८—९०
१३५७	दिल्ली में पटरियों पर रहने वाले लोग	४४९०–९१
१३५८	कोयला खानों के लिये विस्फोटक . .	४४९२–९३
१३५९	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल . .	४४९३—९५
१३६०	रूरकेला इस्पात कारखाना	४४९५—९७
१३६१	ईंधन तेल पर उत्पादन में कमी .	४४९७
१३६२	पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस .	४४९८–९९
१३६३	न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी की तलाशी	४५००–०१
१३६४	कोयले के परिवहन के लिये पाइप लाइन . . .	४५०१
१३६५	उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्य	४५०१—०३
१३६७	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान	४५०३–०४
१३६८	घड़ियों का तस्कर व्यापार . .	४५०४—०६
१३६९	जम्मू तथा काश्मीर में संविधान का लागू होना .	४५०६–०७
१३७०	नई दिल्ली में भारतीय पैट्रोल की बिक्री के लिये एजेंसी	४५०७—०९
१३७१	रूरकेला इस्पात संयंत्र . .	४५०९–१०
१३७३	"नूनमती बैरोनी पाईप लाइन .	४५१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३५६	रंगमंच	४५११
१३६६	रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार . . .	४५११
१३७२	दिल्ली छावनी में अस्पताल	४५११–१२
१३७४	अकाउन्टेंट जनरल गुजरात का शाखा कार्यालय . .	४५१२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२७८७	नाल हवाई अड्डा (राजस्थान) .	४५१२–१३
२७८८	केरल में इस्पात की रोलिंग मिल .	४५१३
२७८९	केरल में स्मारक . .	४५१३–१४
२७९०	मनीपुर में वेतन आयोग की सिफारिशें	४५१४
२७९१	मनाली में पर्वतारोहण स्कूल .	४५१४
२७९२	सरकारी कर्मचारियों की छंटनी .	४५१४–१५
२७९३	कडलूर का ऐतिहासिक पुलिन .	४५१५
२७९४	अल्प बचत योजना में विनियोजन	४५१५
२७९५	सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना	४५१५–१६
२७९६	पश्चिम बंगाल में लौह अयस्क निक्षेप .	४५१६
२७९७	दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक	४५१६
२७९८	बेसिक शिक्षा तथा ग्राम्य विकास	४५१७
२७९९	खनिज निक्षेपों की खोज के लिये पुरस्कार	४५१७
२८००	त्रिपुरा में अग्नि दुर्घटनायें . .	४५१७–१८
२८०१	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् को केन्द्रीय अनुदान	४५१८
२८०२	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी . .	४५१८
२८०३	मानचित्र प्रकाशन निदेशालय	४५१८–१९
२८०४	मनीपुर के विद्रोही नागा .	४५१९
२८०५	मनीपुर में सोने का पकड़ा जाना	४५१९–२०
२८०६	आसाम राइफल्स के अधिकारी	४५२०
२८०७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण . .	४५२०–२१
२८०८	पंजाब में चुनाव . .	४५२१–२२
२८०९	गांधी संग्रहालयों को अनुदान . . .	४५२२
२८१०	हिन्द महासागर में ब्रिटिश राष्ट्रजनों का भटक जाना .	४५२३
२८११	मनोवैज्ञानिक मंत्रणा केन्द्र, बड़ौदा . .	४५२३
२८१२	कलकता में चोनी (ड्राईक्लीनर्स" तथा डायर्स" . .	४५२३–२४
२८१३	चमोली में एस्बेस्टस . . .	४५२४

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

२८१४	तिरुचि में भूमिगत जल	४५२४–२५
२८१५	सैलम लौह अयस्क में गन्धक की मात्रा	४५२५–२६
२८१६	दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रकारिता का पाठ्यक्रम	४५२६
२८१७	जगाधरी में अफीम का पकड़ा जाना	४५२६–२७
२८१८	एम० वी० "अन्दमान" तथा एम० वी० "निकोबार" जहाज	४५२७
२८१९	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	४५२७
२८२०	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	४५२८
२८२१	आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली में कैंटीन	४५२८
२८२२	स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६	४५२८
२८२३	गुजरात में खनिज तेल	४५२९
२८२४	चांदी की खानें	४५२९
२८२५	राजनैतिक पेंशनें	४५२९
२८२६	दिल्ली छावनी बोर्ड	४५३०
२८२७	मिलिटरी अस्पतालों के नर्सिंग अफसरों के मेस के कर्मचारी	४५३०
२८२८	दिल्ली कैन्टोनमेंट के मिलिटरी अस्पताल के असैनिक कर्मचारियों से लिया जा रहा व्यवसाय कर	४५३०–३१
२८२९	राजस्थान विद्यापीठ को सहायता	४५३१
२८३०	राजस्थान में स्कूटर फैक्टरी	४५३१
२८३१	भावात्मक एकता	४५३२
२८३२	दिल्ली कैन्टोनमेंट में मालवहन शुल्क	४५३२
२८३३	उड़ीसी नृत्य	४५३२–३३
२८३४	आसाम के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय मे कर्मचारी संघ	४५३३
२८३५	बिहार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये घर	४५३३–३४
२८३६	केसर का तस्कर व्यापार	४५३४–३५
२८३७	फतहपुरी मस्जिद (दिल्ली) में विस्फोट	४५३५
२८३८	सोना जब्त किया जाना	४५३५
२८३९	अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क	४५३५–३६
२८४०	लोहे की नालीदार चादरों और सीमेंट की आवश्यकता और उत्पादन	४५३६
२८४१	अपंग व्यक्तियों के लिये सेवाओं में स्थान रक्षित करना	४५३७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८४२	स्नेहकों का आयात	४५३७
२८४३	विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों का परिहार .	४५३७—३८
२८४४	मिलिटरी कैन्टोनमेंटों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल	४५३८
२८४५	भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना . . .	४५३९
२८४६	भारतीय विमान बल के विमान का ध्वंस होना . .	४५३९
२८४७	विदेशों मे प्रतिनियुक्ति के लिये सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त विदेशी सहायता .	४५३९—४०
२८४८	सेवा भूमि तथा छावनी निदेशालय	४५४०
२८४९	उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के निक्षेप .	४५४०
२८५०	सशस्त्र सेवा मुख्यालय के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि	४५४१
२८५१	सशस्त्र वायु सेना मुख्यालय के कर्मचारी .	४५४१
२८५२	संघ लोक सेवा आयोग	४५४१—४२
२८५३	त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी	४५४२
२८५४	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के कर्मचारी .	४५४२
२८५५	तोपखाने के 'रेकुपरेटर्स' में प्रयोग में आने वाला तेल	४५४२—४३
२८५६	पश्चिम जर्मनी से मुद्रण यंत्र .	४५४३
२८५७	एक आयरिश यात्री की मृत्यु	४५४३—४४
२८५८	दिल्ली में अग्नि कांड	४५४४
२८५९	भारत-पाक सीमा पर स्थित गांव में हथगोले फेंकना . .	४५४४—४५
२८६०	हिन्दुस्तान स्टील लि० के कर्मचारी के लिये क्वार्टर .	४५४५
२८६२	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना .	४५४५—४६
२८६३	केन्द्रीय सचिवालय सेवा .	४५४६
२८६४	सहायकों की भरती .	४५४६—४७
२८६५	दिल्ली के लिये बिक्री कर अधिकरण . .	४५४७
२८६६	दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी राष्ट्रजन .	४५४७
२८६७	भारतीय एवरैस्ट अभियान . .	४५४७—४८
२८६८	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम .	४५४८
२८६९	केन्द्रीय सचिवालय सेवा . .	४५४८

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४५४८—५०
(१) श्री उमानाथ ने साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में माल उतारने का काम अस्त-व्यस्त हो जाने के कथित समाचार की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री सें० वें० रामास्वामी**) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।	
(२) श्री हेम बरूआ ने दिल्ली में होने वाले परमाणु बम विरोधी सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को भेजे गये निमंत्रण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४५५०
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९–६०	४५५०–५१
रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री सें० वें० रामास्वामी**) ने वर्ष १९५९-६० के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण पेश किया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	४५५१—५३
वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) ने विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
समिति के लिये निर्वाचित	४५५३
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन**) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।	
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	४५५४–५५
विधि मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री विभुधेंद्र मिश्र**) ने प्रस्ताव किया कि लाभ पदों संबंधी एक संयुक्त समिति का गठन किया जाये जिसमें लोक-सभा के १० और राज्य सभा के ५ सदस्य हों और यह सिफारिश की कि राज्य सभा उस उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	

विषय	पृष्ठ
अनुमानों की मांगें	४५५५—६८
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित	४५६८–६९
(१) राज्यनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक (**श्री स० चं० सामन्त** का) (२) हिन्दू विवाह (संशोधन विधेयक) (धारा २३ का संशोधन) [**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** का]	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—परिचालित . .	४५६९—७३
२५–५–६२ को श्री श्रीनारायण द्वारा प्रस्तुत विधान परिषद् (रचना) विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत . .	४५७४—७८
श्री स० च० सामन्त ने प्रस्ताव किया कि भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) पर विचार किया जाये। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन	४५७८–७९
श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।	

सोमवार, ११ जून, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा।

GMGIPND—LS III—1217 (Ai) LSD—25-10-62—125.